प्रस्तावना

बोधिसत्व बाबा साहब डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में कार्य किया था। उनका जीवन-चरित देश के बुद्धिजीवियों के लिये एक उपयुक्त आदर्श का कार्य दे सकता है। यदि उनके जीवन के कृतित्व पर दृष्टिपात किया जाय, तो वे एक व्यक्ति नही अपितु एक संस्था मालूम पड़ते हैं। उन्होंने अनेक विषयों का गम्भीर अध्ययन किया था और अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे थे। किन्तु अभी तक देश के विद्वानों का उनके बारे में मौन ही बना हुआ है। ऐसा क्यों ? ये प्रश्न प्रायः हमारे मन में आते थे। कभी-कभी हम सोचते थे कि कदाचित कोई सक्षम विद्वान इस कार्य की ओर ध्यान देगा। किन्तु कहीं से कुछ भी प्रकाश न आते देखकर अन्त में हमने एक 'स्मारिका' के रूप में 'बाबा' का मूल्यांकन करने के लिये इस कार्य को हाथ में लिया। हम इसे अपना साहस ही समझते हैं क्योंकि अपेक्षित साधनों का अभाव मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। अवश्य ही इस कार्य में हमसे बहुत त्रुटियाँ भी रही होंगी। इसके लिए हम सर्वमाननीय विद्वान लेखकों तथा पाठकों से क्षमा याचना करते हैं। विद्वानों ने अपने विद्वतापूर्ण तथा ज्ञानवर्द्धक लेख भेज कर हमें जो उत्साहित किया है उसके लिये हम उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आशा है, भविष्य में भी उनका सहयोग इसी भाँति मिलता रहेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि इस 'स्मारिका' के लेखकों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह दूसरे विद्वानों तथा बुद्धिजीवियो के लिये भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। यदि आगे किसी ने 'बाबा' का उचित मूल्याकन करने का पग उठाया तो हम अपने इस प्रयत्न को सफल समझेंगे।

महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य ने 'स्मारिका' के लिये अपना जो शुभकामना सन्देश भेजा है, उसके लिये हम किन शब्दो में कृतज्ञता प्रकट करें। वे तो हमारे राष्ट्र के प्रतीक ही हैं।

यदि भाई नानक चन्द "बौद्ध' का पूर्ण सहयोग हमें इस कार्य में न मिला होता, तो शायद 'स्मारिका' का प्रकाशनकार्य अभी और काफी समय तक रुक जाता। वे सभी प्रकार से इस कार्य की पूर्ति के लिये हमारा सतत् उत्साह बढ़ाते रहे।

'प्रिंट सर्विस' के कर्मचारियों तथा उसके व्यवस्थापक के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर इसे इतना शीघ्र पूरा कर दिया है।

अन्त में हम इस 'स्मारिका' को 'बाबा' की स्नेही उस दुःखी-पीड़ित जनता को समर्पित करते हैं जिसकी उन्नति के लिये उन्होंने आजीवन सतत् संघर्ष किया था। आशा है, कि हमारे द्वारा रह गई अनेक त्रुटियों के बावजूद उत्पीड़ित जनता अपने मुक्तिदाता पर निकाली गई इस 'स्मारिका' का हार्दिक स्वागत करेगी।

सम्पादकगण

विषय-सूची

Labour and the Constitution

B. R. Ambedkar

FROM the point of view of Labour there are two ways of looking at the Constitution which is on the anvil. The first *relates* to the form of the Constitution and the second to the nature of the Constitution.

How Labour is placed under Federal Constitution

As to the form of the Constitution the Indian Constitution would be Federal. A Federal Constitution always tends to create difficulties in the way of labour. Labour needs two things. It needs that Labour Laws should be uniform throughout the State. It needs that the State should be in a position to implement all International Labour Agreements throughout the territory of the State. In a Federal Constitution it does not become possible for Labour to achieve these to aims. For it is possible that in devising a Federal Constitution, Labour may be made a provincial subject. In such an event each Province being free to make such Labour Law as it likes, there can be no uniformity in Labour Legislation. The Centre not being empowered to pass Labour Legislation, it has no executive authority in Labour matters and, consequently, it cannot give effect to any international agreements relating to Labour.

Government of India Act, 1935 had a novel feature—Concurrent List

The Indian Constitution as embodied in the Government of India Act, 1935, was a Federal Constitution. But it had very skilfully avoided the difficulties under which Labour is placed under a Federal Constitution. It had done so by introducing into the Constitution the novel feature called concurrent list. Ordinarily, in a Federal Constitution the subjects for Legislation and Adminis-

tration are divided into two lists (1) Central and (2) Provincial. Over the former, Central Legislature has exclusive authority and over the latter the Provincial Legislature has exclusive authority.

The Government of India Act, 1935, had introduced a third list called the concurrent list and Labour Legislation was among the other subjects included in it. The concurrent list was a list of subjects over which both the Central and Provincial Legislatures had the authority to legislate. The result was that notwithstanding the federal character of the Constitution, nothwithstanding that Labour was Provincial, Labour remained a Central Subject under the Constitution embodied in the Government of India Act, 1935. Labour could achieve its two purposes, namely, uniformity of Legislation and implementation of International Agreements.

Under the New Constitution in the making—Labour has Escaped a Calamitous Situation

Labour would have been placed in complete danger if the constitutional plan prescribed in the statement of the Cabinet Mission of May 16th, 1946, had been accepted. Under that scheme, Labour was to be an exclusively Provincial Subject. The Centre was shorn of every vestige of authority over Labour. Fortunately for Labour that plan has become extinct. A new plan called the plan of June 3, 1947, has taken the field. The new Constitution that is being framed under this plan is free from all the limitations imposed upon the authority of the Centre by the plan of May 16, 1946. By the new plan, Labour has escaped a most calamitous situation in which there could have been neither uniformity of legislation nor international solidarity. For it has not been possible for the makers of new constitutions to revert to the peculiar type of Federal Plan accompanied by a concurrent list which was a special feature of the Government of India Act, 1935. The new Constitution from the point of view of Labour will even be better than the Government of India Act, 1935. From the point of view of Labour, the provisions of the Government of India Act suffered from one defect. It lay in the provision that so far as the concurrent list was concerned the Central Government could make laws. But it had no power to execute its laws by its own machinery. For the execution of its Labour Laws it had to depend upon the

Provincial Governments. The new Constitution is based upon the principle that the Executive Authority of the Central Government shall be *co-extensive* with its Legislative Authority. This means that the Central Government will have the authority not merely to make laws but will have the authority to administer them.

II

Should it be a mere Political Constitution or a Politico-Socio-Economic Constitution ?

What is the nature of this Indian Constitution which is on the anvil ? This of course raises another question : What should be the nature of the Constitution ? Should it be a constitution which should prescribe the political structure of the society or should it go further and prescribe the social and economic structure of the society as well ? A constitution which is purely political stops with prescribing the various organs of the State, namely, of the Legislature, the Executive and the Judiciary—their inter-relations, the franchise, recruitment to public services and frequency of election to the legislatures. A constitution which is politico-socio-economic, besides prescribing the nature of the various organs of the State also proceeds to prescribe a particular form of an economic organisation of the society. That is to say, it prescribes the ownership and the management of the instruments of production and the distribution of the income among members of the society.

The Russian Constitution Broke New Ground

Before the Russian Constitution came into existence such a distinction would have been inconceivable, for prior to the inauguration of the Russian Constitution, the Constitutions of all countries were purely political in their scope. They prescribed the various organs of the State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary, their inter-relations, the life of the Legislature, the Franchise, appointment to public services and matters of an analogous character. They did not prescribe any particular form of the Economic Organisation of Society. This was left to be determined by the free forces, social and economic, operating in Society.

The Russian Constitution makes a departure. It not only prescribes in its Constitution the political structure for the Russian Society, but also prescribes in its Constitution the Economic Structure for the Russian Society.

The issue whether the Constitution should merely be an instrument prescribing the political structure of society or whether it should be an instrument which should prescribe the shape of economic life is both a question of principle as well as a matter of controversy.

Those who hold the view that a Constitution should be no more than an instrument prescribing the political structure of society relay on two arguments :

Their first argument is the preservation of Individual Liberty. The Constitution not only guarantees Liberty, but its prime function is to guarantee it. For a Constitution to prescribe the shape of economic life of society is to take away the liberty of the individual. Constitution cannot do both, for as an instrument prescribing the economic structure of society it would very directly destroy what as an instrument prescribing the political structure of society it purports to do.

Safeguarding of Individual Liberty

That this argument defeats itself is beyond doubt. The following considerations will demonstrate the proposition. The argument that the Constitution should not prescribe the economic shape of society and, if it does so, it would destroy individual liberty is a fallacious argument. *Indeed, the safeguarding of individual liberty requires that the Constitution should prescribe the economic shape of society.*

The Fundamentals of Political Democracy

Political Democracy rests on four premises which may be set out in the following terms :

(1) That the individual is an end in himself.

(2) That the individual has certain inalienable rights which must be guaranteed to him by the Constitution.

(3) That the individual shall not be required to relinquish any of his constitutional rights as a condition precedent

to the receipt of a privilege.

(4) That the State shall not delegate powers to private persons to govern others.

Any one who studies the working of the system of social economy based on private enterprise and pursuit of personal gain will realise how it undermines, if it does not actually violate, the last two premises on which Democracy rests. How many have to relinquish their liberty in order to gain their living ? How many have to subject themselves to be governed by private employers ?

What does Individual Liberty Mean to the Unemployed

Ask those who are unemployed whether their Liberty is of any value to them. If a person who is unemployed is offered a choice between a job of some sort, with some sort of wages, with no fixed hours of labour and with an interdict on joining a union and the exercise of his right to freedom of speech, association, religion, etc., can there be any doubt as to what his choice will be. How can it be otherwise ? The fear of starvation, the fear of losing savings, if any, the fear of being compelled to take children away from school, the fear of having to be a burden on public charity, the fear of having to be burned or buried at public cost are factors too strong to permit a man to stand out for his fundamental rights. The unemployed are thus compelled to relinquish their fundamental rights for the sake of securing the privilege to work and to subsist.

Liberty from the Control of the State Results in Dictatorship of the Private Employer

What about those who are employed ? Constitutional lawyers assume that the enactment of Fundamental Rights is enough to safeguard their liberty and that nothing more is called for. They argue that where the State refrains from intervention in private affairs—economic and social--the residue is liberty. What is necessary is to make the residue as large as possible and State intervention as small as possible. It is true that where the State refrains from intervention what remains is liberty. But this does not dispose of the matter. The question still remains to be answered : To whom and for whom is this liberty ? Obviously, this liberty is liberty to the landlords to increase rents, for capitalists to increase hours of work

and reduce rates of wages. This must be so. It can not be otherwise. For in an economic system employing armies of workers, producing goods *enmasse* at regular intervals, some one must make rules so that workers will work and the wheels of industry run on. If the State does not do it the private employer will life otherwise will become impossible. In other words, what is called liberty from the control of the State is another name for the dictatorship of the private employer.

The second argument relied upon in support of the contention that the Constitution should not prescribe the economic structure of society is that it is unnecessary to do so. It is said that where there is Parliamentary Democracy based on adult suffrage it is open to people to make laws and to give the economic structure of Society the shape the majority of people wish to give. Why do by Constitution what people can do by their ordinary law ?

Fulfilment of a Fundamental purpose cannot be left to the Mercies of Majority Rule

The reason why it cannot be left to ordinary law is not difficult to understand. One essential condition for the success of a planned economy is that it must not be liable to suspension or abandonment. It must be permanent. The question is how this permanence can be secured. Obviously, it cannot be secured under the form of Government called Parliamentary Democracy. Under the system of Parliamentary Democracy the policy of the Legislature and of the Executive is the policy of the majority for the time being. Under the system of Parliamentary Democracy the majority in one election may be in favour of State Socialism in Industry and Culture. At the next election the majority may be against it. The anti-State-Socialism majority will use its law-making power to undoing the work of the pro-State Socialism majority and the pro-State-Socialism will use its law-making power to doing over again what has been undone by their opponents. Those who want the economic structure of society to be modelled on State-Socialism must realize that they cannot leave the fulfilment of so fundamental a purpose to the exigencies of ordinary law which simple majorities —whose political fortunes are never determined by rational causes —have a right to make and unmake. For these reasons Political Democracy seems to be unsuited for the purpose.

Labour must Have Liberty and Equality and a Constitution which Balances Both

The case in support of the proposition that the Constitution should prescribe the economic structure of Society is therefore beyond dispute. The only question that remains is what should be the form of the economic structure. There are altogether three alternatives to choose from—

(a) Capitalism
(b) Socialism and
(c) Communism

What should be the choice of Labour ? Labour cannot choose Capitalism. By choosing Capitalism, Labour will lose Liberty. For under Capitalism the only remedy Labour has against being cheated out of these fundamental rights to life, liberty and pursuit of happiness is, the useful remedy adopted by Democratic countries —to limit the power of Government to impose arbirtary restraint in the political domain and to invoke the ordinary power of the legislature to restrain the more powerful individual from imposing arbitrary restraints on the less powerful in the economic field. The inadequacy, nay, the futility of the plan, has been well established. The successful invocation by the less powerful of the authority of the Legislature is a doubtful proposition. Having regard to the fact that even under adult suffrage all Legislatures and Governments are controlled by the more powerful an appeal to the Legislature to intervene is a very precarious safeguard against the invasion of the liberty of the less powerful. Labour's plan to safeguard its own interest must be quite different. It cannot be content with a plan which merely seeks to limit not only the power of Government to impose arbitrary restraints but also of the more powerful individuals or, to be more precise, to eliminate the possibility of the more powerful having the power to impose arbitrary restraints on the less powerful by withdrawing from the control it has over the economic life of the people. There cannot be the slightest doubt that it must forge a plan which will not let one individual have power over the lives and actions of other individuals. Can Labour choose Communism ? I think it cannot. For under Communism, workers may get equality with the erstwhile class of owners but they are sure to lose their rights

to Liberty. It may be that Communism destroys the division between the rich and the poor. It may be that Communism deprives the owner of the power to control the life of the worker. But it also deprives the worker of his liberty to do what he likes with his own. There is no question that Labour not only needs equality, it also needs liberty. Indeed, a system under which Labour had equality without liberty would be both intolerable as well as deadening. Labour must have both equality as well as liberty and a Constitution which balances both can be the only ideal Constitution from the point of view of Labour. In other words, the economic structure of society which would serve the interests of Labour best is Socialism.

Labour Leadership in India has Failed to Rise to the Opportunity and Failed in its Duty

What sort of an economic structure Labour should choose is, however, not the main issue. The main issue is whether Labour should seek a Constitution which is merely a political instrument or whether Labour should insist that the Constitution should also be an economic instrument. If Indian Labour desires that it should not have to undergo misery, trials and tribulations and struggles to win its freedom from the despotism of the owning class, Indian Labour must insist that the Indian Constitution must not merely be a political instrument but must also be an economic instrument. Has Indian Labour done so ? Is Indian Labour aware that there is a way out ? To both these questions the answer must be in the negative. Labour Leadership in India whether Socialist or Communist has taken no notice of this problem and has not even taken care to use this opportunity for getting the Constituent Assembly to consider this problem. Can there be a greater discredit on Labour Leadership in India.

—x—

The Dr. Ambedkar I Knew

U. R. Rao

Much has been, and will yet be, written on Dr. Ambedkar, the lawyer, the politician, the constitutionalist and the scholar. These are undoubtedly aspects of his outstanding personality which demand both critical study and expert assessment at the hands of distinguished critics in those fields. In this essay I claim to do no more than share with the reader some personal and rather intimate reminiscences of Dr. Ambedkar during the last decade of his life, when I had the privilege of coming in contact with him.

I remember that when I was a student of the Government Law College in Bombay in 1935-37, Dr. Ambedkar was for a while the Principal. My recollection of that time was that he lectured to us on mercantile law. I can still remember his slow, measured and sonorous speech and dignified bearing. I had little occasion as a student of law to meet him, and it was only several years later that I came to know him in a personal way.

During 1945-49, I was in charge of the Publications Department of Thacker & Co., Ltd., Bombay, who published most of his works. And from 1949 to1955, I was their Publications Adviser. It was in these dual capacities that I had occasion to meet Dr. Ambedkar fairly frequently and almost every time that he was in Bombay. "The Doctor is in town" was a familiar and significant news at Thackers in those days.

The very first book of Dr. Ambedkar's I had to handle was *Pakistan or the Partition of India*, originally published in 1940 under the title "*Thoughts on Pakistan*". The new edition had a substantial chapter added to it. If I remember right, the book was

out of the press in February 1945, by the time I had joined Thackers, and as such I had no hand in preparing it for and seeing it through the press. Only the jacket remained to be printed. Thackers had a European Manager in those days whose confidence I fortunately enjoyed and he gave me, progressively, a fairly free hand in my work for the Publications Department. When I went through the blurb on the jacket of the first edition of the Pakistan book, two things struck me : first, the somewhat hyperbolic estimate of the book by the publisher, and secondly, what seemed to me to be an unconventional, almost naive, identification of the publisher with the distinguished author's views and opinions. Somewhat timidly, I pointed this out to the manager who raised his eyebrows and asked me what I had in my mind. "Rewrite it, "I suggested, "to make it more objective and less of an overstatement." The manager appeared frankly dubious. He was a great admirer of the learned doctor and naturally stood in some awe of him. "You had better not do that : You know with whom you have to deal ? Why not leave it alone ?" I explained that the blurb, as it stood, would appear rather loud and cheap for such a weighty book. The manager shrugged his shoulders and finally said, "Do what you think best. Show the draft to me, but remember you have ultimately to satisfy the Doctor!" I humbly acquiesced, re-drafted the blurb, and got the manager to see it. He said simply : "I approve—that is, if the Doctor approves." And when the Doctor was next in town, in a few day's time, he saw the draft and asked who had handled it. The manager sent for me. I went, in some trepidation ! I saw the Doctor's genial face scowling, looking somewhat serious. "You did this, Rao ?", he asked me. "Yes, Doctor", I said, almost in a whisper. "Why did you think it necessary to change it ?" I was prepared for the question. "You see, Doctor", I said, "it does not do for a publisher to offer loud praise of his own wares. It makes it rather suspect, you see. No good publisher does it and the book hardly needs it " The Doctor looked at me over the edge of his gold-rimmed glasses, and grunted, "I see." This encouraged me to go on : "And it is certainly indiscreet for the publisher to more or less take sides with the author. Thackers is not a publisher with a bias or slant to its publishing. It is not-er-like the Leftist Book Club." The Doctor smiled and looked up at the manager, saying :

"I think there is something in what Rao says. All right, then let this go in." I muttered my thanks, and walked back, to my seat, on air! It was something that I had got the Doctor to see the thing as I did. Really, it was an indication of the Doctor's readiness to see the other point of view. Before I pass on to the Doctor's other books, I must record what, about a year later, he told me of his Pakistan book in a rare moment of confidence : " It was my book that gave Jinnah ideas and points for his Pakistan demand—and see what a mess he has made of the problem !"

The second book which Thackers published for Dr. Ambedkar was his controversial work: *What Congress and Gandhi have done to the Untouchables*. It was first published in June or July 1945. He himself had expected the book to provoke much criticism and from many quarters. In the preface he had, indeed, written in a characteristic vein, quoting Voltaire: 'Who writes the history of his own time must expect to be attacked for everything he has said, and for everything he has not said· but these little drawbacks should not discourage a man who loves truth and liberty, expects nothing, asks nothing and limits his ambition to the cultivation of letters.' Also, the Doctor had observed that he had "written the book especially for the untouchables and for the foreigners". A fact which explained why, in 1946, he had a second edition of the book printed for shipment to Britain and distribution among Members of Parliament and others. That there was much in the book that was unpalatable to me personally, as a student of Gandhi, was beside the point. I could not presume to judge the Doctor and I had as yet no voice in the formulation of the publisher's policy. I do not remember that the book was received with much enthusiasm in Britain. And it will be recalled that in India, C. Rajagopalachari wrote a short reply to Dr. Ambedkar's thesis—*Ambedkar Refuted* (Hind Kitabs, 1946).

This brings me to the theme of Dr. Ambedkar's generally known attitude to Gandhiji and his politics. And I had at least two or three occasions for getting an exclusive insight into Dr. Ambedkar's mind and disposition on this subject. One was the publication by Thackers of Dr. Krishnalal Shridharani's book: '*The Mahatma and the World*, first published by Duell, Sloan & Pearce of New York, in 1946. When the Indian edition was brought out

by Thackers, on my recommendation, it became in usual course Thacker's "book of the week". That was the heyday of Thacker's publishing and there was then a new book almost every week. The jacket of Shridharani's book was displayed on a green baize-covered board hung at the top of the stairs leading to Thacker's Book Department. As Dr. Ambedkar slowly climbed up the stairs on his way to it, on one of his frequent book-purchasing visits, the jacket on the board drew his attention. "The number of books that people write on this old man takes my breath away!", he said, jabbing a thumb at the display board. I was waiting at the top step to receive him. The Doctor was indeed breathing hard—because of the exertion! But there was a Puckish mischievous twinkle in his eyes as he had his wise-crack, obviously for my benefit! I must here mention that, by this time, he had known of my three Gandhian compilations : *Quit India* (Padma Publications, 1942); *Conquest of Self* (Thackers, 1943, 1945) and *The Mind of Mahatma Gandhi* (Oxford University Press, 1945, 1946), all done in collaboration with R.K. Prabhu, now, alas, no more. And by that time I had somehow come to win enough of the Doctor's affection and goodwill to muster courage for a sally on my own account! "But, Doctor, there is certainly room enough for *one more* book on Gandhi!" The Doctor almost caught my point and asked with a mock glare: "What do you mean, Rao ?". I said meekly. "Doctor, *you* should write that book." 'Ah! "he said, with his characteristic laugh, "But who will read it? People don't like what I say of Gandhi!" "At least one person, Doctor", I rejoined, "will have to read your book!" "Who?", he asked, and then I retorted slyly: "I will have to read the proofs first". The jovian laughter that greeted this quip still rings in my ears—so typical of the genial humour and urbanity of the man.

Indeed, it was my good fortune to see the great man in such relaxed, playful and bantering mood more than once, and I have had reason to suspect that, knowing my weakness for Gandhiji and Gandhian studies, he indulged in this sort of good humoured leg-pulling particularly with me. The other instance which I distinctly and vividly remember—almost as if it happened only the other day—occurred one afternoon when he strode into Thacker's Stationery Department. Apart from books, he had an insatiable desire to

possess fountain pens—and outsize ones at that! No ordinary ones would do, and John, who attended to his pen and stationery needs, used always to scamper and collect all the outsize pens available in town and offer them to him, one by one. The Doctor would lean heavily against a show-case and try pen after pen on a writing-pad, scrawling his braod, sprawling autograph on its pages. And at the end of these trials, he would grab half a dozen pens that he fancied and thrust them into his capacious coat pocket!

It was during one such "pen-trial", sometime in July 1946, that I was with him in Thacker's shop, along with the manager. The Doctor looked at me sideways and abruptly but casually remarked: "So, Rao, Gandhi is a Mahatma, is he?" I was non-plussed at this question shot at me—without apparent provocation. I did a little hard thinking and then recalled, in a flash, that probably the Doctor had chanced to see a couple of articles I had written at the time in *United India and the Indian States*, a Bombay Weekly, under the title. "Is he a Mahatma?"—"Er, Doctor," I stammered, "You mean, you refer to that stuff I wrote in *United India*?" "Um, yes", he grunted, with a smile, trying another nib on the pad "And Doctor, may I ask what you think of the article?" "Think? I didn't think anything of the article! I was only thinking of your Mahatma!" He said this with a dig at the manager, who was clearly enjoying this banter at my expense. I could only say: "What is my opinion worth?" And added apologetically, "I am a small man. But much bigger men in the world think Gandhi a Mahatma." "Do they?", the Doctor retorted, still trying a pen. "And pray, who are these *big* men?" I did not miss the slight sarcasm in his tone. "For instance, Doctor, "I observed, brightly, "you must have seen, I am sure, Dr. Radhakrishnan's volume: *Essays and Reflections*." "No, I don't think I have. What does it say?" "Well, Doctor," I observed, taken aback that this great and voracious reader of books could have missed seeing that outstanding volume. "You have contributions there from a score and more of great contemporary thinkers, philosophers, statesmen, social scientists, and so on—from all over the world—and they seem generally agreed that Gandhi *is* a great soul! And we can't certainly accuse such men of any narrow or unreasoning partiality for him, for quite a few are in disagreement with some of his fads." I said all this with some spirit: Dr.

Ambedkar neatly side-tracked this explanation. He seemed intent on provoking me, and observed: "I personally think that Gandhi is a humbug!" The sly look with which he accompanied this remark left me in some doubt of its sincerity. Nevertheless I retorted: "Then, Doctor, *all* of us are humbugs, some more, some less. And as Gandhi himself would say, we are all tarred with the same brush!" At this the Doctor threw up his hands, then nudged the manager with his elbow, remarking, "Do you hear what Rao is saying? He says that you and I and all others are also humbugs!" There was laughter all round, for by this time the Stationery Department hands—who were all fond of listening to the Doctor's witticisms on such occasions—had become interested, and joined in the mirth. But above all their merriment was the Doctor's own stentorian laughter. And to this day, I cannot convince myself that he had not chosen me as the butt of his jocular vein! For, despite the common knowledge that he was often an unsparing critic of Gandhiji, it is my own belief that he had entertained a deep and secret personal regard for the Mahatma, which rose above political differences and the rancour of public controversy!

To revert to the Doctor's books: Thackers published during the years 1946 and 1947, some other titles. Among these were: *Who were the Shudras?*, first published in October 1946 and reprinted in 1947; also, *States and the Minorities: What are their rights and how to secure them in the constitution of Free India.* The text of this book, of which I have an autographed and highly-prized copy, was provided by the memorandum which Dr. Ambedkar had drawn up on behalf of the All-India Scheduled Castes Federation and submitted to the Constituent Assembly. Then there was a volume on *The History of Indian Currency and Banking*, a proof of his undoubted versatility, scholarly grasp and lucid exposition of comparatively technical subjects. I remember that Dr. Ambedkar was also responsible for republishing Laxminarasu's famous work: *Essence of Buddhism*, to which he wrote a learned preface. And as his own contribution to the literature of lasting value on Buddhism must be here mentioned: *The Buddha and His Dhamma.* I recall how anxious he had been about the publication of this book, which he had originally called *The Buddha and His Gospel.* For his health was failing. Characteristic of his catholicity of mind and prepare-

dness to learn from others is a little incident I must here recall. He had a limited number of copies of the proofs of this book bound before actual publication. When I asked him what was the idea behind this, he said: "I propose to send these copies to different scholars of Buddhism, invite their criticism and suggestions and, incorporate in the book in its final form whatever I consider useful or valuable in their suggestions." "And, I believe this is what he did in fact. This book, and at least one other, Dr. Ambedkar chose to get published through other publishers.

There is another incident worth recording here. It was sometime in January 1950. He had presented the draft Indian Constitution in November 1948 in the Constituent Assembly. And when it had assumed its final shape, he flew to Bombay to get the ponderous volumes bound in Thacker's Press. I recall how, the morning of his return flight to Delhi, he called the manager and me, opened the magnificently-bound volumes and showed them to us, beaming with justifiable pride and pleasure at having accomplished a job of Constitution making, of which history will always reckon him one of the principal architects.

Dr. Ambedkar's great love for books was equalled only by his wide scholarship, and the sacrifice and devotion with which he built up one of the richest private libraries in the country. It is my personal knowledge that he hardly ever took in cash from Thackers any considerable part, if not the whole, of his princely royalties on his books—almost all of which went into several editions and sold very well. He appropriated the bulk of his royalties for purchasing books for his own library. Indeed, at one time, I believe his purchases outstripped his accumulated royalties and he was in trouble! The word would quickly go round the Book Department when the Doctor had come to town and the assistants would get busy collecting the latest titles on the many subjects in which he was interested. By the time he arrived in the Book Department, three or four piles of books would be stacked near the Doctor's special armchair. Sinking into this, he would have a quick glance at each title put into his hands by the Book Department manager and say: 'yes' or 'no', as he accepted or rejected the book. And at the end of an hour or two he would so spend, the 'ayes' would pile up and two or three peons were needed to carry the chin-high bundles of the books to his car.

And this happened almost every time he was in town and visited Thackers.

Once, in some bewilderment at the multitude of books which the Doctor regularly acquired from Thackers, I was prompted to ask him. "Dear Doctor, if I may ask, how on earth do you find time to read all these books that you buy?" The Doctor peered at me through his glasses and asked in turn: "What do you mean by reading, Rao? Tell me that." A little taken aback, I stammered: "Er—I mean, reading *through* a book, poring over its pages from start to finish, you know, digesting it." The Doctor smiled, and said: "That's seldom *my* style of reading. There are only a few books which call for deep study, from cover to cover. When I see a new title on a subject I am interested in, say socialism, I glance through the blurb, the introduction, the contents, decide which chapters would probably offer me some new thoughts and ideas on the subject. And then I read only those pages, for the rest is familiar ground. And when I have done that, you may say I have *read* the book."

It struck me as a very striking evidence of his discernment and discrimination in reading. And no wonder he could claim to keep abreast of the latest thought on subjects which mattered to him--and they were not a few! His reading should have been amazing by any standards.

Another incident stands out in my memory as typical of his love for books and anxiety to acquire those he considered worthwhile. And, incidentally, I am a little proud of my own little part in it. I do not recollect the year—but it should have been in the early '50s. D.A. Telang, a well-known educationist, had died leaving behind an excellent library in his house at Matunga in Bombay. His relatives did not appear anxious to preserve it intact. My friend, R.K. Prabhu, who was Telang's neighbour and rather devoted to him, took the trouble of listing the thousands of books in Telang's Bombay collection, and brought the list to me. He thought there was only one way to save the library from being sold piecemeal, and at almost scrap value: that was to interest Dr. Ambedkar in the collection. And this mission Prabhu entrusted to me. Next time the Doctor was in town and at Thackers, I put the list into his hands. He asked what it was. I told him it covered—Telang's Bombay

collection of books. "Oh, old Telang's is it ?" he exclaimed. "Then, I know it's good. That man *knew* books!" I said they were for sale. He then asked me what price Telang's people expected. I had armed myself with this information in advance. I said : "Six Rupees a volume". There was a little storm ! The Doctor exclaimed : ' What ! What do they think I am ? A millionaire ?" He almost shouted. "Where is all that money to come from ? The People's Education Society have limited funds, you know. Now, Rao, I will tell you what, inform the Telangs that I shall make one offer and no more. I will not examine the books, nor screen each title. Whether it is a bulky tome or thin pamphlet, I shall offer a flat price : Rs. 2 each title. Take it or leave it. And there is to be no higgling over it, you see ?" I saw. In the end the Telangs plumped for this offer and I had the responsibility of conveying the truck-load of books to Siddhartha College where, I believe, the Telang collection has ever since formed a rich acquisition for the benefit of succeeding generations of students. But for the Doctor's quick and ready response, the Telang collection might have been broken up and dissipated. I do hope, likewise, that the Siddhartha College has been able to secure and preserve the Doctor's own great collection. For, some time after his death, I believe there was a dispute over succession and the library was in the custody of the Courts. I was asked to help in finding some Delhi institution of higher learning which could buy it over. But since the collection was lying parcelled out in lots, the institution which I informally approached expressed its inability to acquire a miscellaneous collection, without a chance of selection.

As an author, if Dr. Ambedkar won the respect of the learned and the scholarly, he was the despair of the printer. How often had I seen his familiar figure bent over the page-proofs of his latest manuscript even on the machine in Thacker's Press, with the worried compositor and the hopless printer standing gloomily by ! The Doctor was no doubt immensely painstaking and perfectionist in anything he undertook, but the printer of his books could hardly be expected to appreciate his ever-fertile brain and endless enthusiasm for improvement ! Yet, when the Doctor gave them his genial smile, and called them by their Christian names, did they not do the job for him with alacrity and a grin !

One more incident has lingered in my memory over the last two decades. And this was what happened soon after Hiroshima and Nagasaki had been atombombed in August 1945 by the Americans ! The Doctor walked into Thackers much downcast and indignant and I still remember the remarks he made with great feeling : "The so-called Christian world will have to account for using their atom bombs to destroy not Hitlerite Germany, which had really started the war, but the cities of an Asian and, that too, a Buddhist country. Was it that the Allies had deliberately reserved their devastating weapon for a non-Christian enemy ?" The sarcasm and the bitterness with which he said this were unmistakable and evidenced his sense of humanity, outraged by an act which he considered indefensible on any count...

That was Dr. Ambedkar, the author and the man whom I was privileged to know. It is an image of him which has persisted, and will persist, in my memory through the years. To this personal record of a rich human personality which commanded so much love and respect from those who knew him well enough, I would add something of Jawaharlal Nehru's tribute in the Parliament, on his death :—"There can be no doubt about his outstanding qualities, his scholarship and the intensity with which he pursued his convictions............. .He has been a symbol of that intense feeling which we must always remember—the intense feeling of the suppressed classes in India, who have suffered for ages past under our previous social systems, and it is as well that we recognise this burden and that all of us should carry and should always remember".

—x—

Dr. Ambedkar

Ram Gopal

It is gratifying to recall the memory of Dr. B.R. Ambedkar, who was one of the most remarkable and charming personalities of India in the current century. He appeared on Indian fermament with radiating light. His auridition, his statesmanship, his revolutionary fervour for social reform, have all made for him an enviable place in Indian history. His achievements in different fields of Indian life are so numerous and so lofty that they cannot be compressed in a short article ; they are a vast subject for research and they will cover a volume. His services to India will remain a debt undischarged as long as a scholarly biography is not prepared ; and yet India will ever remain indebted to him, for a biography is only an attempt to acquaint new generations of India with one of her great sons.

Those engaged in day-to-day political activities usually do not get much time for serious studies; they have much less leisure for research and writing. The exceptions are few and far between, and Dr. Ambedkar was one of them. It is my pleasure to admit publicly that before I took to writing books on post-Revolt (1857) history and politics, one of the authors whose works became my guiding light was Dr. Ambedkar. I was thrilled and inspired by his industrious research, by his straight forward conclusions, by his penetrating analysis, and above all by his lucid and convincing mode of expression. He wrote vividly and unambiguously, and with his arguments and advocacy easily took the reader with him. Politicians and scholars of modern history will recollect that an address was presented in 1906 to the then Viceroy of India by certain Muslim gentlemen calling themselves representatives of the Muslim Community.

This address is an important landmark in Indian politics for it laid down the foundation of the Muslim League and incidentally of Pakistan as well. Dr. Ambedkar needed a copy of this address for his book on Pakistan, and he waded through contemporary newspaper files to get hold of it. But the full text was nowhere available. He then undertook the arduous task of meeting different Muslim leaders and asking them whether anyone of them had a copy of the address. Ultimately he succeeded, and it is from his book that the scholars of the present age get the contents of that important piece of history.

Both Hindus and Muslims have one common trait of character. Both are blind followers of their religions, and both shun the idea of any deviation from them. Like Buddha, Dr. Ambedkar brought to bear the freshness of his rational analytical faculty on his reading of Hindu scriptures. He fought for social equality, but his activities were not an expression of anger by one of a downtrodden caste against the so-called high caste's questionable social behaviour. He applied his scholarly mind to the study of the scriptures and unearthed from them paragraphs and verse where the highest caste of the Hindus had been advised to exercise discrimination against certain classes of people to an extent which in the present age is regarded as crime in the eyes of the law. For ages the Hindu society as it exists today in internal social relations has been taken for granted without anybody raising a question on rational grounds. Dr. Ambedkar borrowed the evidence from the scriptures to show that discrimination had been made part of "religion" to facilitate exploitation of bulk of the people by those who had managed to place themselves at the highest rung of the social ladder. Dr. Ambedkar's writings in this connection are illuminating and completely satisfying to the sense of reason.

In what is called modern Indian history we come across a galaxy of religious and social reformers beginning with Raja Ram Mohan Roy, who, in their own way, have been endeavouring to rid Hinduism of its unwholesome and destructive practices and put it on a sound basis acceptable to those having rational approach to life. They all frowned upon the practice of untouchability and discarded it as irreligious. They have done their work and disappeared into oblivious, but Hindu society remained static. Most of the caste

Hindus continued to observe untouchability and continued to do so in the name of ancient beliefs given by Hindu seers. Mahatma Gandhi's self-inflicted long fasts and his tremendous influence on the people of India could persuade only a small fraction of the population to abandon the discriminating treatment against the so-called untouchables, with most people, especially women, sticking to the old way. Dr. Ambedkar was confronted with this phenomenon when he presented himself as an advocate of the down-trodden and as one who had himself sprung from that stock. He called upon the Hindus to remove the stigma from their social life, and when he failed to get positive response to his advice, he paraded before them the teachings of the great Buddha, who is regarded all over the world as the first wiseman of the recorded history. Every Indian acknowledged the greatness of Buddha and was proud of the fact that he was born in India, but it was left to Dr. Ambedkar to remind the people that Buddha's Dharma consisted of complete social equality ; social discrimination was a sin. The entire edifice of Buddhism, which is purified Hinduism, is put up on the foundation of reason, and that is why Dr. Ambedkar asked his "untouchable" brethren and sisters, those who listened to him, to regard themselves as Buddhists. Dr. Ambedkar was not a crusader in the sense the word is used in common parlance; his was a logical approach, and he had the intellectual capacity to draw a line between sense and nonsense.

Dr. Ambedkar was motivated by a noble mission Whether one belonged to this religion or that religion was not his concern. What pained him was the social degradation to which millions of people had been reduced by a tradition persisting for thousands of years, and by bringing in Buddhism as a redeeming force, he gave a sense of self-respect to the suffering multitude and saved them from exploitation. Democracy, with secularism as inseparable part of it, prescribes equality in all spheres of social life, but we have seen during these two decades of the working of our constitution that vast sections of Hindu society are still far from the destination, and we are reminded of Dr. Ambedkar with his fingure pointing to Buddhism. It is high time for the caste Hindus to make a break with the past if they want Hinduism to be a unifying force.

Dr. Ambedkar was a versatile genius. He was a power-house

of talent; whatever public object he touched was blossomed into a fine product. The present Indian Constitution is a living monument. He was a Law Member of the first Indian Government with which Jawaharlal Nehru was associated and which was presided over by Lord Mountbatten. The Constituent Assembly had come into being, and the responsibility of drafting the constitution had been cast on Dr. Ambedkar. The task was arduous ; it was very difficult also because Indian conditions into which a democratic constitution had to be fitted were markedly different from those obtaining in countries like Britain and the USA, from which the principles were to be borrowed. Equality, which is the outstanding attribute of a democratic set-up, had, in India, been denied to a large number of people; nay they had been condemned as untouchables. Paradoxically and luckily it was one of these unfortunate people who was called upon to draft the Constitution. Dr. Ambedkar did the job in a magnificent way. Statesmanship and democratic prudence of a high order are clearly visible in the pages of the Constitution. Rightly did he provide in it some special provisions for safeguarding the interests of the down-trodden people called the Schedulde Castes in the Constitutional language.

As I have stated in the beginning, the personality of Dr. Ambedkar is too big to be compressed into a small article, I am ending this brief account with an apology to the readers who may miss here many an important detail of the great leader's life and with the belief that Dr. Ambedkar will continue to inspire, scholars, politicians, social reformers as also men of common rungs for many years to come.

—o—

डा० भीमरावजी अम्बेडकर : जीवन की एक झलक

श्रीनेत्र पांडेय

"भीमराव" थे भीम बुद्धि के, भीम बड़ा मानस उनका।
भीम हृदय था, भीम भाव था, भीम बड़ा दर्शन उनका ।।

भीम ध्येय था, भीम धैर्य था, भीम बड़ा साहस उनका।
भीम विचारक, भीम तार्किक, भीम तत्व-चिन्तन उनका ।।

भीम ध्यान था, भीम ज्ञान था, भीम बड़ा अनुभव उनका।
भीम सुधारक, भीम विधायक, भीम जाति-प्रेम उनका ।।

स्वतन्त्रता के भीम पुजारी, भीम राष्ट्र-प्रेम उनका।
लोकतन्त्र के भीम समर्थक, भीम बन्धुत्व ध्येय उनका।।

"भीम" भीम थे, भीम-देश के, भीम बड़ा पौरुष उनका।
भीम-सभा की भीम-समिति में, भीम-स्थान रहा उनका ।।

"राव" राव थे, राव-वंश के, रौब रहा रौशन उनका।
"भीमराव" के भीम-रौब ने, सार्थक नाम किया उनका ।।

अमर रहेंगे "भीम राव", गुण-गान करेगा जग उनका।
जीवन से उनके लाभ उठाकर, ऋणी रहेगा जग उनका ।।

शोषित-शुद्र-कुलोत्पन्न, दरिद्रता के दरेर में पले, अस्पृश्यता के अभिशाप के भुक्त-भोगी, दलितों के कर्ण-धार, दीन-दुखियों के दर्दनाक दुखों से द्रवीभूत होने वाले, आदिवासियो के आशा-प्रदीप एवं अधिवक्ता, भारत के महान् मनीषी, गम्भीर

ग्रंथकार, अप्रतिहत समाज-सुधारक, राजनीति तथा विधि-विधान के प्रकांड-पडित, महान-विचारक एवं तत्व-चिन्तक, घनघोर बुद्धिवादी, महान मानवतावादी, भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पी, हिन्दू-कोड-बिल के प्रणेता, बौद्ध धर्म के पुनरावर्त्तक तथा विश्व-बन्धुत्व के उपदेशक डा० भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व में आक्रोश तथा आर्द्रता, विद्रोह तथा विराम, क्राति तथा शांति, सहयोग तथा असहयोग, कठोरता तथा कोमलता, संकीर्णता तथा व्यापकता, जातीयता तथा राष्ट्रीयता, देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व का सुन्दर समीकरण तथा समन्वयकारी चित्र दृष्टि—गोचर होता है।

डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल १८९१ ई० को महामहिम महाराष्ट्र प्रदेश की एक अस्पृश्य, शोषित, दलित तथा पीड़ित जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीराव और उनकी माता का नाम भीमा बाई था। उनके पितामह मालोजीराव अंग्रेजी सेना मे सैनिक के एक छोटे से पद पर और उनके पिता रामजी सेना मे सूबेदार के पद पर कार्य कर रहे थे। इस प्रकार भीमराव की धमनियों में अपने साहसी तथा निर्भीक सैनिक पूर्वजो का रक्त प्रवाहित हो रहा था। अपने चौदह भाई-बहनों से समन्वित भीम-परिवार की भीम-शृंखला की भीमराव अम्बेडकर अन्तिम कड़ी थे। साधन-संकीर्ण तथा निर्धन परिवार की विशालता ने विपन्नता की विकराल ज्वाला उत्पन्न कर दी जिससे सम्पूर्ण परिवार सन्तप्त हो उठा। भीमराव भी जो उस परिवार के अभिन्न अंग थे उस ज्वाला में कैसे सुरक्षित रह सकते थे। अभाग्यवश अल्पायु मे ही माता-पिता का पर-लोकवास हो गया और वे उनके वात्सल्य से भी वंचित हो गये।

भीमराव के बाल्यकाल मे किसी को स्वप्न में भी यह आशा न थी कि पंक-कुल-समुत्पन्न पंकज-भीमराव सरोवर-समाज-सलिलोपरि उठकर अपने सुमन-सौरभ से मधुप-मानव का मन मोह लेंगे और सम्पूर्ण-समाज का गौरव-स्तम्भ बन जाएगे परन्तु विधि का विधान यही था और वह चरितार्थ होकर रहा। इसमे सन्देह नहीं कि जातिगत असुविधाओं तथा पारिवारिक विपन्नता के कारण उन्हे अनेक असाध्य पर्वतीय कठिनाइयो का सामना करना पड़ा परन्तु अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपने अदम्य उत्साह, अपनी अचूक कर्त्तव्य—परायणता तथा असीम अध्यवसाय के बल से अपनी सभी असुविधाओ तथा कठिनाइयों पर उन्होने विजय प्राप्त की।

उन दिनों अछूतों के लिये शिक्षा ग्रहण करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था। कोई भी शिक्षालय अछूतों को प्रवेश नहीं करने देता था बड़ी कठिनाई से और एक

अंग्रेज की सस्तुति पर उनका प्रवेश एक शिक्षण-संस्था में हो सका परन्तु वहां पर वे अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ नही सकते थे। उन्हे अपने बैठने के लिए अपने घर से टाट ले जाना पड़ता था। अछूत होने के कारण ही उन्हे बी. ए. में संस्कृत लेने की आज्ञा न मिल सकी। फलत: फारसी वैकल्पिक विषय लेकर उन्होंने बी. ए. की परीक्षा पास की। बड़ौदा नरेश की कृपा से उनका विदेश जाना तथा वहां पर शिक्षा ग्रहण करना संभव हो सका। सर्वप्रथम उन्होने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम. ए. की उपाधि प्राप्त की। तदुपरान्त पांच विषयों में एम. ए. करके अपने ज्ञान कोष की वृद्धि की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित कर उन्हे सम्मानित किया। इंग्लैण्ड से बार-एट-ला की उपाधि प्राप्त कर वे विधि के प्रकाड पडित बन गये।

अपने व्यक्तित्व का चूड़ान्त बौद्धिक विकास कर लेने के उपरान्त डा० अम्बेडकर ने व्यावहारिक जीवन मे प्रवेश किया। सर्वप्रथम वे बड़ौदा नरेश की सेवा मे प्रविष्ट हुए और बड़े ही उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। परन्तु अछूत होने के कारण कुछ दिनों उपरान्त उन्हे महाराज की सेवा से अलग हो जाना पड़ा। तदुपरान्त कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया और उसमें बड़ी ख्याति प्राप्त की। बम्बई के उच्च-न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे भी कुछ दिनो तक कार्य किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा अद्भुत योग्यता को देश ने स्वीकार किया और उन्हें महान पदों पर प्रतिष्ठित कर उन्हे आदृत किया, और उनकी सेवाओं से अपने को लाभान्वित किया। १९४२ से १९४६ तक उन्हें वायसराय की कार्य कारिणी समिति की सदस्यता के गौरवपूर्ण पद को अलंकृत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। १९४७ से १९५१ तक वे भारत सरकार के कानून मत्री रहे। देश के स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त जब विधान निर्माण के लिये विधायिनी सभा का संगठन किया गया तो वे उसके सदस्य निर्वाचित कर लिये गये। जब विधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिये विधान निर्मात्री समिति का निर्माण किया गया तब वे उसके अध्यक्ष बना दिये गये। इस प्रकार हमारे देश के नये सविधान के निर्माण में जिसके द्वारा अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया है और अछूतो के हितो की पूर्ण सुरक्षा कर उनकी उन्नति का मार्ग परिष्कृत कर दिया गया है डॉ० अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। ६ दिसम्बर, १९५६ ई० को भारत की इस महान् विभूति का देहावसान हो गया। इस प्रकार :—

बुझ गया दीप वह भारत का,
जिसने अछूत उद्धार किया।

सदियों के अभिषापों को,
हिन्दू समाज से दूर किया ॥

डा० अम्बेडकर के जीवन तथा कृत्यों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने के उपरान्त उनके दर्शन की भी बांकी झाकी का दर्शन कर लेना समीचीन होगा क्योंकि प्रत्येक आचार किसी-न-किसी दर्शन पर आधारित होता है। फलतः डा० अम्बेडकर ने भी अपने आचार को निश्चित दर्शन पर आधारित किया। उनके जीवन दर्शन का विकास स माजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक तीनों ही क्षेत्रो में हुआ।

कहा जाता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों की उपज है। डा० अम्बेडकर के सम्बन्ध में यह सूक्ति सर्वथा सत्य प्रतीत होती है। उनके विचारों, उनके दर्शन तथा उनके कृत्यों पर उनकी परिस्थितियों की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है।

डा० अम्बेडकर का जन्म भारत की एक शोषित, घृणित, दलित, पीड़ित, मान-मर्दित तथा शताब्दियों से कुचली हुई अस्पृश्य जाति में हुआ था, जिसका समाज में निम्नतम स्थान था और जिसकी राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का द्वार बन्द था। डा० अम्बेडकर के हृदय में हा-हा कार का मचना, भयंकर तूफान उठना, आक्रोश की अग्नि प्रज्वलित होना, विरोध तथा विद्रोह की भावना का विस्फोट होना और स्वजातियों को सदियों के अत्याचारों से मुक्त करने और उनकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निर्योग्यताओं को उन्मूलित करने और उनकी सर्वागीण उन्नति के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए कटिवद्ध हो जाना उनके लिये स्वाभाविक था। जो वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा इस असाधारण तथा अक्षम्य अपराध के लिये उत्तरदायी थी। उसके प्रति घोर घृणा की भावना का जागरण, उसके ध्वस्त करने का प्रयास आरम्भ करना और यदि वे उसके ध्वस्त करने मे सक्षमन हुए तो स्वजाति वालों को उससे विलग कर उसका अपना स्वतन्त्र समाज स्थापित करने का प्रयत्न करना स्वाभाविक था। डा० अम्बेडकर इस तथ्य से अवगत थे कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कवीर, गुरु नानक, राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महान् समाज-सुधारको के जाति-प्रथा तथा छूआछूत के उन्मूलित करने के सभी प्रयास निराशा की चट्टानो से टकरा कर चूर-चूर हो गये थे और उन्हे अपना अलग पंथ चलाना पड़ा था। डा० अम्बेडकर भी इसके अपवाद नहीं हो सकते थे। अतएव उन्होंने अछूतो के पृथक वासन की मांग आरम्भ की। उनका कहना था कि अछूतों के अलग गांव होने चाहिए जहां स्वतन्त्रता, समता तथा वन्धुता के अनुकूल वातावरण में उनका नैसर्गिक विकास तथा आत्म साक्षात्कार सम्भव हो

सकेगा। स्वर्णतन्त्रीय ग्राम-व्यवस्था में जहाँ प्रति दिन अछूतों का मान-मर्दन होता रहता था, जहाँ-जहाँ उन्हें सिर उठाने का सुअवसर नही प्राप्त होता था वहाँ के कुत्सित वातावरण मे अछूतो का उत्थान सम्भव नही था और उनकी हीनता की भावना का उन्मूलन नही हो सकता था। डा० अम्बेडकर की यह योजना बड़ी ही सार्थक थी। जिस हिन्दू समाज ने अछूतों को शताब्दियों से वस्तुतः स्वर्ण हिन्दुओं से विलग कर रखा था और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक पार्थक्य बना रखा था, वह डा० अम्बेडकर की इस न्यायोचित मांग को न्यायतः अस्वीकार नही कर सकता था। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में अछूत हिन्दू समाज के एक अविच्छिन्न अग थे परन्तु व्यावहारिक रूप मे वे उनसे पृथक थे और उनका अपना अलग समाज था जिसमे कर्तव्य तो थे परन्तु अधिकार कुछ नही था। डा० अम्बेडकर के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने विचारों को समय तथा परिस्थितियो के अनुसार परिवर्तित करने मे लेशमात्र संकोच नही करते थे। वे हठधर्मा न थे। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होने इस बात का अनुभव किया था कि उनकी पृथक वासन की मांग अछूतों के लिये चाहे जितनी उपयुक्त तथा हितकर हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसके परिणाम अच्छे न होंगे क्योकि उनकी यह योजना हिन्दू राष्ट्र को स्वर्ण तथा अवर्ण दो भागों मे विभक्त कर देगी और पाकिस्तान की भाति यह अछूत स्थान की जननी बन सकती थी। घनघोर राष्ट्रवादी होने के कारण डा० अम्वेडकर ने पृथक वासन की मांग को त्याग दिया और हिन्दू-समाज के अन्दर रह करके ही उन्होने अछूतो के उद्धार करने का निश्चय कर लिया।

डा० अम्वेडकर का जन्म ऐसे युग मे हुआ था, जब देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था और देश के सभी बड़े-बड़े नेता इस आन्दोलन मे कूद पड़े थे। डा० अम्वेडकर जैसे महान् व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए इस आन्दोलन में कूद पड़ना स्वाभाविक ही था। कुछ नेताओं की यह धारणा रही है कि डा० अम्वेडकर स्वतन्त्रता विरोधी थे और उसमें रोड़ा अटकाना उनका कार्यक्रम सा बन गया था। परन्तु यह धारणा नितान्त भ्रम मूलक है और सत्य का आलिंगन नही करती। वास्तव मे डा० अम्वेडकर उसी प्रकार स्वतन्त्रता के दीवाने थे जिस प्रकार अन्य नेता। परन्तु उनका यह कहना था कि जिस देश में सामाजिक स्वतन्त्रता की शून्यता है उसमें राजनैतिक स्वतन्त्रता सार्थक नही हो सकती। जो देश अपने समाज के एक अंग को दासता के बन्धन में आवद्ध किए हैं, वह स्वतन्त्रता की मांग किस प्रकार कर सकता है। उनका यह तर्क उसी प्रकार सार्थक था जितनी द्वितीय महासमर के विस्फोट के समय कांग्रेस की यह मांग कि भारत को पहले स्वतन्त्र कर

दिया जाए तब उस अंग्रेजों द्वारा छेड़े गये स्वतन्त्रता संग्राम में घसीटा जाये। वे आन्तरिक स्वतन्त्रता को बाह्य स्वतन्त्रता से प्राथमिकता देते थे परन्तु उन दिनों लोग राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता के इतने दीवाने थे कि डा० अम्बेडकर की वाणी बधिरकर्णों पर उत्पतित हुई और उसका धूम्रावसान हो गया। डा० अम्बेडकर समझ गये कि उनका करुण-क्रंदन अरण्य-रोदन ही होगा। अतएव वे स्वतन्त्रता-संग्राम में आगे बढे।

स्वजातियों की दुर्दशा का ऐसा गहरा निशान उनके हृदय पर अंकित हो गया था कि उसका एक क्षण के लिए भी बिस्मरण करना संभव था। उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान में अछूतों के लिये पृथक निर्वाचन की माग की थी। यह मांग उतनी सार्थक थी जितनी मुहम्मद अली जिह्ना की मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन की मांग थी। यदि मि० जिह्ना के मतानुसार भारत में दो राष्ट्र थे। एक हिन्दुओं का और दूसरा मुसलमानो का तो डा० अम्बेडकर के विचार में सवर्ण हिन्दुओं और अछूतों के भी दो अलग राष्ट्र थे। परन्तु डा० अम्बेडकर राष्ट्रवादी थे। उन्होने मि० जिह्ना की भाति अछूतस्थान की मांग न की और यदि वे इसकी मांग किए होते और भारत के सभी अछूत उसी प्रकार उनके झण्डे के नीचे आकर इसकी मांग किये होते तो वे अछूतस्थान के स्थापित करने में उसी प्रकार सफल हुये होते जिस प्रकार मि० जिह्ना पाकिस्तान के स्थापित करने में सफल हुये। परन्तु राष्ट्र का विभाजन उनके लिये कल्पनातीत था। अछूतों के राजनैनिक हितों की रक्षा दो ही प्रकार से हो सकती थी, या तो पृथक- निर्वाचन प्रणाली द्वारा या स्थानों की सुरक्षा द्वारा। जब पूनापैक्ट द्वारा स्थानों की सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो गया। तब उन्होने पृथक-निर्वाचन की मांग को त्याग दिया और अपनी उत्कट राष्ट्रीयता का परिचय दिया। जब देश स्वतन्त्र हो गया तब अछूतों के सौभाग्य से नये सविधान की रूप-रेखा के प्रस्तुत करने का भार देशबासियों ने डा० अम्बेडकर को ही सौंपा। वे ही इसके प्रधान शिल्पी माने जाते हैं।

अपने जीवन के अंतिम चरण में डा० अम्बेडकर इस निषकर्ष पर पहुँचे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति है और यह आध्यात्मिक आनन्द सच्चे धर्म की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। हिन्दू धर्म में उनका जन्म हुआ था। उसमें उन्हें शान्ति न मिल सकी थी क्योकि वह वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा पर आधारित था। लोकतंत्रीय ईसाई तथा इस्लाम धर्म के द्वार भी उनके लिये अनावृत थे परन्तु वे घनघोर भारतीय थे और किसी विदेशी धर्म की शरण में जाना उनके लिये असह्य तथा असम्भव था। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म ने जो रक्त पात किया था वह डा० अम्बेडकर के मानवतावादी सिद्धांत

के विरुद्ध था। वे एक सार्वभौम धर्म की खोज में थे जो सर्वेसन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् की कामना से प्रेरित हो तथा मानव के भ्रातृत्व में विश्वास करता हो, जिसकी दया केवल मनुष्यों तक ही सीमित न हो वरन् प्राणि मात्र तक व्याप्त हो। ऐसा धर्म उन्हें अपनी मातृभूमि के अंचल में ही प्राप्त हो गया। यह बौद्ध धर्म था जो उनके मानवतावाद के अनुकूल था और जो उन्हें चिर-शान्ति दे सकता था। अतएव वे यह कहते हुए उसी की शरण में चले गये :—

बुद्धं शरणं गच्छामि।

धम्मं शरणं गच्छामि।

संघं शरणं गच्छामि।

तथागत के बुद्धिवादी दर्शन एवम् शान्ति प्रधान आचार नीति ने डा० अम्बेडकर को अवलंब दिया। विज्ञान एवं दर्शन के समन्वित इस तथागत के धर्म में उनको भारतीयता के साथ-साथ महती मानवता का भी दर्शन हुआ। वे बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में समाविष्ट हुये। विश्व के एक इतने बड़े विद्वान का तथागत की माध्यमिक प्रतिपदा की ओर सर्वतोभावेन अभिमुख होना इतिहास की एक असामान्य घटना है।

डा० अम्बेडकर के विचारों में द्वंद्व है किन्तु निर्णय के प्रति अभस्र आयास भी है। अन्याय एवं अविवेक के प्रति प्रतिक्रिया है किन्तु—अहिंसात्मक एवं तार्किक। वे त्याग के, तप के, शांति के, संतोष के, सदाचार के और निषपक्ष न्याय के समर्थक रहे हैं। उन्हें अपने उद्वेगों और उद्गारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता थी। वे निर्भीक थे, साहसी थे, स्वाध्याशील और साधार सत्य के सतत् अन्वेषी थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आचार-पद्धति, भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थशास्त्र तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विधानों का सांगोपांग बोध के बिना डा० अम्बेडकर के भारतीय संविधान के समान संविधान को निर्मित करना सर्वथा असंभव था। मनुष्य के कार्य-कलाप उसके व्यक्तित्व के सार्वजनीन भाष्य हैं। डा० अम्बेडकर तार्किक होने के साथ भावुक भी रहे हैं। अपने साध्यो के स्थापन के लिये वे भरसक हेत्वाभासों से दूर रहे हैं। उनमे शिष्टाचार का पर्याप्त समावेषण था फिर भी वें अन्धश्रद्धा से दूर थे। दंभ से, पाखण्ड से, प्रदर्शन से और छन्दानुवर्तन से वे दूर थे। उनका युग राजनैतिक एवं साहित्यिक महापुरुषों का युग रहा है। उन्होने

राष्ट्र को एवं समाज को जो कुछ दिया है उसका अन्तर्राष्ट्रीय भी महत्व है। मैंने एक इतने बड़े असामान्य व्यक्तित्व को थोड़ी सी पंक्तियों में चित्रित करने का प्रयास किया है। यह मेरा एक साहस ही है। वास्तव में उनके जीवन रूपी भाष्य के ये कतिपय सूत्र मात्र हैं। यदि इससे उनके व्यक्तित्व के प्रति कुछ भी प्रकाश पड़ा तो मैं अपने को अत्यन्त सौभाग्यशाली समझूंगा।

वह जिसके विरुद्ध अम्बेडकर लड़ा था

सूर्यकान्त

भीमराव अम्बेडकर सचमुच अघृष्य एवं महान् थे। भीम का अर्थ 'भयंकर' है; और अम्ब शब्द वैदिक अम्भस् एवं अम्भृण से सम्बद्ध होता हुआ 'महान्' का वाचक है। भीमराव अम्बेडकर प्रथावादी हिन्दुओं के भयानक प्रतिरोधी थे। वे भारतीय इतिहास माला के ज्वलन्त मनके थे।

जब मैं लाहौर विश्वविद्यालय में संस्कृत-विभाग का अध्यक्ष था तब उन्होंने अपनी "Who Were the Sudras" नामक पुस्तक संमति के लिए मेरे पास भेजी थी।

पुस्तक का पन्ना-पन्ना भीमराव के ज्वलन्त व्यक्तित्व से जगमगा रहा था; उसके पन्ने-पन्ने से भीमराव की पैनी प्रतिभा छन रही थी। उस रचना में जान थी; ज्ञान था और मार्के की खोज थी। उसमें तवस्-त्वरा की वह ठेस छिपी थी, जो आदमी को अत्याचार से लोहा लेने पर वाध्य कर देती है, जो ज्यादती के खिलाफ जूझने के लिये आदमी की पीठ में लोहा भर देती है।

हिन्दू-समाज का ढाँचा पुराना है, यह हजारों वर्ष पुराना है। यह बदलता नहीं; टस से मस नहीं होता; जैसा वैदिक युग में था वैसा ही आज भी हमारे सामने है। भेद केवल आँख का है, गहरे पैठने का है। ध्यान से देखने वाले को इसके स्थायित्व की टेक मिल जाती है; वह समझ जाता है कि यह ढाँचा हजारों वर्ष पुराना होकर भी वैसे का वैसा क्यों और कैसे खड़ा है।

आदिकाल से ही हिन्दू-समाज के कर्णधार शारीरिक श्रम से किनाराकशी करते आये हैं, वे शारीरिक मेहनत करने वालों को नीची निगाह से देखते आये हैं। हो सकता है यह बीमारी इस मिट्टी की कदीमी रही हो। मोहन-जो-दड़ो और हरप्पा के अवशेषों मे भी हमें शारीरिक श्रम उत्कर्ष पर पहुँचा नही दीख पड़ता।

हिन्दू-समाज के ग्रामणी दूरदर्शी थे। उनकी आंख अनन्त भविष्य को बींध गई थी। बस, बड़ी सफाई के साथ उन्होने अपने समाज के ढाँचे को बुलन्द किया और इस उत्थानिका का आधार उन्होने शारीरिक श्रम के अनुपात को बनाया। इसे हम दूसरे शब्दों में बुद्धि के उत्कर्ष का अनुपात भी कह सकते हैं।

कर्णधारों ने श्रम के अनुपात पर समाज को चार खण्डों में बाटा था : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण वह है जो 'ब्रह्मन्' अर्थात् प्रार्थना में लीन रहता है। ब्राह्मण अपने शरीर से मोटा काम नही करता, वह तो उसे तपाता और जलाता रहता है। 'जलने' के अर्थ मे प्रयुक्त 'दह'—धातु से निष्पन्न 'दीक्षा' शब्द से यह बात स्पष्ट हो जाती है ब्राह्मण अपने शरीर से काम न कर प्रार्थना की अग्नि मे उसे फूंक-फूंक कर कुन्दन बना लेता है। उसका जीवन तपस्या है, उसका काम आसन जमाना, दान लेना और यज्ञ-यागादि करना-कराना है।

भावना ऊँची है, कल्पना दिलकश है; किन्तु श्रम को यह बुरी तरह कुचल डालती है। ब्राह्मण हाथ से खेती नही करता, उसका सर्वस्व तो श्रवण, मनन निदिध्यासन में है। इसीलिए ब्राह्मण शरीर की परिधि से बाहर है, वह धरती से ऊपर है, खेतों-ख़लिहानों से कोसों दूर है। ब्राह्मण एक रूहानी हवा है, आत्मिक पतंगा है। वह अपनी फूंक से धरती-अम्बर के चूल डिगा देता है, अपनी आँख से दुनिया को खाक में मिला देता है। वह चाहे तो लोक-लोकान्तर रच सकता है; वह इच्छा मात्र से समुद्रों को रीता कर सकता है। उसकी आयु हजार वर्ष से भी ऊपर बताई गई है। वह हवा पर जीता और हवा की तरह सदा-बहार रहता है। परशुराम ने समुद्र रीता कर दिया था। दुर्वासा ने शकुन्तला को जिन्दा ही मार दिया था। पुराण एवं आर्ष काव्य इन शापों एवं वरों के ही प्रपंचमात्र हैं।

सुन्दर स्कीम है, दिलकश कल्पना है, आला ख्याल है। इसमें आसमानी सफाई है किन्तु मेहनत की तो यह जानी दुश्मन है। ब्राह्मण ने हल की मुट्ठी पर हाथ रखा नहीं कि उसका जन्म भ्रष्ट हुआ नही। खेत में पैर धरते ही ब्राह्मण देवता जात से डिग जाता है; उसका हुक्का-पानी गिर जाता है। आज भी इस करिश्मे को देखना हो तो जाओ देवरिया—गोरखपुर जिलों के ब्राह्मण जमीदारों के गांवो में। जगह-जगह इनकी टोलियां चौपालों पर इसी बहस में माथा-पच्ची करती दीख पड़ेंगी।

ब्राह्मण कैलाश पर्वत है, वह सुमेरु है, वह कंचनचंगा की स्वर्ण-नह ई चोटी है। ब्राह्मण धरती से ऊपर बना है, वह पंच तत्वों के भौतिक जगत् से बांसो ऊपर है। बस, मिट्टी से बनी दुनिया से ऊपर उठे रहने में ही उसका बड़प्पन है। वह आसमान में उड़ने वाला 'अपोलो' है जो धरती से मीलों ऊपर उड़ता हुआ नीचे बिछे विश्व प्रपंच को निहारा करता है। वह जितना ही काम से दूर रहता है उतना ही उसका बड़प्पन बढ़ता जाता है। वसिष्ठ की दशरथ पर धाक थी। वरतन्तु के शिष्य कौत्स को देखते ही रघु आसन से उठ खड़े हुए थे। पुराणों के हर पन्ने पर इस प्रभाव की छाप लगी हुई है।

अब आया 'क्षत्रिय'। क्षत्रिय का काम "क्षत्र" अर्थात् राष्ट्र अथवा 'डोमीनियन' की रक्षा करना है। क्षत्रिय शासन के लिए जन्मा है। उसकी मुट्ठी तलवार पर फबती है। क्षत्रिय वह ठाकुर है, जिसकी मूछें बल खाती हुई ऊपर को तनी रहती हैं; जिसकी पगड़ी के बलों की एक अजीब ही शान है। क्षत्रिय के इशारे पर दुनिया झुक जाती है। उसकी दुनिया 'आन', शान और पत पर टिकी होती है। क्षत्रिय वह ठाकुर है जिसकी ठकुराई हल में पाथा फंसाते ही छुई-मुई बन जाती है। यह सूरमा डण्डे का खिलाड़ी है, पैंतरों का माहिर है। उसकी बोली से कमीन दब जाते, और कमेरे कांप जाते हैं। गाँव मे वह जिधर भी निकल जाता है 'राम-राम' और बंदगी का तांता बांध जाता है। चौपाल पर उसका पलग बीच में अलग ही सजा करता है। उसका हुक्का भी गांव वालों से अलग रहता आया है। बहुधा वह हुक्का न पीकर अपने लिए 'कली' ताजी करवाता है।

फिर भी क्षत्रिय दर्जे मे ब्राह्मण से नीचा है; ब्राह्मण के सामने उसकी शेखी किरकिरी है। पुरोहित या पण्डित के आते ही उसकी ठकुराई की टी निकल जाती है।

फिर भी क्षत्रिय शरीर से कुछ करता तो है। वह तलवार चलाता है, धनुषबाण साधता है, डण्डा घुमाता है, और हाथ से मनका न फेर कर मुद्गर घुमाता है। फिर भी वह ब्राह्मण से थर-थर कांपता है। परन्तु अपने से निचले, क्या मजाल उसके सामने या उसकी चारपाई पर बैठ जायें। बैठता हो तो बैठें पायंतों, सिरहाने की ओर कोई बैठा नही कि ठाकुर का पारा ११० से ऊपर चढ़ा नही। क्षत्रिय हाथ हिलाता है केवल शासन के लिए 'क्षत्र' को बचाये रखने के लिए; गीता के प्रामाणिक शब्दों में 'लोकसंग्रह' के लिए। फिर भी वह शरीर से करता तो कुछ है ही; इसीलिए वह ब्राह्मण से दरजे में नीचा है, 'ब्रह्मन' अर्थात् प्रार्थना मे तपने-तपाने वाले ब्राह्मण से अदना है।

अब आइये वैश्य पर। उसका काम 'विश' अर्थात् बस्तियों (Settlements) की आवश्यकताओ को जुटाना है। वह दूकान खोलता, सौदा-पत्ता जुटाता और खेती करता या करवाता है। पशु-पालन उसी के माथे है, डेरी चलाना उसी का काम है। फिर वह 'वणिज' या लेन-देन भी करता आया है। संक्षेप मे वह शरीर से भरपूर काम लेता है। वह शरीर के नजदीक है, धरती के पास है, खेतों-खलिहानो से बंधा है; पशुओं के पहलू में है; बस इसीलिये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनो से दरजे में वह नीचा है। वैश्य इन दोनो की ओर आंख नही उठा सकता; अलबत्ता अपने से निचलों पर त्योरिया उसकी भी तनी ही रहती है।

'विश' अर्थात् बस्तियों का मूलाधार 'पैसा' रहता आया है; और यह पैसा वैश्य के हाथ का मैल है। यह एक आनी-जानी चीज है; आने पर इसके खुशी क्या और जाने पर इसके गम कैसा ? जब आदमी ही पानी का बुलबुला है तब उसके हाथ के मैल का कहना ही क्या ? पर यह सब फिलासफी केवल जिह्वा पर है, यह गले तक भी नही पहुँच पाती। वैश्य पैसे का पीर रहता आया है; लेन-देन में उसकी जान बंधी आई है; सूद की दर उसकी अपनी ठहराई होती है—अक्सर इतनी जो साल मे मूल से भारी जा उतरे। पैसा हाथ का मैल ही तो है, फिर इसका इस जीवन मे अम्बार ही क्यों न लगा दिया जाय; क्यों न पोते-पड़पोतों तक का बीमा करा दिया जाये। कहने को तो जीवन की डोर रामजी के हाथ मे थमी है; पर करनी के समय भगवान को पाताल पठा दिया जाता है। कहने और करने का इतना भेद स्वर्ग और नरक में भी शायद ही दीख पड़े।

कुछ भी कहो, कितनी भी स्मृतियो के प्रमाण पेश करो, गत्यर्थक 'ऋ' धातु से निष्पन्न हुए 'ऋण' शब्द का अर्थ ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि एकबार लिया 'ऋण' इस जन्म में नही उतर पाता; वह पोतों-पड़पोतों तक अटूट ही चलता रहता है। बाप के हाथो लिया १०० रुपये का ऋण पोतों तक को चुकाना पड़ता है। किसान की फसल निसर कर पकने और कटने भी नही पाती कि साहूकार की बोरियां उस 'दई मारे' के घर पहुँच जाती हैं। जिन्दगी भर किसान अपनी फसल का दाना-दाना साहूकार को देता रहता है; और इसी दिन से उससे उधार लेकर साल भर खाता है। बस, इस विधि साहूकारा अटूट बना रहता है और किसान की उसकी जोरू और बाल-बच्चो की खेत मे हड्डिया बहती-गलती रहती हैं। अक्सर तो उसके खेत कुड़क हो जाते हैं; खेत बिक जाने पर उसके डगर-ढोर तक लाव मे लगा लिये जाते हैं। जिन्दगी भर गांवो मे यह दौर देखता रहा हूँ और आखो से उन किसानों पर आंसू

बहाता रहा हूं। आजादी से पहले यह दौर घोर नाटकीय था; अब इसके पैंतरे बदल गये हैं; पर चोट इसकी किसान पर घन जैसी आज भी पड़ती ही रहती है।

बस, दरजे में ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा होकर भी वैश्य साहूकारे के बल पर हिन्दू-समाज में चैन की बंसी बजाता हुआ मुटापे की थलथल में गद्दी सम्भालता आया है, और जबकि समाज के इतर वर्गों को गाँवों में गधे तक की सवारी नहीं नसीब हो पाती साहूकार की बहल तब भी दौड़ती ही रहती है। मैंने किसानों को साहूकारों की बहलें मांगकर अपनी टूटी-फूटी बरातें सजाते देखा है। उन्हें टूटे बैलों पर आगे सरकाते देखा है। वह भी एक जिन्दगी है, इसी धरती पर। गाँव के वे दीन-हीन तन-छीन किसान भी तो हमारे ही भाई हैं—क्योंकि रामजी तो सबमें समान रूप से व्यापा हुआ है। पर यह सब कुछ कथा की चौकी पर भाषण देने के समय, शास्त्र चर्चा मे; साहूकारे की गद्दी पर बैठकर इन बातों का क्या काम ? गद्दी की दुनिया निराली है। उसका धर्म-कर्म और भगवान किसी और ही तरह के बने हैं।

अब आया 'शूद्र'। शूद्र शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं से हुई है : शूः (श्वि मोटा बनना) और 'द्रा' अर्थात् भागना। शूद्र वह है जो स्थूल अर्थात् भौतिक जगत् की ओर भागता है; जो मट्टी में रमता, धरती पर खेलता, खेतों-खलिहानों में काम करता; जो हल चलता, मैंडा मारता, ऊद फेरता, नाज बोता, खेत सीचता, नाज काटता, दाय बोलता, नाज उड़ाता, घड़ बांधता और बोरियाँ ढोता है। शूद्र तीनो वर्णों की मुट्ठी भरता, हुक्का ताजा करता, डंगर-ढोर खोलता, उन्हें चुगाता, घर लाकर उन्हें सानी देता और फिर दूध निकालकर मालकिन को पेश कर देता है। शूद्र बना ही शारीरिक श्रम के लिये है; वह घड़ा ही गया काम के लिये है। वेद के अनुसार पुरुष ने जिस दिन ब्राह्मण को मुंह की जगह, क्षत्रिय को बाहुओ की जगह और वैश्य को ऊरूओं के स्थान पर सिरजा था, तभी उसने शूद्र को पैरों का रुतबा बख्शा था; उसने शूद्र को धरती पर रेंगने के लिए, कूड़ा-करकट ढोने के लिये, खेतों-खलिहानो में पसीना बहाने के लिये घड़ा था। बस, यह 'दईमारा' तो बना ही सेवा के लिये है; उसका धर्म ही मुट्ठी भरना, हुक्का ताजा करना और चौपाल की झाड-बुहार करना है। गांव में शूद्र को कमेरा बनाकर शादी-बारातों में ले जाते हैं। तीन दिन काम करते और चिलम भरते उसकी जान निकल जाती है। विदाई के दिन पट्टे पर दिया तो उसे भी जाता है, किन्तु सबके बाद में; 'कमेरा' कहकर; उसका नाम लेकर नहीं; 'ओ नाई के,' ओ 'झीवर' के इन प्रेमभरे शब्दो मे—उसे बुला लेना भी उसपर एक मेहरबानी करना है। बुलावें भी क्यों न—वह है भी तो हमारा अपना; हमारा नजदीक का, उसमें भी तो वही रामजी बसते हैं जो हममे है—जो सब भूतों में एक

समान है। बलिहारी हैं इस ऊँची फिलासफी की। वार दू अपने पोथी पन्ने इस ऊँची उड़ान पर जीभ की यह ऊँचाई और गहराई कहाँ मिलेगी। एक ही सांस में गाली और पुचकार ! एक ही आँख में सुलगती आग और पानी ! माया इसी का नाम है। यह अनिर्वचनीय है। विरोध ही में तो ब्रह्म का उद्घाटन होता है। क्योंकि वह निर्गुण होकर भी सगुण है; वह निरुपाधिक होकर भी सोपाधिक बन जाता है। यह है चमत्कार फिलासफी का, जिसकी ऊहापोह में हजारों पोथे काले कर दिये गये हैं। किन्तु सेवा करने वाले कर्मकार को देते हुए भी लात मारकर देना; उसे पास बुलाते समय भी उसे धक्का देते रहना—हमारी व्यवस्था की आन इसी में है; हमारे बड़प्पन की ध्वजा इसी पर लहराती आई है।

हमारे शास्त्रों में विरंचि ने स्वर्ग का दरवाजा राजा-रंक सभी के लिए समान रूप से खुला रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को उस सुनहरे स्वप्निल जगत् में जीवन की उस चांदी भरी उपवनी में प्रवेश करने का अधिकार है। परन्तु पहले तीनों वर्णों को यह स्वर्ग इसी जन्म में, इसी धरती पर मिल जाता है। मिलता तो यह शूद्र को भी है, किन्तु उसे यह मिलता है अगले जन्म में, आनेवाले जगत् में, धरती के कही उस पार, जहाँ कोई पहुँचा नहीं है, उस परछाईं जैसे, हुए-अन हुए प्रदेश में जिसे आजतक किसी ने देखा नही है। वाह री प्रतिभा, शूद्र का स्वर्ग भी उसका अपना निराला ही है। इसका वह वहाँ है, जहाँ इसे किसी ने देखा नही है।

फिर गीता ने भी शूद्र के इस स्वर्ग पर अपनी छाप लगा दी है। कहा है कि हर वर्ण को अपना कर्म करके ही मुक्ति मिलती है, दूसरे का नही; बस शूद्र का स्वर्ग सेवा-धर्म में है; मुट्ठी भरने और मालिश करने में है। यदि कही सेवा छोड़ शूद्र ने तप-तपस्या का पल्ला पकड़ लिया तो उसका पाताल-पतन उतना ही पक्का है जितना कि उसका धर्म सेवा करना है।

शूद्र के सिर पर सेवा की पगड़ी जन्मजात बंधी है। वह इसे जितनी ही खिसकाता है वह उसके सिर को उतना ही जकड़ती जाती है। शूद्र का साँस ही श्रम है, उसका प्राण ही सेवा है, उस का धर्म ही तीनों वर्णों के इशारे पर नाचते रहना है।

बात पुरानी पड़ गई है, फिर भी याद दिला दूं तो बुरा न मान जाना। यह उन दिनो की दास्तान है जिन दिनो भारत की धरती पर रामजी का राज्य था। उस त्रेतायुग में धर्म तीनो पैरो पर खड़ा एक अजीब मुद्रा मे रामजी के गुण गा रहा था। तब चहुँ ओर वेद मंत्रो की गूंज थी और शास्त्र चर्चा की धूम थी। तब

लोग कहा करते थे :—

न मे स्तेवो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः।
नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥

तब यज्ञों और सत्रों का धुंआं चांद पर जा बैठा था और स्वाहा-स्वाहा के भार से अम्बर भारी पड़ गया था। अन्तरिक्ष मे ब्रह्मा सरस्वती से सरस्, सोम एवं सीर के विषय ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तब विष्णु और शिव 'माया' पर एक तस्करा कर रहे थे। तब धरती सोने की थी, तब पानी अमृत का था। तब श्यामल तरुओं पर परियां झूल रही थी तब हवा में एक एक मस्ती थी ; इस मस्ती मे वह राम पर टूटी पड़ रही थी। तव की धूप मे चन्दन बरसता था, तब की चांदनी में अतीत के प्रणयी किरण बनकर परियों को छेड़ रहे थे। वह एक युग था, जब मन चाहा मिल जाता था, दिल-चाहा हो जाता था। तब अकाल-विछोना नही सताता था, तब प्रेम-मिलन अटूट चलता था, तब खोये प्रेमी लौट आते थे, तब बिछुड़े स्नेही उठ खड़े होते थे। उन चन्दन-भरे दिनो की दास्ता है, उन दूध भरी रातों का किस्सा है, जब धरती पर देवता चलते थे, जब पानी पर परियां फिरती थी। उन दिनो राम का राज्य था ; उन दिनों स्वर्ग आसमान से धरती पर उतर आया था। यह सब कुछ मैंने अपनी आंखों देखा था। तब मैं मनु बन चुका था, सूर्य बन चुका था ; तब मैं राम का एक सहचारी बन उसके चरणो मे बैठा था। मेरे साथ इसी देश की एक देवकन्या भी थी।

हाँ, यह किस्सा बड़ा पुराना है। भारत की रत्न भरी धरती का है। श्रीराम अपनी गद्दी पर षोडश कलाओं में सजे-विराजमान थे। तीनो भाई छत्र धारण किये प्यारी तस्वीरों जैसे खड़े थे। हनुमान रामजी की मुट्ठी भर रहे थे। धर्म में धुला-पुंछा धरती-अम्बर पादाग्र पर टिका एक टक निहार रहा था कि एकाएक बिजली कड़क गई और आसमान फट गया। एक ब्राह्मण हाथ उठाये आर्तक्रन्दन करता हुआ दरबार मे घुस आया और कातर दृष्टि से राम की ओर निहारने लगा। उसकी जटाओं मे परिन्दों के घोसले फंस चुके थे ; उसके कानों में इन परिन्दों के शावक आ जा रहे थे। ब्राह्मण को इस विषण्ण अवस्था में देख दरबार खड़ा हो गया, रामजी आसन से उठ आगे बढ़े और बोले, ब्रह्मदेव ! यह करुणा-क्रन्दन क्यो, यह आर्तनाद क्यों ? मेरे राज्य मे ब्राह्मणों का बाल कौन बांका कर सकता है ? इसका प्रतिशोध होगा। आदेश दीजिए, ब्रह्मदेव ! मैं पैरो पड़ता हूँ, कृपादृष्टि कीजिए। ब्रह्मदेव बोले; राम ! "क्या लाभ है तेरी इस गद्दी का ? मैं जीवित हूँ और मेरा पुत्र स्वर्ग जा

पहुँचा है। रामराज्य में ऐसा होना असम्भव है" ? यह सुनते ही धरती-अम्बर कांप उठा ; दरबार बोल पड़ा "अब्रह्मण्यम्, अब्रह्मण्यम्" । बालकनी में बैठे देवी-देवताओं ने इस आवाज में साथ दिया । श्रीराम ध्यान-स्तिमित लोचन हो गये ; उन्होंने गहरा प्राणायाम किया और हृदय के अन्तस्तल में पैठ उस दुर्घटना का निदान पा लिया । ब्राह्मण को सान्तवना दे वे धनुर्बाण लेकर जंगल की ओर चल दिये । जाते-जाते गहन विपिन मे देखते क्या हैं कि एक ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ के नीचे एक शूद्र शीर्षासन जमाये घोर तपस्या में समचा रहा है । उसके नाक-मुँह से धुआं निकल रहा था, उसकी आँखों मे बिजली कौंद रही थी । तप की आग में उसका काला शरीर कुन्दन बन चुका था, उसका स्वर्ग सामने खडा था ; अप्सराएं उसकी प्रतीक्षा में थीं । परियां आ-आकर उसके मुँह पर अमृत के छीटें डाल जाती थीं । परियों और फरिश्तों की नजरें उस पर थी कि राम ने आव देखा न ताव ऐसा राम-बाण छोड़ दिया जो तपोधन के वक्षःस्थल को पार कर गया । तपस्वी गिर गया ; तब धरती कांप गई थी ; तब ब्रह्मा की आँखों में आँसू बह निकले थे ; तब मैंने पहली बार विष्णु और शिव की आँखों मे क्रोध की चिनगारियाँ देखी थी । हाँ, तपोधन तपस्वी गिर गया, राम के पूछने पर उसने अपना नाम शम्बूक बताया । यह शम्बूक शब्द भी संस्कृत के कवियों की मूर्खता का परिचायक है-शब्द वास्तव में 'शंमूक' है वह जो कल्याण पा जाने पर मूक अर्थात् चुप हो गया है । शंमूक ने कल्याण स्रोत भगवान के दीदार पा लिये थे, वह शम् अर्थात् श्रेयस् के स्रोत में अभिषेक कर चुका था ; वह शूद्र हो या ब्राह्मण, वह सत्ता के चरम स्रोत का अमृत पीकर अमर बन चुका था । शंमूक था वह पंछी जो पीपल के फल चखता-चखता अपने सखा उस पंछी से बिछुड़ गया था जो पीपल पर बैठता तो है किन्तु उसके फलो को ताक कर भी चखता नही है । हाँ, राम के तीर से मरा शंमूक धराशायी हो गया ; उसने पूछने पर रामजी को अपना नाम-धाम बता दिया । कहते हैं कि राम का बाण लगने के कारण वह सीधा स्वर्ग-चला गया था । रामायण में लिखा है कि शंमूक के मरते ही धरती-अम्बर ने ठंडी सांस ली और तब मलय-पवन ने दुनिया पर खशखाश का अतर छिड़क दिया । गंगा का नीर, जो शंमूक के धुएं से धुंधला पड़ गया था, अब नित्तर हो गया और उसमें नीचे टिकी अशर्फियां दीख पड़ने लगीं । लिखा है कि उस घड़ी जंगल में मंगल हो गया और धर्मराज ने अपनी पत्नी से कहा 'पापी चाण्डाल के भार से धरती दबी जा रही थी—शेषनाग का फण दब कर मुड़ गया था । अब बाधा दूर हो गई है । राम का राज्य अखण्ड चलेगा ।" बस शूद्र की तपस्या का अन्त हो गया, शूद्र को सदियों के लिये सबक मिल गया । उसने पक्की गांठ बांध ली कि उसका स्वर्ग तपस्या में नही तीनों वर्णों की सेवा में हैं ; उसका स्वर्ग इस जन्म और इस धरती पर नही, अगले

जन्म में, किसी और धरती पर, किसी और जगत् में, जहाँ शूद्र के सिवाय कोई और जाता नहीं है। जाये भी क्यों ? किस लिए ? जब दीखते जन्म में भी शूद्र की परछाई निस्तर गंगा को गन्दली बना देती है, तब दूसरे जन्म में शूद्र क्या खाक स्वच्छ बन सकेगा। शूद्र का डर बना रहता हैं, उसकी परछाई में सांप तैरते देखे हैं, उसके सांस में श्मशान का धुआं है, उसके स्पर्श में अपा-मार्ग के काटे हैं—वह जहाँ से निकल जाता है वहा लोहे की कीलें गड़ती चली जाती हैं। हां, तो कहता-कहता भटक गया। शंमूक के निधन के वाद शूद्र समझ गया कि उसका स्वर्ग इस जन्म में नही हैं ; उस दिन के वाद फिर वह आने वाले जन्म की माला फेरने लगा, कही दूर छिपे धरातल की ताक में दिन टेरने लगा—अनन्त की इस तिरमिरी ताक में ही, भावी की इस अनारत मृगतृष्णा में ही शूद्र के जीवन की घड़िया बीतती आ रही हैं।

अब आइये अन्त्यज या चन्डाल पर ! इसकी कहानी तो अपने जैसी आप है। अन्त्य-ज शब्द का अर्थ ही यह है : जो अन्त अर्थात् निम्नतम योनि मे जन्मा हो। अन्त्य-ज वे लोग हैं जिनके पास से निकल जाने पर धूम को वलोस लग जाती है और चांदनी पर माता के मोटे-मोटे दाग़ पड़ जाते हैं। फिर बेचारे शंकराचार्य ही का क्या कसूर ? विचारा स्नान करके आ रहा था, और 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' जप रहा था। पास से एक अन्त्य-ज निकल गया, उलटे पैरों शकर को नदी में स्नान करना पड़ा और मल-मल कर उस परछाई को उतारना पड़ा जो उसके शरीर पर अन्त्य-ज से कूदकर आ चिपकी थी। इतना जहर-भरा था भारत की बसुंधरा का यह मेरा अन्त्यज, जिसकी परछाई ने शंकर के निरूपाधिक ब्रह्म तक को माया का जामा पहरा दिया था।

हाँ, तो देख लो, यह है मेरे आजाद हिन्द का चाण्डाल जो आज भी चौपाल की ढिग पर, सर्दियों में भी ठेठ ईंटों पर, टिक जाता और चौपाल पर हुक्का बजाते चौधरियों के सामने गिड़गिड़ाया करता है। सीधे बोल तो उसके लिये बने ही नही ; वह सीधा बोला नही कि उसकी टटरी पर लीतरी चटकी नहीं। हमारे चाण्डाल से शब्द-ब्रह्म भी तो परे ही रहता है। चाण्डाल एक सांप है, जिसे सामने पड़ते ही कुचल देना भला है। जब पार्लियामेंट और विधान-सभाओं के चुनाव का स्वांग भरा जाता है, और जब भारत के घटे देवता उसमें जूझने निकलते हैं तव बहुत-से गाँव में चाण्डाल सर्प को उसके बिल में ही मूंद दिया जाता है। आज भी दक्षिण की मन्दिरो-भरी भूमि पर जो हिन्दी की बिण्दियों तक से मैली पड़ जती है—अन्त्यज को दिन दहाड़े जलाया जा सकता है। एक अन्त्यज जल गया तो क्या आसमान टूट गया—बस

एक साँप धरती पर से टल गया। अपने घर में ही अन्त्यज की यह खौफनाक होली खेल कर भी मैं जब बोलने पर उतरता हूँ तब साऊथ अफ्रिका को धुआँधार गाली दे डालता हूँ और मेरे देश की इस आवाज में उतनी ही बुलन्दी होती है जितनी कि बोलने वाले के मन में अन्त्यज को धरती पर से हमेशा के लिए विदा कर देने की लालसा। समान-भाव और गरीबों पर दया इसे ही कहते हैं; सच्चा योग यही है; गीता का बताया 'समत्व' यही है।

यह है भारत की कदीमी वर्ण-व्यवस्था, जो हिन्दू-समाज के चिरंजीवित्व की टेक है; जो इस ढाँचे के आजतक खड़े रहने का अटूट साधन है। किन्तु आंख खोल कर देखोगे तो इसी में तुम्हे इस देश के पंगुपन का रहस्य भी छिपा मिल जायेगा।

इस व्यवस्था का आधार शारीरिक श्रम की न्यूनता का अनुपात है। इसके अनुसार जो व्यक्ति जितना ही श्रम से दूर रहता है वह उतना ही आसमान के पास पहुँचता जाता है, वह उतने ही ऊंचे ठाठ-बाट या स्टेटस का बन जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जितना ही अधिक श्रम करता है, वह उतना ही अधिक नीचा है, पदवी में वह उतना ही अधिक घटिया है। बलिहारी है इस व्यवस्था की जो एक साथ हमारे जीवन एवं मौत का नाका है। इसी ने हमें मुस्लिम दौर में मरने से बचाया था। इसी ने हमें ईसाइयत के राज में ईसाई बनने से बचाया है। किन्तु इसी ने हमें जन्म से ही पंगु एवं निरीह भी बनाये रखा है। यह व्यवस्था न हमें छाती तानकर चलने ही देती है और न हमें मौत ही में मिलने देती है।

हाँ, तो देख लो, फल इस व्यवस्था का हमारे सामने है। इस व्यवस्था के पुजारियो ने अनेको राज्य पाये और खो दिये; बेशुमार आसन संभाले जो थोड़ी ही देर बाद इनसे छिन गये। इतिहास इस व्यवस्था का वेदों से आज तक का बड़ा लम्बा है। इस रेगिस्तान मे कही-कही चश्मे भी हैं, किन्तु वे इतनी दूरी पर कि चलने वाला हांफ उठता है; इस व्यवस्था के आसमान में सूरज-चांद भी हैं। किन्तु वे यहाँ थोड़ी ही देर खिलते हैं। इसमे तारे भी हैं; किन्तु वे सब अल्पजीवी, कुछ भागते से, कुछ परछाई जैसे; बस इधर से आये और उधर छिप गये; क्योंकि ये सब नक्षत्र तो बेमूल थे; धरती से बहुत ऊपर थे, खेतो-खलिहानों से बहुत परे थे। मेरे यहां के सामन्त मूछो के तावो पर झूलते आये थे; उनके पैर धरती से बहुत ऊपर लटके रहते थे। बस हवा का झोंका आया नही कि मेरे सामन्त चित्त गिरे नही। नही तो बताओ तुम्ही मुहम्मद गज़नी चन्द सिपाहियो की टोलियाँ लेकर सोमनाथ कैसे पहुँच गया था? इने-गिने मुसलमान भारत की विशाल धरती पर कैसे छा गये थे? वर्ण-व्यवस्था ने

भारत की जनता को बुरी तरह बाँट दिया था ; उसने यहां के लोगों को दल-दल में फांट दिया था ।

ऐसी है भारत की समाज-व्यवस्था जिससे भीमराव ने लोहा लिया था । उसने इससे लोहा लिया था और अपने इस युद्ध में अपनी जान पर खेल गया था । इसमें उसने वे सभी पैंतरे खेले थे, जो यदि किसी और देश में खेले जाते तो शायद भीमराव को अमर बना देते । उसने तंग आकर हिन्दू-समाज को तज बुद्ध-धर्म का पल्ला पकड़ लिया था । मुबारक हो यह जीवन उन्हें जो अपोलो में बैठकर चांद पर नही उतरना चाहते, जो सामने दीखने वाले प्रपंच को तजकर किसी ऐसे धरातल पर नही पहुँचना चाहते जहाँ के नर-नारी प्रेम के दरिया पर बसते और वही का अमृत छकते हैं । जहाँ मैं तू का भेद नहीं हैं; जहां उम्र और जातिवाद का तकाजा नहीं है । जहाँ मैं जिससे चाहता हूँ गले मिल एक हो लेता हूँ । मेरा लक्ष्य वही जीवन है, मुझे वहीं पहुँचना है । मैं एक जल्दी हूँ वहां पहुँचने के लिए जहां आसमान की सरस्वती के दूसरे तट पर मेरी ओर कोई प्यार-भरा हाथ बढ़ा रही है । हां, मुझे चलने दो मैं अब जल्दी में हूँ ।

———

तलहटी से चोटी तक

ए० चन्द्रहासन

डा० अम्वेडकर एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो अनुसूचित-वर्ग के होने पर भी किसी भी उच्च माने जाने वाले वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ लोहा ले सकते थे। मेरा उनके साथ काफी सम्पर्क हुआ था क्योंकि हरिजन सेवक संघ के केरल के मंत्री की हैसियत से मैं काम करता था। उनके मन में यद्यपि दलित-वर्गों के लोगों की उन्नति का वड़ा ख्याल था फिर भी, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वे अपने लिए दलित-वर्गों के खास फायदों का लाभ उठाना नही चाहते थे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी प्रतिभा के वल पर देश में उन्नति करना चाहते थे।

डा० अम्वेडकर का जीवन तलहटी से चोटी तक पहुँचने के लिए सतत प्रयत्नशील किन्तु अन्त में अपनी चेष्टा मे सफल जीवन-यात्रा की गाथा है। इस दुर्गम जीवन-पथ पर पहुँचने के लिए वे अनेक वार अन्य लोगों द्वारा रचित चट्टानो से टकरा कर किन्तु टूटे पुल से भी इतना काम चला सफलता-शिखर की चोटी पर पहुँचने में अन्त में सफल हुए।

जन-साधारण में 'वावा साहेव' के नाम से संवोधित डाक्टर अम्वेडकर उन महापुरुषों में से थे जिनकी महानता का अनुभव उनके अन्तिम वर्षो मे किया जाता है तथा जो अपनी मृत्यु के वाद और भी महान् व्यक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषो की जीवन साधना का पुरुषार्थ केवल उन्हें ही या उनके कुटम्वीजनो को ही धन-संपदा आदि के रूप में प्राप्त नही होता अपितु वह मानो समाजवादी सिद्धान्त के अनुरूप या 'वसुधैव कुटुम्वकम्' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए समाज के अधिकांश को प्राप्त होता है। समाज से स्पृश्य और अस्पृश्य का भेद मिटाने के लिए उन्होंने जो

कुछ किया उसका फल आज कितने ही मानवों को मिल रहा है। दूसरे शब्दों में, मैं यूं कह सकता हूँ कि बाबा साहेब ने अन्य दलित लोगों की उनकी ही भाँति 'तलहटी से चोटी' तक पहुँच सके इसके लिए इतने सोपान विरासत में दे दिये है कि अब कोटि-कोटि जनों के लिए चोटी-चोटी ही नही रह गई है। वे सोपान भारतीय सविधान द्वारा दलित वर्ग को दी गई सुविधाओं एवं अधिकारो में तथा परवर्ती प्रशासनिक कार्रवाई में स्पष्ट परिलक्षित होती है।

जिस संविधान का जिक्र ऊपर किया गया है, उसके सर्वप्रमुख निर्माता डा० अम्बेडकर थे। उसमें उन्होने न केवल समता, न्याय और भ्रातृभाव तथा मूल-अधिकारों जैसी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का समावेश किया अपितु उसमें एक ऐसा सन्तुलन रखा है कि न तो बहुसख्यक लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और न ही अल्पसंख्यक। यूनानी इतिहासकार गोटे के इस विचार का कि किसी भी देश के संविधान मे संवैधानिक नैतिकता का विस्तार न केवल किसी समाज के बहुमत तक सीमित होना चाहिए अपितु पूरे समाज में इस नैतिकता की व्याप्ति अभीष्ट है। यही कारण है कि इस संविधान को भारत के हर वर्ग ने शिरोधार्य माना है। फलतः बहुसख्यक और अल्पसंख्यक समाज के बीच की दूरी कालक्रम से कम होती चली जा रही है और मुझे आशा है कि भविष्य में केवल समानतापूर्ण समाज ही भारत में अस्तित्व में रहेगा। यहाँ इस निष्कर्ष के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक प्रगति के प्रकाश की रेखा प्रारम्भ में बड़ी क्षीण होती है और ज्यों-ज्यो किसी दूरस्थ अग्नि-ज्वाला की भांति वह पास आती चली जाती है या हमारे बीच दिखाई देती है त्यों-त्यों वह विशाल रूप धारण करती चली जाती है। डा० अम्बेडकर को इस प्रकाश-रेखा का प्रज्वालक कहना अनुचित नही होगा।

भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते हुए डा० अम्बेडकर ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था, 'बहुसंख्यक समुदाय का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को समझे कि उसे अल्पसंक्यकों के साथ भेद-भाव नहीं बरतना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग बना रहेगा या उसका अस्तित्व नहीं रहेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बहुसख्यक वर्ग किस प्रकार का आचरण करता है। जिस क्षण बहुसंख्यक वर्ग अल्पसख्यकों के साथ भेदभाव का व्यवहार बन्द कर देगा, उसी क्षण अल्पसंख्यको के अस्तित्व के लिए कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। उसका अस्तित्व ही नही रहेगा।' तो यह थी उनकी समतापूर्ण समाज की कल्पना। यदि आज के भारतीय जीवन का हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि भारतीय समाज इसी

प्रकार के समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। यद्यपि उसकी गति धीमी है किन्तु उसके चरण रुकते नजर नहीं आते।

समतापूर्ण समाज की ओर हमारी गति का एक महत्वपूर्ण कारण वह सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था है जो कि बाबा साहेब ने भारतीय सविधान मे निर्धारित की है। यही कारण है कि उन्हें 'आधुनिक मनु' कहा गया। सम्भवतः किन्ही कारणों से या अपने युग की इस आवश्यकता के कारण कि विजित और विजेताओं में बराबरी का व्यवहार नही हो सकता, मनु ने स्पृश्य और अस्पृश्य की दीवार खड़ी की थी और उसके फलस्वरूप अशपृश्यों पर सदियों तक अत्याचार हुए। बाबा साहेब को भी उस व्यवस्था को दूषित सिद्ध करने के लिए अथक संघर्ष करना पड़ा किन्तु जिस मनु की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उन्हें सघर्ष करना पड़ा उसी 'मनु' की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। महापुरुषों के जीवन मे इस प्रकार के विस्मयकारी प्रसंग प्रायः ही देखने-सुनने को मिलते हैं।

डा० अम्बेडकर की स्मारक-कृति भारतीय संविधान की एक और विशेषता की ओर मैं यहाँ ध्यान देना चाहूँगा। इस संविधान में उन्होने भारतीय भाषाओ को अपना यथोचित स्थान दिलाया है। विशेषकर राष्ट्रभाषा हिन्दी को उन्होने उसका उचित पद दिलाया। वे ऐसा इसलिए कर सके कि वे अपने देश की भाषाओं का सम्मान करते थे। अपनी मातृभाषा मराठी में तो वे साधिकार भाषण देते ही थे, हिन्दी पर पर भी उनका अधिकार था। उनकी शुद्ध एव सस्कृत निष्ठ हिन्दी को सुनकर आश्चर्य होता था। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नही होगा कि उन्होने अनेक बाधाओं के होते हुए भी घोर परिश्रम कर सस्कृत का ज्ञान अर्जित किया था (जब कि यह ज्ञान उनके लिए निषिद्ध था।)

आम तौर पर यह धारणा है कि डा० अम्बेडकर अस्पृश्य वर्ग के ही शुभ-चिन्तक या नेता थे। किन्तु यह ही पूरा सत्य नही है। वे उस शोषित श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग के नेता या सक्रिय हितैषी भी थे जिसके हाथ मे आर्थिक प्रगति का चक्र सुरक्षित है। उसके उत्थान के लिए वे सदैव चिन्तित रहा करते थे। यही कारण भी है कि काफी यश और धन अर्जित कर लेने के बाद भी बम्बई स्थित मजदूरो की एक चाल मे वे वर्षों तक रहा करते थे। अपने निजी निवास-स्थान 'राजगृह' मे तो वे बहुत बाद में गए। साराश यह कि जिस वर्ग या वर्गों की हितकामना वे किया करते थे उसकी समस्याओं और आकांक्षाओं का उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान था।

अन्त मे यह यह प्रश्न उपस्थित होता है कि डा० अम्बेडकर की इस महान् सफलता या महानता का श्रेय उनकी किस प्रवृत्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए यदि उनकी जीवन-धारा का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए ता यह परिणाम सामने आयेगा कि उनकी ज्ञान-पिपासा एवं लेखन-वृत्ति ने उन्हें इतना ऊँचा उठा दिया। पुस्तक-प्रेम सम्बन्धी उनके एक दो जीवन-प्रसंगों का यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित नही होगा। जिस समय वे अमेरिका मे अध्ययन कर रहे थे उस समय उन्होंने लगभग ५००० पुस्तकें खरीदी थी और जब वापस लौटे तब कुछ और पुस्तकें उन्होने खरीदी तथा लौटते समय जहाज में ही उन्हें पढ़ डाला। 'रुपए की समस्या' पर उन्होंने लन्दन में एक निबन्ध लिखा किन्तु उसी समस्या का उन्होने किस प्रकार समाधान किया यह एक और घटना से स्पष्ट हो जाता है। अपने निबन्ध के लिए आवश्यक एक पुस्तक खरीद लेने पर जब उनके पास रुपए नही बचे तो उन्होंने दो दिनों तक बिना खाए-पिए ही अपना काम चलाया।

आज बाबा साहेब का स्मरण करते समय हमें उनके इन शब्दों को सदा स्मरण रखना चाहिए जो कि उन्होंने सविधान पेश करते हुए कहे थे, 'स्वतन्त्रता, समता और बन्धुभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही 'लोकतन्त्र' कहलाता है। स्वतन्त्रता तो हमें मिली किन्तु भारत में समता का अभाव है। यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। इस विषमता को हमें शीघ्र मिटा देना चाहिए। अन्यथा बड़े परिश्रम से निर्मित हुआ लोकतन्त्र का यह मंदिर मिट्टी में मिल जाएगा।'

———

लोकनायक डा० अम्बेडकर के विचार और आदर्श : ऐतिहासिक पूर्वापर-दृष्टि

लालमणि जोशी

'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय' चिन्तन और कार्य करने वाले महामानव बहुत नही हुआ करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसे ही विरल महापुरुषो में से एक महापुरुष थे। उन्हें किसी वर्ग विशेष का नेता या प्रतिनिधि समझना भूल है। वह देशभक्त भारतीय लोकनायक होने के साथ ही विश्व के भी नागरिक थे। उनकी जीवनलीला का परिणाम भारतीय इतिहास की चार बड़ी घटनाओ में से एक क्रान्तिकारी घटना है। हम इन पृष्ठों मे डॉ० अम्बेडकर के विचारादर्शो के पूर्वगामी एवं पश्चातागत कुछ तथ्यों की चर्चा करना चाहते हैं।

ईस्वी सन् के प्रारम्भ से पहले के तीन हजार वर्षों के भारतीय इतिहास की दो प्रमुख घटनायें थी : 'आर्यों' का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण और उनका भारत में बस जाना, तथा अवैदिक सांँस्कृतिक परम्परा के कुछ अग्रणी श्रमणों व मुनियो का आविर्भाव।

पहली घटना १५०० ई० पूर्व घटी थी; दूसरी घटना ८००-७०० ई० पूर्व में। वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ पहली घटना थी; जैन व बौद्ध धर्मों का प्रगट होना दूसरी घटना थी। बर्बर जाति के आर्य भाषाभाषी आक्रान्ताओं के विध्वंसात्मक आक्रमणों के फलस्वरूप भारत के मूल निवासियों की सभ्यता एवं सस्कृति का बहुतांश नष्ट हो गया था। सैन्धव संस्कृति के विनाश का दायित्व 'इन्द्र' की सेनाओं को दिया गया है। वैदिक ग्रन्थों में जिन आर्येतर अवैदिक विचार के मनुष्यों को 'मुनि'

'श्रमण', 'यति', 'वैखानस' और 'व्रात्य' कहा गया है वे सिन्धु नदी की घाटी की तथा उत्तरी भारत की पुरैतिहासिक संस्कृति के अवशेष थे। वैदिक ग्रन्थों के उल्लेखो तथा हड़प्पा (सैन्धव) संस्कृति के अवशेषों में उपलब्ध 'मुनियों' व 'श्रमणों' के प्रमाणों से यह प्रमाणित हो गया है कि १५००-७०० ई० पूर्व के भारत मे दो प्रमुख संस्कृतियाँ विद्यमान थी—मूल भारतीय जनों की 'श्रमण सस्कृति' और बाहर से आये हुए आर्य भाषाभाषी जनों की 'वैदिक' या 'ब्राह्मण संस्कृति।' इनमे से दूसरी प्रकार की संस्कृति का भारत में प्रवेश महत्त्वपूर्ण घटना थी; क्योंकि परवर्ती काल में, आज तक, इसी सस्कृति ने भारत के बहुसंख्यक समाज को प्रभावित किया।

दूसरी बड़ी घटना ८००-७०० ई० पूर्व में घटी थी : इस युग में प्राचीन युग से चली आ रही लगभग लुप्तप्राय मूल भारतीय सस्कृति—श्रमण संस्कृति—के कुछ प्रमुख नेताओ का आविर्भाव हुआ था। यह नेता 'श्रमण' थे, 'मुनि' थे। कपिलमुनि, पार्श्वनाथ, काश्यप बुद्ध, शाक्यमुनि, गोसाल आदि ने श्रमण विचारधारा का मार्ग पुनः प्रशस्त और गतिशील किया था। इन्हीं मुनियो के उपदेशो से श्रमणसंस्कृति की उन विभिन्न विचारतरगों की तरगिणी प्रवाहित हुई जिन्हें हम सांख्यदर्शन, योग-परम्परा, जैनधर्म, बौद्धधर्म और आजीविक धर्म कहते हैं।

× × × ×

इसके पश्चात् का भारतीय संस्कृति का इतिहास ब्राह्मणों और श्रमणों के विचारादर्शों के बीच सघर्ष का इतिहास है। अशोक, मिनान्डर, कनिष्क, हर्ष आदि नरेशों के बिखरे प्रयत्नो से श्रमण संस्कृति को कालान्तर के साथ प्रश्रय मिला था। परन्तु सामान्य रूप से वैदिक परम्परा का ब्राह्मणप्रधान धर्म प्रचलित रहा। यह परिवर्तित रूपान्तरित और परिवर्द्धित होता रहा। परन्तु बौद्ध और जैन धर्मों के असाधारण विकास के बावजूद भी ब्राह्मणधर्म—श्रुति-स्मृति-पुराण सम्मत धर्म—का प्राबल्य बना रहा।

× × × ×

ईस्वी सन् के प्रारम्भ से आज तक का इतिहास लगभग दो सहस्राब्दियों मे विस्तृत है। इतने लम्बे युग के इतिहास मे भी हमारी दृष्टि से केवल दो प्रमुख उल्लेख्य घटनायें घटी हैं : प्रथम घटना थी भारत से बौद्धधर्म का लोप हो जाना। बौद्धधर्म के ह्रास का इतिहास कई शतियो मे फ़ैला है : 'गुप्तकाल' के अन्त से 'राजपूतकाल' तक : सातवी शती से बारहवी शती तक। बौद्धधर्म श्रमणसंस्कृति का सर्वाधिक विकसित पुष्प और विश्वव्यापी मानवीय सभ्यता के स्थाई स्वरों का विशाल स्रोत

था। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का क्लासिकल (निष्णात) स्वरूप बौद्धधर्म-दर्शन के विकास का परिणाम था। ऐसे धर्म-दर्शन का अपने मूल देश में लोप इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी।

भारत में तुर्कों, अफगानों व मंगोलों के आक्रमण अथवा अंग्रेजों के आगमन और इनके शासन स्थापित होने की घटनायें उतनी महत्त्वपूर्ण या क्रान्किारी नहीं थी जितनी कि ऋग्वेदिक 'आर्यों' द्वारा भारत के मौलिक निवासियों और उनकी संस्कृति का संहार करना तथा भारत से बौद्धधर्म-दर्शन की परम्परा का लुप्त हो जाना। मुसलमानों का लगभग छः सौ वर्षों का और अंग्रेजों का लगभग डेढ़ सौ वर्षों का भारत पर शासन 'ब्राह्मण संस्कृति' को न परिवर्तित कर सका और न उसके प्रभाव का कम कर सका। ऋग्वेद के युग से गांधी के युग तक केवल एक घटना—बुद्धों और जिनों का आविर्भाव—ऐसी घटी थी जिसने ब्राह्मण संस्कृति की जड़ें हिलाई थीं, उसका अस्तित्व संकट में डाल दिया था और उसे 'हिन्दू संस्कृति' मे रूपान्तरित कर दिया था। परन्तु ८००-१००० ई० के बीच के वर्षों में ब्राह्मणों ने उसे वचा लिया और विरोधी संस्कृति को, जहाँ तक पचा सके पचा कर, देश से निष्कासित कर दिया।

चूँकि 'वर्णव्यवस्था' ने श्रमणसंस्कृति के लिये 'मरणव्यवस्था' का कार्य किया और यह व्यवस्था ऋग्वेद के 'पुरुषसूक्त' की रचना के समय से श्री मोहनदास कर्मचन्द गाँधी द्वारा रचे गए 'हरिजन' शब्द के समय तक उत्तरोत्तर स्वस्थ और प्रबल होती गई अतएव इस व्यवस्था को 'सनातन धर्म' कहा जाता है। "एष धर्मः सनातनः।" यह बौद्ध संस्कृति की सामाजिक असफलता थी।

× × × ×

खिष्टाब्द के इन दो सहस्त्र वर्षों के इतिहास की दूसरी प्रमुख घटना लोकनायक स्वनामधन्य भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के गणतन्त्रात्मक संविधान की सम्यक रचना है।

इस पुस्तक का महत्त्व स्वतंत्रता-प्राप्ति की घटना से कुछ अर्थों में महत्तर है: स्वतत्रता द्वारा केवल १५० वर्षों की विदेशी सरकार समाप्त हुई, परन्तु संविधान द्वारा हजारों वर्ष पुरानी सामाजिक दासता और धार्मिक पराधीनता की, कम से कम सैद्धान्तिक रूप मे, समाप्ति हुई। जो कार्य बुद्ध, महावीर, अशोक, नालन्दा विश्वविद्यालय, सरहपाद, कबीर, गुरु नानक, रैदास, अकबर आदि पूर्णरूप से सम्पन्न नही कर सके, उसे डॉ० अम्बेडकर के नेतृत्व मे गठित संविधान-संहिता ने पूरा किया।

इस नवीन 'धर्मशास्त्र' (भारतीय सविधान) ने पिछले तीन हजार वर्षों से विकसित ब्राह्मण धर्मशास्त्रों को अनुपयोगी अथवा व्यर्थ सिद्ध कर दिया है। यह इस सदी की सबसे बड़ी क्रान्ति समझी जानी चाहिये। तीन हजार वर्षों के दीर्घकालीन इतिहास में प्रथम और अन्तिम बार भारत की सरकार के तन्त्र को वैदिक-ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। धर्मशास्त्रों, धर्मगोप्ताओं, धर्माधिकारियों और धर्मान्धों की जड़ता के जटिल जाल में जटित शताब्दियों से दलित भारतीय जनता के बहुसंख्यक अंग का उद्धार करने वाली इस क्रान्ति के अग्रदूत की जितनी प्रशंसा की जाय कम ही है।

× × × ×

जिस देश मे शताब्दियों से 'यज्ञो वै विष्णुः'; 'वेदोऽखिलोधर्ममूल'; 'श्रुति-स्मृतिविहितोधर्मः'; 'वेदनिन्दकोशूद्रः'; 'एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रम्'; 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्'; 'श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः'; 'दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः असुर्यः शूद्र." इत्यादि "श्रुति वाक्यों" को दैवी घोषणा मान कर शताब्दियो तक हिंसा, अन्याय, पक्षपात, द्वेष, युद्ध, छल, अज्ञान, असमानता, दरिद्रता, दासता और अन्धविश्वास को उत्तरोत्तर समृद्ध बनाया गया था; जिस देश में "संस्कृत-अल्पसंख्य वर्ग" (Cultured minority) ने शताब्दियों तक बौद्धिक चिन्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक कल्याण, स्वतन्त्र गवेषणा, सर्वधर्मसमानता, आत्म-निर्भरता, एवं धार्मिक स्वतंत्रता आदि मौलिक मानवीय आवश्यकताओ और गुणो के विकास में 'श्रुति-स्मृति' के प्रामाण्य के आधार पर प्रयत्नपूर्वक बाधा डाली थी; जिस देश में धर्म और सरकार; पुरोहित और राजा; धर्मग्रन्थ और ढाल-तलवार; अन्ध-विश्वास और ताकत ने मिलकर अल्पसंख्यक वर्ग को शताब्दियों तक बहुसंख्यकवर्ग पर निरंकुशतापूर्वक शासन करने में सफल बनाया था; जिस देश की जनता ने सहस्राब्दियों तक पुरोहितों और राजाओं और अमात्यों के दमनचक्र के नीचे पिसते रहने के कारण निराश, उदास, असहाय, गरीब और मूर्ख हो जाने पर मध्यकाल मे मन्दिरों पर बसने वाले नाना परमात्माओं की भक्ति का सहारा ही अन्तिम औषधि समझकर रचनात्मक प्रतिभा और राष्ट्रीय स्वाधीनता के विचार को तिलांजलि दे दी थी; जिस देश के धार्मिक नेताओं (ब्राह्मण धर्मावलम्वी पुरोहितो) और लौकिक मालिकों (राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों) को तुर्कों व मगोलों ने बलि के पशुओं की भाँति तलवार की प्रतीक्षा मे ऊँघते हुए पाया था…..उस देश की इन दुर्दशाओं का प्रमुख कारण उक्त श्रुतिवाक्यों पर आधारित विचार और आदर्श थे। अभी तक

इस देश का इतिहास साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से लिखा गया है इसलिये हमारा यह विश्लेषण अजीबोगरीब दिखाई पड़ता है। परन्तु डॉ० अम्बेडकर प्रस्तुत निष्कर्ष के निकट थे।

सामाजिक और धार्मिक समानता का आदर्श भगवान बुद्ध की देशना में सर्व प्रथम परिलक्षित होता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, आर्य, दास, स्त्री व पुरुष, सभी मानव समाज के सदस्यो को स्वेच्छानुसार आध्यात्मिक और बौद्धिक नैतिक और धार्मिक, क्षेत्रो मे प्रगति करने का समान अधिकार सभ्य समाज का स्थाई आदर्श माना गया है। ब्राह्मणधर्म बनाम 'हिन्दू धर्म' के ग्रन्थो में इस आदर्श का प्राचीनकाल से आधुनिक काल तक सतत प्रयत्नपूर्वक विरोध किया गया है। आधुनिक भारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता के विचार पश्चिमी विश्व द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्वाधीनता एव समाजवाद के विचारों से प्रभावित हुए थे। किन्तु सामाजिक एव धार्मिक समानता के विचार और आदर्श श्रमण प्रधान बौद्ध सस्कृति के अभिन्न अग थे। बाबा साहब ने आधुनिक भारत मे सामाजिक विषमता, जाति-भेद, छुआछूत और धार्मिक असमानता की दूर करने के लिए जो महत्प्रयत्न किये उनसे लुप्तप्राय बौद्ध विचारधारा का भारत में पुनरागमन होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

कुछ लोगो को यह भ्रांति है कि बौद्धधर्म 'शूद्रों' व 'अछूतो' का धर्म है। इस भ्रान्ति की बुनियाद ब्राह्मणधर्म के धर्मशास्त्र व पुराण हैं जिनमे भगवान बुद्ध को 'वृशल' (शूद्र), 'कीकट', 'असुर', 'नास्तिक', 'नग्न' आदि उपाधियाँ दी गई है। वैदिक धर्म व वर्णव्यवस्था की आलोचना करने के कारण यह विरुद महाश्रमण शाक्यमुनि को दिये गये थे। इस दृष्टि से सभी बौद्धधर्मावलम्बी 'शूद्र' हैं: प्राचीन भारत के लाखो-करोड़ो ब्राह्मण स्त्री-पुरुष, जिन्होने बोद्धधर्म अपनाया, और विश्व के सभी बौद्धमतावलम्बी देशों के स्त्री-पुरुष: सभी 'शूद्र' हैं। परन्तु इस दृष्टि के दिन बीत चुके हैं। यह वैदिक-ब्राह्मण-दृष्टि अमानवीय तो थी ही अब अवैधानिक और हास्यास्पद भी हो गई है।

दो वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न सन्तान को 'वर्णसकर' की सज्ञा दी गई है। वर्णसंकरो की गणना शूद्रो मे तथा कभी उनसे भी निम्न कोटि मे मानी गई है। हम विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि इस समय किसी देश या स्थान मे कोई भी पवित्र या अछूत नही है: सभी नर-नारी वर्णसकरो की सन्तान हैं। जन्म (=जाति)

को आधार मानकर यदि किसी का स्तर निर्धारित किया जाय तो सभी नरनारी, 'ब्राह्मणों' के वर्गीकरणानुसार, शूद्र या अछूत हैं। ससार में, विशेषरूप से भारत में विभिन्न जातियों का इतना अधिक मिश्रण हुआ है कि जातीय पवित्रता का विचार जड़ता की पराकाष्ठा मात्र है। ऐसी धारणा बाबा साहब की भी थी इसीलिये उन्होने जाति-पाँति की जड़ता के विरुद्ध जग किया था। और यदि वैदिक परम्परा के प्रतिकूल, याने ब्राह्मणेतर, धर्मों को मानने के कारण किसी व्यक्ति को शूद्र या चाण्डाल माना जाय, जैसा कि ब्राह्मणधर्म के शास्त्रो का मत है, तो भी सभी 'हिन्दूधर्म' के अनुयायी शूद्र हैं; सारे संसार के लोग शूद्र ही हैं। क्योकि आधुनिक 'हिन्दूधर्म' या गुप्तकाल (५०० ई०) से विकसित पौराणिक (ब्राह्मण) धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का "अवतार न० ९" माना गया है: सभी वैष्णव कहते हैं: "कलिकाले बौद्धावतारे।" सभ्य संसार में आज बौद्धधर्म-दर्शन का जितना आदर है उतना किसी अन्य धर्म-दर्शन का नही है। बौद्ध सस्कृति विश्व संस्कृति है: इसने लगभग दो हजार वर्षों से एशिया और यूरोप की सस्कृतियो को प्रभावित और रूपान्तरित किया है। यदि बौद्ध धर्म शूद्रो का और अछूनों का धर्म है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो कुछ मूल्यवान और स्थाई महत्त्व का है वह 'शूद्रों' की ही देन है और इन पक्तियो का लेखक अहिंसा, योग, ध्यान, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, अद्वैत दर्शन, व्यक्तिस्वातन्त्र्य का 'विचार', धार्मिक स्वतन्त्रता का आदर्श, और विश्वबन्धुत्व के विचार को इसी सस्कृति की देन मानता है।

भारतीय संस्कृति के विकास का सर्वाधिक समृद्ध एवं स्वर्णयुग बौद्धधर्म-दर्शन के सर्वाधिक विकास का युग था। धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, कला एव साँस्कृतिक प्रसार के क्षेत्र में सम्राट् अशोक के समय (ई० पूर्व ३००) से नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय के अन्त (१२०० ई०) तक जो स्थाई महत्त्व के कार्य हुए थे उनका प्रेरणा-स्रोत बौद्ध धर्म और श्रमण सस्कृति थी। इतिहास का हृदय टटोलने वाले, वर्तमान की गवेषणा करने वाले और अनागत का व्याकरण करने वाले त्रिकालदर्शी अम्बेडकर के विचार और आदर्श इस धर्म और इस संस्कृति से नि श्रित हुए थे।

× × × ×

प्रस्तुत लेखक को दो-तीन प्रचलित शब्दों के अनुचित प्रयोग से आपत्ति प्रगट करने की आवश्यकता है।

कुछ लोग डॉ० अम्बेडकर को आधुनिक भारत का 'मनु' कहकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में यह समुचित विरुद नही है। मनु एक

पौराणिक व काल्पनिक नाम है। 'मनुस्मृति' नामक पुस्तक शुंग युग (१५०-१०० ई० पूर्व) मे एक अज्ञात ब्राह्मण द्वारा लिखी गई ब्राह्मणधर्म की पुस्तक है जिसमें प्रकाशित विचारो व आदर्शों का बहुतांश ऐसा है जिसका निराकरण करने के लिये डॉ० अम्बेडकर ने सतत संघर्ष किया था। जिस 'मनु' के प्रभाव से स्वय मुक्त होकर देशवाशियो को भी मोक्ष मार्ग पर लाने का सफल प्रयत्न बाबा साहब ने किया था उसी 'मनु' के नाम से उन्हें सम्मानित करना क्या उचित है ? हमारी दृष्टि में, नही।

शूद्र, अछूत, दलित आदि शब्दों से सम्बोधित होने वाले भारतीय समाज के एक विशाल अंग को गाँधी जी ने एक विशेष विरुद दिया है : 'हरिजन'। यह वर्ष गाँधी-शताब्दी वर्ष है अतः गाँधी जी की आलोचना में कुछ कहना उचित नही है। परन्तु शूद्रों को 'हरिजन' कहना वही महत्त्व रखता है जो हिन्दू पुराणों में बुद्ध को 'हरि का अवतार' मानना। पुरोहितों व पुराणों की इस 'चाल' के मूल में जो रहस्य था और इसके जो दुष्परिणाम हुए थे उनका सकेत डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार ने एक स्थल पर किया हैं और प्रस्तुत लेखक ने उनका विस्तृत वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है। हम साम्प्रदायिकता के विरोधी और राष्ट्रीय अखण्डता के हिमायती हैं। परन्तु इतिहास लिखने मे साम्प्रदायिकतापूर्ण दृष्टिकोण के हम घोर विरोधी हैं; 'हरिजन' शब्द एक साम्प्रदायिक शब्द हो गया है; इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय एकता के आदर्श के प्रतिकूल है। परन्तु यह तो दूसरी बात है। 'हरिजन' शब्द स्वय में बुरा नही है। इसका प्रसंग और प्रयोजन और अर्थ डॉ० अम्बेडकर के विचारादर्शों के प्रतिकूल है।

जिसका कोई सहायक नही होता, जो निरीह, निर्धन, बेबस, और देवभावना रखने वाला है, उसका सहायक 'ईश्वर' होता है। भक्तों ने गाया है : 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई'; 'तू दानि हौ भिखारी'; 'तजो मन हरिविमुखन को संग', इत्यादि। यदि 'अछूत' और 'शूद्र' ऐसी ही भक्तिभावना रखते हैं तो ठीक है; वह "हरिजन" हैं : 'प्रभु' की प्रजा हैं। परन्तु उन्हे डॉ० अम्बेडकर के विचारादर्शों के साथ 'हरिजन' शब्द के पूर्वापर प्रसंग की लीपापोती करने का कोई अधिकार नही हो सकता है। बाबा साहब ने निर्भीकता, आत्मविश्वास, आत्मोद्धार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का सिंहनाद किया था। बुद्ध ने कहा है : 'अपनी शरण में जाओ, दूसरे की शरण में नही।' 'मनुष्य अपने आप अपना मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है ?' "अत्तसरणं अनञ्ञसरणं।" "अत्ताहि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।" जिस धर्म-दर्शन में 'ईश्वर' या 'हरि' (विष्णु) का कोई स्थान नहीं

है। उस धर्म-दर्शन के आधुनिक उन्नायक के अनुयायी किस प्रकार अपने को बौद्धधर्म-दर्शन से व डॉ० अम्बेडकर से सम्बन्धित करते हैं ?

लगभग एक सहस्र वर्षों से भारत में जिस सामाजिक, धार्मिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण का प्रभुत्व रहा है उसे लोग "हिन्दू दृष्टिकोण" कहते है। हिन्दू शब्द विदेशी उत्पत्ति का है। इसका मूल अर्थ भौगोलिक था। हिन्दू किसी जाति, धर्म, देवता या मनुष्य का नाम नहीं है। जिस धर्म के लिये हिन्दू शब्द का प्रयोग होता है वह वैदिक ब्राह्मण-धर्म का परिवर्तित, परिवर्द्धित एवं रूपान्तरित मध्यकालीन स्वरूप है। वर्तमान हिन्दू धर्म में बौद्धधर्म का बहुताश समाविष्ट है। परन्तु इसका दृष्टिकोण बौद्ध नही अपितु प्रमुखरूपेण वैदिक या 'ब्राह्मणिक' दृष्टिकोण है। इसे हम ('परम्परागत' (सनातन या 'ट्रेडीशनल') या प्रचलित' (बहुसख्यको द्वारा मान्य या आर्थोडॉक्स') दृष्टिकोण कहते है। इस प्रचलित दृष्टिकोण का शक्तिशाली एवं संगठित रूप मे पिछले एक हजार वर्षो से भारत मे प्रसार और प्रचार हुआ है। आज भी यही दृष्टिकोट अपने पूरे दल-बल के साथ विद्यमान है। यह दृष्टिकोण क्या है इसका कुछ परिचय उपरोक्त चर्चा में मिल जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण को "नानापुराण-निगमागमसम्मत" मानना चाहिये। ब्राह्मणधर्म के श्रुतिग्रन्थों, स्मृतियों, पुराणों व धर्मशास्त्रों मे प्रतिपादित सामाजिक व धार्मिक आदर्श इसी प्रचलित परम्परा (ऑर्थोडॉक्स हेरिटेज) की देन हैं।

हमने 'परम्परागत' दृष्टिकोण के प्रतिकूल कुछ बातें कही हैं; हम जिस प्राचीन भारतीय विचारधारा को मानते हैं उसके अनुकूल जो ठीक समझते हैं उसे कहते हैं। विनम्रतापूर्वक परन्तु निर्भयतापूर्वक ऐतिहासिक गवेषणा करना मनुष्य के लिये समुचित है। डॉ० अम्बेडकर के जीवन से हमने यही शिक्षा ग्रहण की है। सम्यक् दृष्टि पहिली चीज है। यदि प्रचलित या परम्परागत दृष्टि सम्यक् दृष्टि के प्रतिकूल है तो विचार और बुद्धि वाले मनुष्य को परम्परागत दृष्टि का परित्याग करना पड़ता है। जिन विचारादर्शो की युक्तियुक्त अपील नही है, जो केवल भूतकाल की वस्तुयें हैं, उन्हे छोड़ने का साहस और प्रयत्न करना चाहिये। वर्तमान युग में मानसिक दासता और परम्परागत दृष्टि के पक में धँसने के विरुद्ध जो चेतावनी डॉ० अम्बेडकर ने दी थी उसे स्मरण रखना चाहिए, सरकार से और समाज से अपनी उन्नति की आशा बनाये रखना बुद्धिमानी नही है। स्वयं अप्रमादपूर्वक अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। यह मार्ग सम्यक् दृष्टि के बिना नहीं खुलेगा और सम्यक दृष्टि के लिये समुचित शिक्षा की अपेक्षा है। डॉ० अम्बेडकर के विचारो व आदर्शों का प्रसार शिक्षा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से किया जाना चाहिये। बौद्धिक जागृति

और पर्याप्त शिक्षा के बिना 'अम्बेडकर मिशन' की सफलता सम्भव नही है। बौद्ध साहित्य के पर्याप्त प्रकाशन और प्रसार के बिना न बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण सम्भव है और न न 'अछूतोद्धार' और न 'हरिजन कल्याण'। ज्यों-ज्यों राजनीति में साम्प्रदायिक तथा 'परम्परागत' तत्त्व प्रबल होते जायेंगे डॉ० अम्बेडकर के कार्यों का भविष्य त्यों-त्यों अन्धकारमय होता जायगा। कहावत है कि 'इतिहास की पुनरावृति होती है।' (हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ)। बीता हुआ युग पुनः वापिस आ सकता है। अतः जागरूक रहने की आवश्यकता है बाबा साहब की सच्ची प्रसशा तभी होगी जब हम उनके स्वप्नों को साकार रूप दे सकेंगे।

परिशिष्ट

इस लेख में प्रतिपादित ऐतिहासिक बिचारों के संकेतो के स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखने वाले जिज्ञासु पाठक निम्नलिखित पुस्तको को पढ़ें :—

१. स्टुअर्ट पिगट, प्रिहिष्टरिक इण्डिया (पेलिकन संस्करण)
२. राहुल सांकृत्यायन, ऋग्वेदिक आर्य (किताब महल, प्रकाशन)
३. धर्मानन्दकोसबी, पार्श्वनाथ का चातुर्याय धर्म (हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई)
४. दामोदर धर्मानन्द कोसबी, दि सिविलाइजेशन एण्ड कल्चर ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया (रूलेज एण्ड केगन पॉल लन्दन)
५. गोविन्द चन्द्र पाण्डे, स्टडीज इन दि ऑरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म (इलाहाबाद यूनिवर्सिटी)
६. लालम णि जोशी, स्टडीज इन दि बुद्धिस्टिक कल्चर ऑफ इण्डिया (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली)
७. हाइन्रिक जिमर, फिलॉसॉफीज ऑफ इण्डिया (मेरीडियन बुक्स सस्करण)
८. पाण्डुरंग वामन काणे, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्र (खण्ड १-५ भाण्डारकर सस्थान, पूना)
९. आनन्द कौसल्यायन, यदि बाबा न होते (दीक्षा भूमि, नागपुर)
१०. मक्स वैबर, दि रिलीजन ऑफ इण्डिया (फ्री प्रेस, इलीनॉइस)
११. रामशरण शर्मा शूद्रज इन एन्शियन्ट इण्डिया (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली)

———

बौद्ध धर्म के अभिनव व्याख्याता : डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर

बुद्ध प्रकाश

एक बार मैं डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर से मिलने दिल्ली, पुराने सचिवालय के निकट, उनके निवासस्थान पर गया तो उनके ड्राइंगरूम में घुसते ही प्लास्तर पेरिस की बनी एक बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति के दर्शन किए। वरद मुद्रा मे स्मितवदना यह मूर्ति करुणा, मुदिता और मैत्री की त्रिवेणी प्रसारित कर रही थी। पूछने पर डाक्टर अम्बेडकर ने बताया कि उसे उन्होंने अपनी भावना के अनुरूप बड़े यत्न से बनवाया है और वह उनकी प्रेरणा का अविरल स्रोत है। वास्तव में वह उन भावनाओं का पुंजीभूत रूप थी जिनसे स्वयं डा० अम्बेडकर का व्यक्तित्व व्याप्त था। उन्होने बौद्ध धर्म को मौलिक रूप से समझा ही नही, उसे अपने जीवन में उतारा भी था। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म संसार के अन्य धर्मों से इस दृष्टि से विभिन्न और विशिष्ट है कि वह दर्शन, विज्ञान और सदाचार का समन्वय कर प्रज्ञा, श्रद्धा और कर्मण्यता की उस त्रिपथगा को जन्म देता है जो आज मानव-संस्कृति की सब से बड़ी आवश्यकता है। इस विचार से उन्होंने बौद्ध धर्म की जो नई व्याख्या प्रस्तुत की उसमे गौतम बुद्ध के मन्तव्य को आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में रखने की चेष्टा निहित है।

गौतम बुद्ध की शिक्षा अत्यन्त सरल और व्यावहारिक थी। उनका विचार था कि संसार में दुःख का कारण इच्छाओं का वह विकृत रूप है जिसे तृष्णा कहते

कहते हैं। तृष्णा के दमन से दुःख का निरोध सम्भव है और इसका उपाय यह है कि मनुष्य ठीक दृष्टि से देखे, ठीक प्रकार के संकल्प करे, ठीक बातें कहे, ठीक काम करे, ठीक तरह से जीविका कमाए, ठीक ढंग के उद्योग करे, ठीक विचार मन मे रखे और ठीक विषयों पर ध्यान दे। [धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त, संयुत्तनिकाय ५५।२।१]। यह जानने के लिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नही है इस बात की जरूरत नही है कि मनुष्य सुनी-सुनाई बातो पर विश्वास करे, पुराने पोथे टटोले, परम्परा का आश्रय ले, तर्कशास्त्र के सिद्धान्तों पर माथापच्ची करे या व्याख्यान देने वाले के व्यक्तित्व पर रीझ कर उसकी बात को दोहराता फिरे। उसे खुद अपनी बुद्धि से अपने अनुभव के आधार पर यह सोचना चाहिए कि कौन-सी बात अच्छी है और कौन-सी बुरी (केसपुत्तियसुत्त, अंगुत्तरनिकाय, ३।७।५)। इसके लिए इस तरह विचार करना आवश्यक है: "जो मैं यह काम करना चाहता हूँ क्या यह मेरा काम अपने लिए कष्ट दायक तो नहो हो सकता? दूसरे के लिए कष्टदायक तो नही हो सकता? अपने और पराये दोनों के लिए कष्टदायक तो नही हो सकता?" इस प्रकार सोच-समझकर, प्रत्यवेक्षा कर, जो काम किया जाता है वह ठीक है अन्यथा ठीक नही है (राहुलोवादसुत्त, मज्झिम-निकाय २।२।१) अनुभव से देखा और जाना जाता है कि लोभ (अभिध्या), द्वेष (व्यापाद), उच्छृंखलता (औद्धत्य-कौकृत्य), सदेह (विचिकित्सा) असंतोष (अरति), आलस्य (तन्द्री) और इनसे प्रेरित कार्य ऐसे हैं जिनसे अपने-पराये दोनों को सुख नहीं मिलता, अपने को कुछ समय के लिए कुछ आराम पहुंचता भी है तो तत्काल दूसरों की हानि होती है, और आखीर में अपने को भी संघर्ष, बेचैनी और परेशानी होती है—इसलिए इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता और इनसे बचना आवश्यक है (नलकपानसुत्त, मज्झिमनिकाय २।२।८)। इसके लिए संसार से भागना, दुनिया को छोड़ना, काया को कष्ट देना, जरुरी नही है, लेकिन भोग-विलास में डूबे रहना, ऐन्द्रिक सुखों में आसक्त रहना, स्वार्थ से लिपटे रहना भी अनुचित है। इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यमाप्रतिपद्, ही श्रेयस्कर और कल्याणकारी है। इस पर चलने से तृष्णा का निरोध होता है और चित्त के संतुलन की वह स्थिति उत्पन्न होती है जिसे निर्वाण कहते हैं।

डा० अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षा के इस नैतिक पक्ष पर विशेष बल दिया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म, (बुद्ध और उनका धम्म), जो बाइबिल की शैली मे लिखी गई है, मे उन्होंने सिद्ध किया कि बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से भिन्न है क्योकि इसमे अलौकिक शक्तियो की परिकल्पना नही है और न उन्हें संतुष्ट करने के लिए किसी उपचार का विधान है। इसमें केवल शुद्ध चर्या का प्रतिपादन है जो

और समाज के समन्वय पर आधारित है (पृ० २२५)। इसका आशय यह नही हम किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए सचेष्ट रहें, इसका उद्देश्य यह है कि हम ाचरण द्वारा इस संसार को ही स्वर्ग बनाएँ। यह शुद्ध आचरण पंचशील, ांक मार्ग और षट्पारमिताओं मे सन्निहित है (पृ० २८३)। इसमे प्रज्ञा, करुणा ील का समन्वय आवश्यक है। बिना प्रज्ञा के करुणा रूढिमात्र बन जाती है, बिना । के प्रज्ञा नीरस तर्कजाल हो जाती है, बिना प्रज्ञा और करुणा के शील का अर्थ ड़ाहट रह जाता है और बिना शील के प्रज्ञा और करुणा निरी बोखलाहट होती है। अतः इन तीनों को साथ लेकर चलना आवश्यक है (पृ० २९१) ०१—३०५)। इन तीनों पर आधारित धर्म चूंकि शुद्ध आचरण है इसलिए ामाजिक है (पृ० ३१६)। नैतिकता मनुष्यो के पारस्परिक सम्बंधो का नाम है ३२२) और उनके सार्वभौम समानता और भ्रातृत्व के आदर्श की संज्ञा है ३२५)। अतः इसे हम समाज के नवनिर्माण का मूलमंत्र मान सकते हैं। डा० डकर ने इसके इस पक्ष की विशद व्याख्या की।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बुद्ध ने विश्व मे सब जगह दुःख देखा वे इसके कारण की खोज मे प्रवृत्त हुए। उनकी शिक्षाओ और प्रवचनों मे की काफी चर्चा है जिससे ऐसा लगता है कि वे दुःखवादी थे और जीवन-मरण ां को दुःख मानते थे। डा० अम्बेडकर ने आरम्भ में ही प्रश्न उठाया कि यदि र में सब कुछ दुःख ही है तो धर्म और दर्शन कैसे सुख के सम्पादन की बात कर ते हैं (वही, प्रस्तावना, पृ० १०)। किन्तु स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कि "कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि संसार में सर्वत्र शोषण है और धनिक क धनाढ्य होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक दरिद्र बन रहे हैं, पर किसी ने उनपर निराशावादी होने का आरोप नही लगाया, तब फिर बुद्ध के सिद्धान्त के य मे ऐसी दृष्टि क्यो अपनाई जाए? बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य मे दुःख की बात र कही, लेकिन अगले आर्य सत्यो में इसे दूर करने की सम्भावना और आवश्कता बल दिया"। "जो शिक्षक दुःख को दूर करने के लिए आतुर हो उसपर निराशा- (का आरोप लगाना ठीक नही है" (पृ० ५१२)।

बुद्ध ने मानव जीवन में व्याप्त दुःख के कारण की खोज करने पर यह पाया यह तृष्णा है। तृष्णा के निरोध से दुःख का अन्त किया जा सकता है। इसके ए अष्टांगिक मार्ग विहित है जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इसका पहिला ग सम्यक् दृष्टि अर्थात् ठीक तरह से वस्तुओं को देखना और समझना है। इससे ार्थ दर्शन की निष्पत्ति होती है। बुद्ध ने इस दर्शन की गवेषणा करते हुए इसके

मूलसूत्र प्रतीत्य-समुत्पाद को खोज निकाला। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु देश और काल की वह अविभाज्य इकाई है जो अपने से पूर्व की वस्तुओ की अपेक्षा रखती है और स्वयं अन्य वस्तु का कारण बनती हैं। कोई वस्तु अपने आप में स्वतन्त्र अथवा स्वनिर्मित नही है। वह दूसरी वस्तुओं के कारण उत्पन्न होती है और स्वयं अन्य वस्तुओं का कारण सिद्ध होती है। यह कारण बनने की क्षमता अर्थात् अर्थक्रिया की सामर्थ्य ही उसका स्वरूप या अस्तित्व है। कोई एक वस्तु ही किसी दूसरी वस्तु का कारण नही होती, वरन् सब वस्तुओं का संघात उसका कारण बनता है। उसका कार्य केवल इतना है कि वह उस कारणता में योग दे जिसमें समस्त अन्य वस्तुएँ भाग ले रही हैं। इस प्रकार विश्व की समस्त वस्तुएँ किसी एक वस्तु का कारण बनती है और वह वस्तु भी उत्पन्न होते ही उस विश्वव्यापी कारणता का भाग बन जाती है जिससे नित्य वस्तुओं का उत्पाद और व्यय हो रहा है। समस्त विश्व कारणता अर्थात् स्वयं समाप्त होकर दूसरों को उत्पन्न करने में योग देने की सामर्थ्य का अविरल प्रवाह है। इस दृष्टि से विश्व मे आत्मा जैसा कोई नित्य या शाश्वत तत्त्व नहीं है। जिसे हम मनुष्य का व्यक्तित्व कहते हैं वह रूप, वेदना, संज्ञा, सस्कार और विज्ञान की परस्पराश्रित क्षण-संततियों का संघात है। यह नदी के प्रवाह के समान सदा गतिशील रहता है, न इसके आरम्भ को खोजा जा सकता है, न इसके अन्त का पता लगाया जा सकता है, न इसमें नित्यता का प्रश्न उठता है, न उच्छेद की परि-कल्पना संभव है। यही कारण है कि बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का खण्डन किया। जब भिक्षु स्वाती ने उनके कहने का अर्थ यह लगाया कि विज्ञान ही एक जन्म से दूसरे जन्म मे जाता है तो उन्होने इसका जोर से निषेध किया और जब भिक्षु यमज ने उनका यह अभिप्राय समझा कि मृत्यु पर मनुष्य का पूर्णतः अन्त हो जाता है तो उनके शिष्य सारिपुत्र ने उसका खुला खण्डन किया। बात यह है कि विश्व में वस्तुओं के संघात से जो उनके उत्पाद-व्यय की प्रक्रिया चल रही है उसमें नित्यता या उच्छेद का कोई सवाल ही नही उठता। बुद्ध ने इसी बात पर जोर दिया और इसे ही शुद्ध दृष्टि या सम्यक् दर्शन घोषित किया और इसे ही तृष्णा के निरोध और फलतः दुःख के अन्त का उपाय बताया।

यदि हम उपर्युक्त दृष्टि से जगत् और जीवन को सब धर्मों (वस्तुओं) के संघात से उत्पन्न समझें अर्थात् इनकी परस्पराश्रितता, अन्योन्यापेक्षत्व, सस्कृतत्व अथवा शून्यता को हृदयंगम करें तो हमारे मन में मैं, मेरा, मुझे का अहंकारपरक ज्ञान उत्पन्न नही हो सकता जो तृष्णा का जनक होता है। जब मनुष्य यह सोचता या मानता है कि "मैं" एक नित्य इकाई हूँ, एक सदा रहने वाली सत्ता हूँ, एक शाश्वत आत्मा हूँ, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे को इसी तरह धारण करता

ोई एक वस्त्र उतार कर दूसरा ग्रहण करता है, तो वह समस्त जगत् और ो अपनी ओर केन्द्रित होता हुआ अनुभव करता है। वह चाहता है कि सारी उसी के लिए चले, हर वस्तु उसी के सुख का साधन बने, प्रत्येक व्यक्ति ी समृद्धि का माध्यम हो। इसी का नाम तृष्णा है। किन्तु इसका पूरा संभव है, इसलिए यह अधूरी रह जाती है, इसी को दुःख कहते है। इस आत्मा की परिकल्पना तृष्णा का कारण है और तृष्णा से दुःख उत्पन्न होता : प्रतीत्य-समुत्पाद का दर्शन आत्मा का निषेध कर तृष्णा का निरोध करता दुःख अन्तकृत् सिद्ध होता है।

प्रतीत्य-समुत्पाद को मानने वाला दर्शन 'विद्या' कहलाता है और आत्मा को ाले दर्शन का नाम 'अविद्या' है (अभिधर्मकोश, ३/२८ हेतुरत्र समुत्पादः म् फलं मतम्। विद्याविपक्षो धर्मोऽन्योऽविद्यामित्रानृतादिवत्)। जब मनुष्य को मानकर चलता है, अर्थात् 'अविद्या' के दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, वह भवचक्र प्रतीत होता है जिसके बारह अंग इस प्रकार हैं : अविधा, संस्कार, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपाद न, भव, जाति, जरामरण। का अर्थ आत्मा को मानकर चलना है। इससे एक विशेष दृष्टि उत्पन्न होती खास किस्म का संस्कार बनता है। उसके अनुरूप ऐसा लगता है कि विज्ञान का सूक्ष्मरूप है और नामरूप (मन और भूत) स्थूल रूप। अर्थात् जन्म से विज्ञान चलकर नए जन्म में आता है और फिर भौतिक मानसिक तत्त्वों से बने शरीर का रूप धारण करता है। इसके बाद में छः आयतनों (इन्द्रियों) का उद्भव होता है। ये हैं आँख, कान, नाक, जीभ, और मन। इसके बाद उसका बाह्य जगत् से सम्पर्क होने लगता है। इसमें न्द्रिय अधिक सक्रिय रहती है। इस सम्पर्क अर्थात् स्पर्शेन्द्रिय के कार्य के फल- वह बाह्य जगत् की अनुभूति करता है। यह वेदना की अवस्था है। इससे सुख- का अनुभव होता है। मनुष्य सुख से चिपटना और दुःख से भागना चाहता है। यही ा है। इसके कारण आसक्ति होती है। इससे वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ी है। इसका नाम उपादान है। इससे मनुष्य अपने आप को ध्रुव केन्द्र समझने ा है और समस्त विश्व को उसकी ओर घूमने और खिचने वाला वृत्त मान लेता उसकी दृष्टि में उसका व्यक्तित्व ही मूलभूत इकाई है। इस आत्मकेन्द्रित ्तित्वप्रधान स्वार्थपरायण मनोवृत्ति की उत्पत्ति को 'भव' कहते हैं। इसी से जन्म -मरण की प्रतीति और उससे उत्पन्न दुःख, दौर्मनस्य परिदेव और उपायास होते 'महानिदानसुत्त', दीघनिकाय २।१५)। इस प्रकार आत्मा को नित्य मानकर, 'मैं',

'मेरा' और 'मुझे' की धारणा से, मनुष्य जिस रूप में जीवन के क्रम को देखता और अनुभव करता है उसका नाम 'भवचक्र' अथवा 'द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पाद' अर्थात् 'आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद' है। वैसे तो समस्त जगत् प्रत्येक वस्तु का कारण बनता है, सब वस्तुओं से एक की उत्पत्ति होती है (अभिधर्मकोश २।५० स्वं विहाय सर्वे धर्माः स्वतोऽन्ये कारण हेतु :), परन्तु इस आत्मपरक अविद्यामूलक दृष्टि से प्रत्येक अवस्था मे एक ही कारण की प्रधानता दिखाई देती है (अभिधर्मकोश ३।२५ आवस्थिक क्लिष्टोऽयं प्राधान्यात्त्वंगकीर्तनम्) ।

इस प्रकार यह स्पस्ट है कि आत्मा को नित्य वास्तविक सत्ता समझने से ही व्यक्तित्व का वह बोध होता है जिसके सन्दर्भ में जन्म, जरा, मरण अनुभूति के विषय और प्रतीति के केन्द्र और फलतः दुःख के कारण बनते हैं। आत्मा को सही मानने पर ही यह प्रश्न उठता है कि वह एक जन्म से दूसरे में प्रवेश करता हुवा जन्म, जरा, मरण के दुःख को सहन करता है। इस दृष्टि से ही जन्मजन्मान्तर के क्रम मे कर्मफल के संक्रमण की बात सूझती है। अतः हम कहते हैं कि कर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। अर्थात् कर्म के फल के उपभोग के निमित्त और उसके अनुरूप बारम्बार जन्म लेता और मरता है। इस प्रकार जन्म-जरा-मरण की प्रक्रिया की परिकल्पना आत्मा को सही मानने वाली दृष्टि के साथ नत्थी है।

किन्तु आत्मा को न मानना अर्थात् नैरात्म्यदृष्टि को अपनाना उस अनुभूति को उत्पन्न करता है जिसमें जन्म-जरा-मरण की परिकल्पना की कोई सार्थकता नही है। यदि हम यह जान लें कि संसार में कोई नित्य या ध्रुव सत्ता नही है, बल्कि सब कुछ क्रिया, सामर्थ्य और कारणता का सन्तान और प्रवाह है, तो किसी के आरम्भ या उच्छेद, जन्म या मरण, का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रत्येक वस्तु क्षणिक इकाई (क्षण-स्वलक्षण) है, जिसे समस्त हेतुओं और कारणों की उपस्थिति-मात्र (हेतु-कारण-सामग्री) कहा जा सकता है, और जो उनके साथ मिलकर अन्य वस्तुओं के उत्पाद का हेतु या कारण बनती है। इन क्षणिक इकाइयों की सन्तति गतिशील या चलायमान (चलः प्रतीत्यसमुत्पादः) रहती है। जो भूति है वही क्रिया है (या भूतिः सैव क्रिया), जो सत्ता है वही व्याप्तति है (सत्तैव व्याप्ततिः)। अर्थात् जो कुछ भी है वह गतिशील और क्रियात्मक हैं। दूसरे शब्दों मे विश्व एक प्रक्रिया है जो क्षणिक इकाइयों (क्षण-स्वलक्षण)से बनी है। इन क्षणिक इकाइयों की समग्र सन्तति नित्य नई इकाइयों को उत्पन्न कर रही है और ये नई इकाइयां उस सन्तति में समा कर अन्य इकाइयों की उत्पत्ति का कारण बनती जा रही है। इसमे आदि और अन्त, आरम्भ और उपसंहार, का प्रश्न नही उठता

क्योंकि प्रत्येक क्षण, क्रिया का पर्याय होने के कारण, उत्पाद और व्यय, जन्म और मरण, का संगमस्थल है। मनुष्य नामरूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान नामक जिन पाँच स्कन्धों से बना है उनमें से प्रत्येक क्षणिक इकाइयों के नित्य उत्पाद-व्यय और जन्म-मरण की परस्पराश्रित प्रक्रिया है। प्रत्येक स्कन्ध की प्रत्येक क्षणिक इकाई अन्य सब स्कन्धों की सभी क्षणिक इकाइयों से जुड़ी हैं। सब की सामूहिक क्रिया प्रत्येक की क्षणिक इकाइयों के उत्पाद का कारण है। इस प्रकार मनुष्य इन पांचों स्कन्धों की सहकारी और परस्पराश्रित क्षणिक इकाइयों के उत्पाद-व्यय की क्रिया होने के कारण नित्य जन्म-मरण के क्रम से गुजर रहा है। यह क्रम न उसके जन्म से आरम्भ होता है और न उसकी मृत्यु पर समाप्त होता है। यह अनवरत चलता रहता है। इसके विषय में पुनर्जन्म का प्रश्न उठाना बेकार है, क्योंकि पुनर्जन्म किसका ? जब सब कुछ क्षणिक इकाइयों की अन्योन्यापेक्ष सन्तति है तो एक इकाई के बाद दूसरी आ रही है, कोई ऐसी चीज़ नही है जो एक के बाद दूसरी में संक्रान्त हो रही हो, इसलिए किसी के एक जन्म से दूसरे में जाने की बात पैदा नही होती, अर्थात् पुनर्जन्म की परिकल्पना ही व्यर्थ है। मनुष्य क्षणिक इकाइयों का ऐसा प्रवाह हैं जिसमें सब इकाइयाँ मिलकर नई इकाइयों को उत्पन्न कर रही हैं और उनके उत्पन्न करते ही स्वयं समाप्त हो रही हैं। नाम-रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान सब की क्षणिक इकाइयाँ मिलकर प्रत्येक की नई इकाइयों को पैदा कर रही है। इन नई इकाइयों के पीछे मनुष्य का समस्त कार्य-कलाप ही नही है वरन् सम्पूर्ण विश्व की सन्तत है। मनुष्य जो कुछ कर रहा हैं उस पर इस सन्तति की छाप है और वह भी इस पर छाप डाल रहा है। इस प्रकार विश्व के साथ मनुष्य भी क्षणिक इकाइयों के प्रवाह की तरंग के रूप में नित्य उठता-गिरता, उभरता-खिसकता चल रहा है। उसके लिए जन्म और मरण ऐसे ही है जैसे क्षणिक-बिन्दुओं के सन्तान के रूप में प्रवाहित नदी में तरंगों का नित्य उतार-चढ़ाव। इन्हें ध्रुव सीमाएँ मानना या निश्चित रेखाएँ समझना भूल है। और इस दृष्टि से पुनर्जन्म या जन्मान्तर की बात करना निरर्थक है।

उपर्युक्त चर्चा का अभिप्राय यह है कि आत्मा को मानने पर ही जन्म, जरा, मरण और पुनर्जन्म की परिकल्पना उत्पन्न होती है, आत्मा को न मानने पर इसका अवसर या अवकाश नही रह जाता। आत्मा को मानने पर अविद्या से शुरू होने वाले आवस्थिक द्वादशाँग प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रतीति होती है जो जन्म, जरा, मरण और पुनर्जन्म की अनुभूति का आधार है, आत्मा को न मानने पर क्षणिक प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रतीति होती है, जिसके अन्य रूप प्राकर्षिक, प्रतीत्यसमुत्पाद और

सांबंधिक प्रतीत्यसमुत्पाद भी हैं, जिनमें क्षण, सन्तान या सम्बन्ध का भाव निहित रहता है और जन्म, जरा, मरण और पुनर्जन्म की अनुभूति के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार नैरात्म्य विद्या को मानने के कारण बुद्ध उच्छेदवादी भी नही है और साथ ही पुनर्जन्म को भी अव्याकृत और निरर्थक घोषित करते हैं। किन्तु उनके दर्शन के इस पक्ष को ठीक से समझे बिना बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह भ्रम उनके युग में भी था और बाद में भी चला और आज भी है। इसके कारण लोग उन्हे असंयत, असंगत और परस्परविरोधी बातें कहने वाला मानते आए हैं और मानते है। डा० अम्बेडकर की यह बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने बुद्ध के वास्तविक मन्तव्य को समझ कर इसे बहुत स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया है।

बौद्ध दर्शन की उपर्युक्त समस्या को डा० अम्बेडकर ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया "बुद्ध ने आत्मा का निषेध किया। लेकिन उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का व्याख्यान किया। एकदम एक प्रश्न उठता है, 'यदि कोई आत्मा नही है तो कर्म कैसे हो सकता है? यदि कोई आत्मा नही है तो पुनर्जन्म कैसे सम्भव है?' ये पेचीदा प्रश्न है। किस अर्थ में बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म इन शब्दों का प्रयोग किया? क्या उन्होंने इनका प्रयोग उससे भिन्न किसी अर्थ में किया जिसमें उनके समय के ब्राह्मण करते थे? यदि ऐसा है, तो उन्होने किस अर्थ में इनका प्रयोग किया? क्या उन्होंने इनका प्रयोग उसी अर्थ में किया जिसमें ब्राह्मण करते थे? यदि ऐसा है तो क्या आत्मा के निषेध और कर्म और पुनर्जन्म के व्याख्यान में घोर विरोध नहीं है? इस विरोध को दूर करने की आवश्यकता है ("दि बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म प्रस्तावना, पृ० १०)।

डा० अम्बेडकर ने स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर दिया। यह इस प्रकार है: क्या बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? उत्तर है 'हाँ'। इस प्रश्न को दो भागों में बाँटना बेहतर है, किस वस्तु का पुनर्जन्म और किस व्यक्ति का पुनर्जन्म। इन दोनों को अलग-अलग लेना चाहिए। पहिले इस पर विचार करें कि किस वस्तु का पुनर्जन्म। इस प्रश्न की सदा अवहेलना की जाती है। इन दोनों प्रश्नों की खिचड़ी से बड़ा घोटाला होता हैं। बुद्ध के अनुसार चार तत्त्वों से मनुष्य का शरीर बना है, ये हैं—पृथ्वी, जल, तेज और वायु। प्रश्न यह है कि जब मनुष्य मरता है तो इन चार तत्त्वों का क्या होता है? क्या वे भी उसके साथ मर जाते है? कुछ लोगों का कहना है की वे ऐसा ही करते हैं। बुद्ध ने कहा 'नही', वे आकाश मे विद्यमान इन तत्त्वो के समूह में मिल जाते हैं। जब इस समूह से पृथक होकर ये तत्त्व फिर मिलते है तो

पुनर्जन्म होता है। यही बुद्ध का पुनर्जन्म का अर्थ था। यह जरूरी नहीं है कि ये तत्व उसी शरीर के हों जो मरा है। वे विभिन्न मृत शरीरों के हो सकते हैं (वही, पृ ३३०)।

सब से कठिन प्रश्न यह है कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। क्या उसी मृत व्यक्ति का नया जन्म होता है? क्या बुद्ध इस बात को मानते थे? उत्तर है, 'नितान्त असम्भव'। यदि नया शरीर विभिन्न व्यक्तियों के शरीरो के तत्वों के योग से बनता है तो पुनर्जन्म तो होता है किन्तु किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म नही। इस बात को भिक्षुणी खेमा ने राजा पसेनदी को समझाया। उसने कहा कि मरने के बाद तथागत ऐसा हो जाता है जैसे गगा के रेत का कण या समुद्र का बिन्दु। जैसे कण को रेत से अलग नही किया जा सकता और बिन्दु को समुद्र से पृथक् नही किया जा सकता, और जैसे यह नही कहा जा सकता कि कण अलग से है या नही, बिन्दु अलग से है या नही, इसी तरह तथागत के विषय में भी नही कहा जा सकता कि वह मरने के बाद है या नही (वही, पृ० ३३३, ३३५)

कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य के विषय मे नैरात्म्यदृष्टि से अथवा 'विद्या' के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो लगता है कि जिन परस्पराश्रित क्षणिक इकाइयो के पाँच स्कन्धो से उसका व्यक्तित्व बना है वे जैसे उसके जीवनकाल में नई इकाइयो को उत्पन्न करती हैं वैसे ही उसके मरने पर नई इकाइयो को पैदा करती रहती हैं; इन नई इकाइयों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में विश्व की समस्त इकाइयो की कारणता का योग रहता है; वे उनके आश्रय और उनकी अपेक्षा से उत्पन्न और समाप्त होती हुई नई इकाइयों को उत्पन्न करती हैं—इस प्रकार किसी व्यक्ति के जन्म मे पहिले मृत व्यक्तियों की क्षणिक इकाइयाँ ही नही विश्व भर की क्षणिक इकाइयाँ सक्रिय रहती हैं। यदि हम पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग करने पर ही तुले हो तो हमें यह कहना चाहिए कि किसी व्यक्ति के जन्म में किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता बल्कि समस्त विश्व का पुनर्जन्म होता है जिसमें वह मृत व्यक्ति भी लीन हो चुका होता है अर्थात् जिसमें उसके शरीर के तत्व ही नही, विचार, भाव, कर्म आदि भी समाए रहते हैं।

कर्म के सिद्धान्त की चर्चा करते हुए डा० अम्बेडकर लिखते हैं कि इसे बुद्ध ने जिस रूप मे प्रतिपादित किया है वह इसके हिन्दू रूप से भिन्न है। हिन्दुओं मे कर्म पैतृक है, वह एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। ऐसा आत्मा के आवागमन के कारण होता है। प्रत्येक कर्म आत्मा पर अपनी छाप छोड़ता है। जब मनुष्य मरता

है तो उसका आत्मा इस छाप को लिए अगले जन्म में जाता है। यह छाप अगले जन्म मे उसकी स्थिति को निर्धारित करती है। यह मत बुद्ध की नैरात्म्य दृष्टि के प्रतिकूल है। उनके द्वारा प्रतिपादित कर्म का सिद्धान्त इससे भिन्न है। वे मानते हैं कि कर्म का संक्रमण नहीं होता यह दायाद्य की तरह पिता से पुत्र के पास पहुँचता है। माता-पिता के गुणावगुण रज और शुक्र के अणुओं मे पहुँचकर और आपस में मिलकर बालक के लक्षणों में सक्रान्त होते है। इसी दृष्टि से कर्म के चलने की बात करनी चाहिए (वही, पृ० ३४१)।

डा० अम्वेडकर के अनुसार बुद्ध का विचार था कि मनुष्य की स्थिति उसकी पैतृकतासे नही इसके वातावरणसे निर्धारित होती है। चूल-दु:ख-खन्ध-सुत्त मे बुद्ध ने जैनों के अतीत कर्म के संक्रमण के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए और देवदहसुत्त मे कर्म को वातावरण के साथ जोड़ते हुए अपना यह मन्तव्य स्पष्ट किया है (वही, पृ० ३४२-४३)

बात यह है कि बौद्ध-दर्शन के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों में नित्य पारस्परिकता का संबंध है। नामरूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान क्षणिक इकाइयों की सन्ततियों के रूप में एक दूसरे की अपेक्षा रखते है, एक दूसरे पर आश्रित रहते है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते है और एक दूसरे के उत्पाद में भाग लेते हैं। मनुष्य का आचार और विचार इन सब की समाप्ति का फल होता है और साथ ही इन्हें प्रभावित भी करता है। अत: कर्म-फल, क्रिया-प्रतिक्रिया, का नित्य क्रम क्षणिक इकाइयों के सतत उत्पाद-व्यय में निहित रहता है। प्रत्येक कर्म इन क्षणिक इकाइयों के उत्पाद-व्यय की सन्तति को इसी तरह प्रभावित करता है जैसे नदी के प्रवाह को एक स्थान पर झकझोरने से तरंगों के प्रवाह में थिरकन होती है। इस थिरकन की गम्भीरता और विस्तार और अवधि झकझोर की तीव्रता, सख्ती और वल पर निर्भर होती है। यदि झकझोर साधारण हो तो थिरकन मामूली होती है और थोड़ी दूर तक ही सक्रिय रहती है, यदि वह तेज हो तो थिरकन गहरी और लम्बी होती है और देर तक रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्म विश्वव्यापी क्षणिक इकाइयों की सन्तति में, जिसका वह स्वयं एक भाग है, एक झकझोर उत्पन्न करता है जिसकी तीव्रता के अनुपात से उसमें थिरकन की गहराई और दूरी पैदा होती है। ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिस की यह प्रतिक्रिया न होती हो। अन्तर केवल इतना होता है कि मामूली कर्म की प्रतिक्रिया थोड़ी दूर तक और थोड़े समय तक दिखाई देती

है और महान् कर्म की प्रतिक्रिया बहुत दूर तक और बहुत समय तक विद्यमान रहती है। मृत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों की प्रतिक्रियाएँ उनकी तीव्रता और महानता के अनुरूप विश्वव्यापी क्षणिक इकाइयों की सन्तति को झकझोर कर उसमे थिरकन पैदा करती है जिस प्रकार उसके शरीर के तत्वों की क्षणिक इकाइयाँ उत्पाद-व्यय के क्रम द्वारा उसमें लीन होकर उसकी इस प्रक्रिया में योग देती है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह विश्वव्यापी क्षणिक इकाइयों की सन्तति से, उसकी समस्त झकझोरो और थिरकनों के साथ, स्कन्धों की सन्ततियाँ ग्रहण करता है और साथ ही अतीत कर्मों की प्रतिक्रियाओं को आत्मसात् करता है। इस प्रकार कर्म की गति चलती है, आचार-विचार की क्रिया-प्रतिक्रिया कार्यशील रहती है, समाज और संस्कृति का यंत्र घूमता है, व्यष्टि और समष्टि का व्यवहार होता है। डा० अम्बेडकर ने बौद्ध दर्शन के इस सिद्धान्त को समझ कर बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत किया। वे गहराई से इस बात को समझे कि नैरात्म्य दृष्टि व्यष्टि और समष्टि, मनुष्य और विश्व, के उस भेद, विरोध और अन्तर का तिरस्कार करती है तो आत्मवाद के दर्शन से उत्पन्न होता है। उन्हें विदित था कि आत्मवाद व्यक्ति की दृष्टि से समष्टि की परिकल्पना है तो नैरात्म्य विद्या समष्टि की विचारधारा से व्यक्ति का मूल्यांकन। अतः इन दृष्टियों से जन्म, जरा, मरण, पुनर्जन्म, कर्म आदि के बौद्ध और अबौद्ध रूपों के अन्तर को उन्होंने सहजैव हृदयंगम करके स्पष्ट किया और सदियो से चले आ रहे भ्रम को दूर किया।

बौद्ध धर्म के विषय में डा० अम्बेडकर ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा 'भिक्खु क्या है ? भिक्खु की संस्था से बुद्ध का क्या अभिप्राय ? क्या वे उसे सम्पूर्ण मनुष्य बनना चाहते थे ? अथवा क्या वे उसे समाज का एक सेवक बनाना चाहते थे जो अपना जीवन जनता की सेवा मे लगाए और उसका मित्र, मार्गबोधक और दार्शनिक सिद्ध हो ? इस के उत्तर पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर है। यदि भिक्खु एक सम्पूर्ण मनुष्य ही है तो वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निरर्थक है क्योंकि संपूर्ण मनुष्य होने के साथ-साथ वह स्वार्थी मनुष्य भी है। किन्तु यदि वह समाज का सेवक है तो वह बौद्ध धर्म की आशा है'' (दि बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म, प्रस्तावना पृ०, ११)

बुद्ध के काल में अनेक यति और भिक्षु सम्प्रदाय थे। उन्होंने एक नया सम्प्रदाय जारी करने का विचार किया। उनके मतानुयायी भिक्षु और उपासक दोनों थे। उनका मार्ग दोनों के लिए खुला था। उनकी दृष्टि मे प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण का

अधिकारी था। यह महत्व की बात है कि उनके प्रथम प्रवचन 'धम्मचक्कप्पवत्तन सुत' में भिक्षु और उपासक के भेद का उल्लेख नही मिलता। किन्तु बाद में यह चालू हुआ। लेकिन इसका यह अर्थ नही माना गया कि इनके धार्मिक अधिकारों में अन्तर है। जिस प्रकार भिक्षु तृष्णा का अन्त कर दुःख का निरोध और निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है इसी प्रकार उपासक भी। बुद्ध ने कहा कि "जिस प्रकार गंगा समुद्र की ओर बहती है इसी तरह गौतम का संघ, भिक्षु और उपासक दोनो निर्वाण की ओर अग्रसर हैं" (मज्झिमनिकाय १, पृ० ४९३, संयुत निकाय ५, पृ० १३४, २४४) इस प्रश्न के पूछे जाने पर कि क्या उपासक को अर्हत्त्व का अधिकार है उन्होने कहा "मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नही, उपासको और भिक्षुओ दोनो मे मैं बुरे आचार की निन्दा करता हूँ" मज्झिमनिकाय २, पृ० १९०)। एक और अवसर पर उन्होंने कहा कि "मुक्ति के विषय मे भिक्षु और उपासक में कोई भेद नही है" (संयुक्त ५ पृ० ४१०)। बाद मे कुछ लेखको ने यहां तक कहा कि 'भिक्खु' शब्द से प्रव्रजित और गृहस्थ दोनो का अभिप्राय हो सकता है। 'दीघनिकाय' के महासतिपट्ठानसुत की अट्टकथा 'सुमंगल-विलासिनी' में बुद्धघोष ने भिक्खु शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि जो अच्छे आचार और व्यवहार का व्यक्ति है वह भिक्खु कहला सकता है (यो च इमं परिपत्ति परिपज्जति सो भिक्खु नाम होतीति, परिपत्तिया भिक्खुभावदस्सनतोऽपि भिक्खू ति आह। पटिपन्नको हि देवो वा होतु मनुस्सो वा भिक्खू ति सङ्ख्यं गच्छति येव) इस संबंध मे उसने यह पद्य उद्धृत किया :

अलंकतो चे पि सभं चरेय्य

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी

सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ति

विसुद्धिमग्ग पृ० ३ पर भिक्षु (भिक्खु) शब्द का निर्वचन करते हुए उन्होंने लिखा जो संसार-रूपी भय को देखता है वही भिक्खु है (संसारे भय इक्खतीति भिक्खु)। किन्तु बुद्ध के मरते ही भिक्खुओ ने उपासकों को अपने से घटिया समझना शुरू कर दिया। इससे उपासको ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया। बौद्ध संघ का बाद का इतिहास भिक्खुओ और उपासकों के द्वन्द्व का इतिवृत्त है जिसने बाद मे हीनयान और महायान का रूप ले लिया। इसकी चर्चा का यह अवसर नही है।

डा० अम्बेडकर ने भिक्खु को समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर बौद्ध धर्म की महती सेवा की। उनकी पुस्तक में भिक्खु के इस पक्ष की विशेष चर्चा है।

इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि डा० अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के मर्म को समझ कर इसे इतने सरल और स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया कि आधुनिक युग का व्यक्ति इसे आसानी से समझ कर इसका पालन कर सकता है।

डा० अम्बेडकर का बहुमुखी व्यक्तित्व

अमरेश्वर अवस्थी

डा० भीमराव अम्बेडकर (१८९१-१९५६) की गणना भारत की महान् विभूतियों में की जा सकती है, किन्तु अन्य नेताओं की अपेक्षा उनकी विशेषता यह थी कि यद्यपि वे हिन्दुओं की तथाकथित निम्न वर्ग एवं जाति में उत्पन्न हुए थे, तथापि वे अपने अथक एवं कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व महात्त्वाकाँक्षा के बल पर भारत के संविधान निर्माता के ऊँचे पद तक पहुँच सके। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। सामाजिक सुधार, शिक्षा, राजनीति, विधि, संविधान, इत्यादि सभी क्षेत्रों में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है।

यह तो नही कहा जा सकता कि वे बहुत निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए थे। वे महार जाति में उत्पन्न हुए थे और यह जाति वीरता के लिये प्रसिद्ध थी तथा सेना में इसके बहुत से लोग भरती होते थे। इसके अतिरिक्त उनके पूर्वज अच्छी परिस्थिति में थे, तथापि उस समय के कट्टर हिन्दू धर्म के वातावरण में उनको अनेक कठिनाईयाँ उठानी पड़ी और अपमान भी सहने पड़े। उनके पिता को अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देने की प्रबल इच्छा थी और बालक भीमराव ने अपने पिता की इस आकांक्षा की पूर्णतया पूर्ति की। उनकी उच्चशिक्षा, भारत, अमेरिका तथा इंगलैण्ड में हुई, और यह सब अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त हुई छात्रवृत्ति के आधार पर।

डाक्टर अम्बेडकर ने उपनी योग्यता, कर्मठता, प्रखर बुद्धि तथा ज्ञान का उपयोग अपनी वैयक्तिक उन्नति के लिये न करके अपने समाज के उत्थान हेतु किया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उनके जीवन का केन्द्र-बिन्दु अस्पृश्य जातियों को उठाना ही था, तथा उन्होने जो भी कार्य विभिन्न क्षेत्रों में किये उनका उद्देश्य यही था। स्वाभिमानी होने के कारण वे किसी के सामने हाथ फैलाना पसन्द नहीं

करते थे, और उन्होने हिन्दूधर्म के दलित वर्गों को यही सिखाया कि वे अपना उत्थान स्वय अपनी मेहनत से करें, और इसका सर्वोत्तम मार्ग था—शिक्षा। इसीलिए उन्होंने अनेक विद्यालय एवं कालेज इन जातियों हेतु खोले, जिनमे सिद्धार्थ कालेज, बम्बई एवं औरंगाबाद का कालेज अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। हरिजन विद्यार्थियों हेतु अनेक छात्रावासों की भी उन्होंने स्थापना की। सविधान तथा शासन व्यवस्था में हरिजनों को समुचित स्थान प्राप्त कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति मे उनका कई हिन्दुओं से यहाँ तक महात्मा गाँधी से भी संघर्ष रहा। इस कारण इस क्षेत्र में कई भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं—उनके कई विरोधियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे राष्ट्रवादी नही थे सम्प्रदायवादी थे तथा हिन्दूधर्म के शत्रु थे इत्यादि इत्यादि। इन भ्रान्तियों का उन्मूलन करना डा० अम्बेडकर की पुन्य स्मृति के प्रति न्याय करना ही होगा। सच तो यह है कि वे अत्यन्त देश प्रेमी तथा राष्ट्रवादी थे, और उन्होने कभी भी देश को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भारत में अल्पमत की समस्या को काँग्रेस की अपेक्षा वे अधिक ठीक समझते थे—विशेषतः भारत में मुसलमानों की समस्या को। काँग्रेस के विरुद्ध उनका आरोप यह था कि यह संस्था मुसलमानों के लिये तो तुष्टीकरण की नीति का अनुकरण करती है पर अछूतों के प्रति उसका व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "थाट्स आन पाकिस्तान" में उन्होने काँग्रेस की इस नीति की त्रुटियों पर प्रकाश डाला है। जहाँ तक हिन्दू धर्म का प्रश्न है वे इसके धर्म ग्रंथों, पुराणों, प्राचीन साहित्य, इतिहास तथा संस्कृति के महान् ज्ञाता थे, तथा उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि अस्पृश्यता जैसे पाप का उन्मूलन किया जाये। यह स्मरणीय है कि जब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इन वर्गों का उद्धार हिन्दू धर्म के अन्तर्गत नही हो सकता तब उन्होने ईसाई तथा इस्लाम धर्म को नही अंगीकार किया। यद्यपि इसके लिए उन धर्मों ने पर्याप्त प्रयास किया। धर्म का परिवर्तन भी उन्होने भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत ही किया। उनका झुकाव विशेषकर बौद्धधर्म की ओर था, और अन्त में उन्होंने अपने निधन से कुछ समय पूर्व बौद्धधर्म की दीक्षा ली। उनका उद्देश्य भारत मे बौद्धधर्म का पुनर्जीवन करना था, उन्होंने बौद्धधर्म पर एक विशाल ग्रंथ भी लिखा। यह सच है कि अछूतोद्धार के संघर्ष में उन्हें अनेक कटु अनुभव हुए जिससे उनमें कुछ तीखापन तथा कटुता का समावेश हो गया, पर उस पृष्ठभूमि में ऐसा होना अस्वाभाविक नही कहा जा सकता। इस सन्दर्भ में दो घटनायें उल्लेखनीय हैं—उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी के निधन के उपरान्त जिस महिला से विवाह किया वह ब्राह्मण जाति की थी। दूसरे जिस रात्रि उनका निधन हुआ उसी शाम को वे संत कबीर के भजन 'चल कबीर तेरा भवसागर डेरा' गुनगुनाते रहे।

दूसरा क्षेत्र जिसमें डाक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है—भारतीय संविधान का निर्माण था। यह ईश्वरीय न्याय ही कहा जा सकता है कि भारत के संविधान की निर्माण समिति की अध्यक्षता का भार एक अस्पृश्य के योग्य हाथों में सौंपा गया। इस दिशा में उन्होने जो कार्य किया वह महत्वपूर्ण ;, और उसकी प्रशंसा अनेक लोगों ने मुक्त कंठ से की है। इस सविधान पर उनको गर्व था, और उन्होंने विरोधी दल में सम्मिलित होने के उपरान्त भी सविधान के बार-बार संशोधन की भर्त्सना की और उसको अक्षुण्य रखने की सलाह दी। एक अन्य कार्य जिसके लिए उन्होने कठोर परिश्रम किया वह था—हिन्दू कोडबिल। उनकी यही अभिलाषा थी कि उन्ही के हाथों यह विधेयक पारित हो जाये, जिसके फलस्वरूप हिन्दू धर्म की अनेक त्रुटियों का अन्त हो जाये। इस प्रकार उन्होंने मनु द्वारा प्रचलित सामाजिक असमानताओं का विरोध किया। दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री नेहरू के सहयोग के होते हुए भी हिन्दू कोडबिल का कई श्रोतों से प्रबल विरोध हुआ और डा० अम्बेड़कर की इस इच्छा की पूर्ति न हो सकी। अन्त में खिन्न होकर उन्होने केन्द्रीय मन्त्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उनके निधन के उपरान्त यह विधेयक पारित हो गया और डा० अम्बेडकर की यह आकांक्षा भी पूर्ण हो गई।

अब हम डाक्टर अम्बेडकर के शासन व्यवस्था सम्बन्धी विचारों पर दृष्टिपात करेंगे। इन विचारों का अध्ययन चार भागो में किया जा सकता है।

(अ) संसदात्मक प्रजातन्त्र :—

डा० अम्बेडकर को प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास था, विशेषत: संसदात्मक शासन प्रणाली में। भारतीय सविधान में केन्द्र तथा राज्यों दोनों मे इसी प्रणाली का प्रावधान है। शासन पद्धति के अतिरिक्त मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी आयोजन संविधान में किया गया है। प्रजातंत्र को वह जिस व्यापक रूप मे प्रयोग करते थे वह उनकी प्रजातंत्र की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। हम सब लिंकन की प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा से परिचित हैं जिसके अनुसार यह "जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिये शासनतन्त्र है।" अम्बेडकर के अनुसार प्रजातन्त्र वह तन्त्र है जिसके द्वारा जनता के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में बिना हिंसा के क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा सकते हैं। प्रजातंत्र की सफलता हेतु उन्होने कुछ शर्तें आवश्यक समझीं जो निम्न हैं :—

(१) समाज में असमानता एवं शोषण का अन्त;

(२) एक स्वस्थ विरोधी दल;

(३) विधि एवं प्रशासन के समक्ष समानता;

(४) संवैधानिक नैतिकता का कार्यान्वित करना;

(५) जनता में जागरूकता होना;

(६) नैतिक मूल्यों की सामाजिक स्वीकृति।

साम्यवाद का विरोध :—

एक वास्तविक लोकतन्त्रीय होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी थे। उनका कथन था कि यह सोचना कि साम्यवाद व प्रजातन्त्र में सह अस्तित्व हो सकता है अनर्गल बात है। उन्होंने साम्यवाद की उपमा वन की अग्नि से दी है जो अपने सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर राख कर देती है। समकालीन भारत में साम्य-वाद के फैलाव के सन्दर्भ में यह कथन सामयिक है।

वैदेशिक नीति :—

डा० अम्बेडकर नेहरू द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति के विरुद्ध थे। वे पाकि-स्तान व चीन के विरुद्ध सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को गलत समझते थे। उनके अनुसार भारतवर्ष एक ओर पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों तथा दूसरी ओर साम्यवादी चीन से घिर गया था, वे पश्चिमो प्रजातन्त्रात्मक देशो से संपर्क बढ़ाने के पक्ष में थे। उस समय की वैदेशिक नीति पर उनकी यह टिप्पणी स्मरणीय है। "हमारी वैदेशिक नीति का केन्द्र-बिन्दु स्वदेश की समस्याओं का समाधान करने के विपरीत दूसरे देशों की समस्या का समाधान करना है।"

मुसलिम समस्या :—

भारतीय इतिहास तथा राजनीति मे सबसे बड़ी समस्या हिन्दुओ तथा मुसल-मानों का संघर्ष रहा है। लगभग एक हजार वर्ष भारत मे रहने के उपरान्त भी मुसलमान अपने को एक पृथक राष्ट्र जाति समझते रहे। पाकिस्तान बनने का प्रमुख कारण यही था। इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि डा० अम्वेडकर इस ठोस वास्त-विकता को समझते थे, जबकि भारत का सबसे बड़ा राजनतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या तो इस समस्या को समझा नही अथवा अपने को एक मृगतृष्णा में उलझाये रखा। यही कारण है कि कांग्रेस ने मुसलिम कट्टर पन्थियो के साथ सर्वदा

तुष्टीकरण की नीति अपनाई। वे भूल गये कि इतिहास में तुष्टीकरण कभी भी सफल नही हुआ। डा० अम्बेडकर कांग्रेस की इस नीति से सर्वदा असहमत थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'थाट्स आन पाकिस्तान' जो १६४० में प्रकाशित हुई थी उन्होंने पाकिस्तान तथा मुसलिम समस्या पर अपने विद्वतापूर्ण तथा दूरदर्शी विचार अभिव्यक्त किये है। उनके अनुसार मुसलमान कदापि हिन्दुओं के साथ एक राज्य में सहअस्तित्व नहीं कर सकते, और बलपूर्वक उनको दबाया नहीं जा सकता। अतः उनकी पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लेना चाहिए, किन्तु साथ ही में जनसंख्या का भी आदान प्रदान हो जाना चाहिए। जिससे पाकिस्तानी क्षेत्र के सारे हिन्दू भारत में आ जायें एवं भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जायें। उनके अनुसार पाकिस्तान पृथक हो जाने से शेष भारत एक सकंलित तथा सुदृढ राष्ट्र हो जायेगा, जिसमें एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी। वे शक्तिशाली केन्द्र के प्रबल समर्थक थे, और संविधान में उन्होने इसी प्रकार के केन्द्र का प्रावधान किया था। समकालीन विघटनकारी प्रवृतियों के सन्दर्भ में उनकी सूझ-बूझ का पता सहज ही लग जाता है।

अन्त में एक शिक्षाविद् होने के नाते मैं डा० अम्बेडकर के पुस्तक प्रेम की चर्चा किये बिना नही रह सकता। उन्हे पुस्तकों से अत्यन्त प्रेम था। वे जहाँ भी रहे, पुस्तकें एकत्रित कीं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका में उन्होने पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं की दुकानें छान मारीं और अनेक अलभ्य पुस्तकें खरीदी। वे जब भी बाहर जाते थे पुस्तकों के अनेक बक्से उनके साथ भारत अवश्य आते थे। एक अनोखी बात जो उन्होंने की वह अपनी पुस्तकों हेतु पृथक घर का निर्माण बम्बई में कराया तथा उसका नाम 'राजगृह' रखा। विभिन्न लेखकों की पुस्तकों से घिरे हुए मकान में रहना उन्हें बहुत प्रिय था। वे पुस्तकों को बड़े चाव से पढ़ते थे, तथा स्वयं उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनके असामयिक निधन से कई उनके ग्रन्थ अपूर्ण रह गये।

हम उस महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।

डा० अम्बेडकर और भारतीय संविधान

पीताम्बर दत्त कौशिक

आधुनिक मनु :—

बीसवी शताब्दी के महान् भारतीयों में डा० भीमराव अम्बेडकर को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। उनका जीवन-चरित्र संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत गाथा है। वे सच्चे अर्थों में गुदड़ी के लाल थे। यद्यपि विश्व के इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अत्यन्त निम्न-स्तर से उठकर लोग उच्चतम स्तर तक पहुँचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक साधारण किसान के पुत्र थे। स्टालिन के पिता एक निर्धन मोची थे। परन्तु फिर भी शायद ही कोई महापुरुष अम्बेडकर के समान प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्मा और पला हो। अम्बेडकर का जन्म १४ अप्रैल, १८९२ को महाराष्ट्र के एक महार परिवार मे हुआ था। हिन्दू जाति व्यवस्था के अन्तर्गत महार जाति के लोग 'अछूत' या 'अस्पृश्य' माने जाते थे। अछूतो का जीवन आज भी, जबकि जाति-प्रथा एक बड़ी सीमा तक अपनी अनम्यता को खो चुकी है, बहुत कठोर है, परन्तु अम्बेडकर के जन्म और शैशव के काल में तो वह लगभग असहनीय थी। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हिन्दुओं के प्राचीन विधि—संहिताकार 'मनु' ने 'अछूतों' को अपने नियमों के द्वारा जन्मजात और आजीवन रूप से सामाजिक कोढ़ी बना दिया था। १९वी शताब्दी के अन्त का हिन्दू समाज इन नियमों का कठोरता से पालन कराता था। अछूतों का स्पर्श अपवित्र करने वाला माना जाता था। सवर्ण लोग उनकी छाया मात्र से भी बचते थे। ९९ प्रतिशत अछूत बालक न तो किसी प्रकार की शिक्षा ही प्राप्त कर पाते थे और न ही बड़े होकर कोई ऐसा व्यवसाय कर सकते

थे जिससे उन्हें सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सके। परन्तु अम्बेडकर असाधारण रूप से परिश्रमी, साहसी और दृढ़-प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल १७ वर्ष की आयु में सन् १९०७ में मैट्रिक परीक्षा पास कर ली वरन् अपने अध्यवसाय और प्रतिभा से महाराजा बड़ौदा को मुग्ध करके १९१३ में अमेरिका में उच्चतर अध्ययन के लिए छात्र-वृति भी प्राप्ति कर ली। अमेरिका में उन्होने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जहाँ उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। परन्तु जब डा० अम्बेडकर भारत वापिस लौटे तब उन्होने पाया कि उनकी उच्च-शिक्षा भी अस्पृश्यता के कलंक को दूर नहीं कर सकी। महाराजा बड़ौदा ने उन्हें अपना सैनिक सचिव नियुक्त किया। परन्तु सवर्ण हिन्दुओ ने उनका सामाजिक बहिष्कार करके उन्हे अपना पद त्यागने को विवश कर दिया। इसके बाद अम्बेडकर ने अपना जीवन अपने अछूत भाइयों के लिए समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने के लिए लगा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अस्पृश्यता—विरोधी संघर्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए ३१ जनवरी, १९२१ को "मूक नायक"—नामक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। १९२७ में उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतत्व किया। मार्च १९३० मे उन्होने नासिक मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ किया। उसी वर्ष उन्हें पिछड़ी हुई जातियो के प्रतिनिधि के रूप मे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। वहाँ उन्होंने पिछड़ी हुई जातियो के लिए पृथक चुनाव पद्धति और विशेष प्रतिनिधित्व की माग की। मैकडोनाल्ड पंचाट में उनकी ये मांगें स्वीकार कर ली गईं। जब महात्मा गांधी ने अछूतों को शेष हिन्दू समाज से पृथक किए जाने के विरोध मे आमरण अनशन किया तब अम्बेडकर ने पूना समझौते के द्वारा एक ओर तो महात्मा गाधी के जीवन की रक्षा की तथा दूसरी ओर अछूतों के लिए पहले से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हे वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् में गृह-सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर ने भारतीय समाज के निम्नतम वर्ग में उत्पन्न होकर भी वह उच्चतम पद प्राप्त कर लिया जो उस समय किसी भारतीय को प्राप्त हो सकता था। अगस्त, १९४७ मे वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम विधि-मंत्री नियुक्त हुए। परन्तु अम्बेडकर को अपने गौरव-पूर्ण जीवन का सर्वोच्च गौरव तब प्राप्त हुआ जब २७ अगस्त, १९४७ को भारतीय संविधान सभा ने उन्हे अपनी प्रारूप समिति का सभापति चुना। हजारों वर्ष पहले प्राचीन भारत के विधि-निर्माता मनु ने अछूतो को अपने विधान के द्वारा सामाजिक कोढ़ी बना दिया था। आधुनिक भारत ने उसका प्रायश्चित करते हुए एक अछूत को अपना विधि-निर्माता चुन लिया। धनन्जय कीर के शब्दो में अम्बेडकर 'एक आधुनिक मनु' बन गये।

संविधान की माता—

प्रारूप समिति के सभापति के रूप मे अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए यह मत व्यक्त किया कि संविधान सभा ने जो सबसे अच्छा कार्य किया वह डा० अम्बेडकर को प्रारूप समिति में सम्मिलित करना तथा उन्हें उसका सभापति बनाना था। पट्टामि सीतारामय्या के शब्दों में 'डा० अम्बेडकर ने अपने गौरवपूर्ण और महान कार्य को स्टीमरोलर के समान दृढ़ बुद्धि के द्वारा सम्पन्न किया। उनकी अजेय और अप्रतिहत बुद्धि रूपी स्टीमरोलर ने बड़े-बड़े वृक्षों और छोटे-छोटे पौधों सभी को धराशायी कर दिया। उन्होने जिस बात को ठीक समझा, उसपर परिणाम की चिन्ता किए बिना अड़ गये।' कुछ लोगों ने अम्बेडकर को 'भारतीय संविधान का पिता' कहा है। परन्तु जैसा कि प्रोफेसर के० वी० राव का मत है उन्हें "संविधान की माता" कहना अधिक उपयुक्त होगा। "पिता" शब्द का वास्तविक अर्थ भावी जीवन का रचयिता अथवा विचारो के बीज-संस्थापक होता है, जबकि "माता" का तात्पर्य उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो उस बीज को धारण करता है तथा उसका पोषण करके उसको अपने शिशु के रून में प्रस्फुटित करता है। डा० अम्बेडकर की भारतीय संविधान की रचना से सम्बन्वित भूमिका दूसरे प्रकार की थी। प्रोफेसर के० वी० राव के शब्दों में, "डा० अम्बेडकर को वास्तव में दूसरों के विचारों को धारण करना और उनका पोषण करना पड़ा तथा उन्हे अपने विचारों के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा तथा अपनी तीक्ष्ण वैधानिक बुद्धि, अथक परिश्रम, महान कौशल और उदारता मिश्रित दृढ़ता के बल पर उन्होने इस कार्य को अद्भुत उत्तमता के साथ सम्पन्न किया।" डा० अम्बेडकर असंदिग्ध रूप से "भारतीय सविधान की माता" कहे जा सकते हैं। भारतीय सविधान के मूल सिद्धान्तो का निर्धारण नेहरू और पटेल ने किया था, परन्तु उन सिद्धान्तो सहित अपने विचारों को संविधि का रूप देने और सविधान मे उनको स्थापित करने का कार्य प्रारूप समिति के सभापति के रूप मे डा० अम्बेडकर ने ही किया। इस प्रकार भारतीय संविधान वस्तुत: "अम्बेडकर का शिशु" है। उन्होने न केवल संविधान के प्रारूप की रचना की वरन् संविधान सभा में उसका परिचालन भी किया। उन्होंने इसके उपबन्धो की व्याख्या की, उनमे परिवर्तन के सुझाव दिये तथा संशोधनो को स्वीकार किया। प्रोफेसर राव के शब्दों मे, "डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा के साथ ट्यूटोरियल कक्षा पढ़ाते हुए शिक्षक के समान व्यवहार किया, जहाँ विद्यार्थियों को अपने विचारो को सोचने और अभिव्यक्त करने का पूरा-पूरा अवसर प्रदान किया जाता है, परन्तु अन्तिम राय देने का अधिकार शिक्षक को होता है।"

संविधान के व्याख्याकार—

अम्बेडकर ने न केवल संविधान के प्रारूप की रचना ही की वरन् उसकी सविधान सभा के सदस्यो के साथ-साथ विद्वानो और राजनीतिज्ञों के लाभ के लिए व्याख्या भी की। उनकी व्याख्याओं ने भारतीय सविधान के वास्तविक व्यवहार को एक बड़ी सीमा तक प्रभाविन किया है तथा इस बात की आशा की जाती है कि वे भविष्य में भी भारत के भावी शासकों का पथ-प्रदर्शन करती रहेंगी। अतः यहाँ उन-पर थोड़ा विचार कर लेना असंगत नही होगा। सविधान द्वारा स्थापित की गई शासन-व्यवस्था की व्याख्या करते हुए उन्होने वताया कि सविधान ने एक ससदीय शासन व्यवस्था और एक सघीय राज्य की व्यवस्था की है। उन्होने भारतीय शासन व्यवस्था की अमेरिकन और ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं से तुलना करते हुए कहा कि : "अमरीकन शासन पद्धति को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन मे राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुख्य प्रधान होता है। प्रारूप सविधान के अन्तर्गत राष्ट्र-पति की वही स्थिति हैं जो राजा की इग्लिश सविधान के अन्तर्गत है। वह राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नही। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु राष्ट्र का शासन नही करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन मे उसका उस अनुष्ठानिक युक्ति जैसा महत्व है जिसकी नाम-मुद्रा से राष्ट्रीय निर्णयों का निश्चय होता है। वह न राज्य करता है, और न शासन।" संविधान मे ससदीय कार्यपालिका को क्यों अप-नाया गया ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए उन्होने कहा कि, "अमेरिकन कार्यपालिका एक असंसदीय कार्यपालिका है, जिनका अर्थ यह है कि यह अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस मे एक बहुमत पर निर्भर नही करती, जबकि ब्रिटिश पद्धति एक संसदीय कार्य-पालिका है, जो ससद मे एक बहुमत पर निर्भर करती है। अमेरिकन कार्यपालिका के असंसदीय होने के कारण, अमेरिका की काग्रेस कार्यपालिका को अस्वीकार नही कर सकती तथा कार्यपालिका विधानमण्डल के प्रति अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी होने की ओर प्रवृत्त होती है जबकि ससदीय कार्यपालिका अधिक उत्तरदायी होने की ओर प्रवृत्त होती है। प्रारूप सविधान ने अधिक उत्तरदायित्व को चुना है।" "संसदीय पद्धति मे शासन के उत्तरदायित्व का दैनिक और सामयिक मूल्यांकन होता है'''उसमें उत्तर-दायित्व और स्थिरता दोनों पाई जाती है।"

संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष भारतीय शासन व्यवस्था के संघीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा को लगभग तुलनात्मक सघीय शासन के अध्ययन की कक्षा ही बना डाला। उन्होने ब्रिटिश विश्वकोष तथा डायसी और ब्राइस जैसे विद्वानों की रचनाओ से उद्धरण देते हुए संघीय और एकीय शासन

की भिन्नताओं और अन्तर को स्पष्ट किया। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान संघीय है क्योंकि 'भारतीय संविधान एक द्वैध सरकार की स्थापना करता है जिसमें संघ केन्द्र में है तथा राज्य परिधि पर। दोनों को सम्प्रभु शक्तियाँ प्राप्त है जिनका प्रयोग उस क्षेत्र मे किया जायेगा जो उन्हें अलग-अलग संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।" परन्तु साथ ही उन्होने इस बात पर भी बल दिया कि "संविधान को संघात्मकता के सुनिश्चित ढाँचे में नही ढाला गया है।" अमेरिकन शासन व्यवस्था को संघीय शासन पद्धति का नमूना माना जाता है। अमेरिकन और भारतीय शासन पद्धतियों की तुलना करते हुए डा० अम्बेडकर ने बताया कि "दोनों में जो भिन्नताएँ हैं, वे उनकी समानताओं की अपेक्षा अधिक मूलभूत और स्पष्ट हैं।" "द्वैध सरकार के होते हुए भी सविधान सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था करता है, एक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जिसे संवैधानिक विधि, दीवानी विधि और फौजदारी विधि के अन्तर्गत सभी मुकदमो पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, एक सामान्य अखिल भारतीय नागरिक सेवा की व्यवस्था करता है जिसके सदस्य सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किये जाते हैं जबकि अमेरिका में संविधान में एक द्वैध नागरिकता—एक संयुक्त राज्य अमेरिका की और एक राज्यों की नागरिकता की व्यवस्था है; वहाँ एक सघीय न्यायपालिका है और एक राज्य न्यायपालिका है; तथा साथ ही एक सघीय नागरिक सेवा और एक राज्य नागरिक सेवा है।" "इस सीमा के साथ कि शासन के गणतान्त्रिक रूप को बनाये रखा जायेगा, अमेरिका का प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के संविधान की रचना करने के लिए स्वतन्त्र है जबकि भारतीय संघ का सविधान एक अकेला ढाँचा है जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता तथा जिसके अन्दर उन सबको कार्य करना है।" इन भिन्नताओं का कारण स्पष्ट करते हुए डा० अम्बेडकर ने बताया कि अनेक स्थानो पर संघवाद ने प्रशासन के मानदण्डो, उत्तराधिकार सम्बन्धी विधियों, बैंकिग और वाणिज्य का नियन्त्रण आदि विषयों में विविधताओं को जन्म दिया है तथा कहीं-कहीं ये विविधताएँ दुर्व्यवस्था की सीमा तक पहुँच गई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रारूप संविधान ने उपर्युक्त सामान्य संस्थाओं तथा दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी मूल विधियों में एकरूपता की व्यवस्था की है।

डा० अम्बेडकर ने बताया कि संघवाद में अनेक दुर्बलताएं होती हैं। संघवाद एक दुर्बल प्रकार का शासन है जिसमें अति वैधानिकता, अनम्यता और विभक्त प्रभुसत्ता के दोष पाये जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रारूप-समिति ने अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधानों के व्यवहार से लाभ उठाया है तथा एक ऐसे "लचीले संघ" की व्यवस्था की है कि भारतीय संविधान "समय और परिस्थितियों की

आवश्यकता के अनुसार" एकीय या संघीय हो सकता है। इन्होंने बताया कि उपर्युक्त सामान्य संस्थाएं उन कठिनाइयों से बचने के लिए रखी गई हैं, जिन्होने अमेरिका संघ में परेशानियां उत्पन्न की हैं। उन्होंने कहा कि, "विभाजित शक्ति पर आधारित दोहरी व्यवस्था होने के कारण संघ शासन में कानून, शासन एवं न्यायिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्नता अवश्यम्भावी है। कुछ हदतक इस विभिन्नता से कोई फरक नहीं पड़ता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए यह ठीक है। लेकिन विभिन्नता जब एक सीमा से आगे बढ़ जाती है, तब इसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है और अनेक संघ राज्यों में इसने अव्यवस्था पैदा की भी है।" उन्होंने बताया कि प्रारूप संविधान में भारत को 'फेडरेशन' न कहकर 'यूनियन' कहा गया है। इसका उद्देश्य इत बात पर बल देना था कि भारतीय राज्यों को अलगाव का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उन्होने भारतीय संघ की प्रकृति की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान अमरीका के सविधान की अपेक्षा आस्ट्रेलिया के संविधान के अधिक समीप है। आस्ट्रेलिया के संविधान से इसने अनेक बातें ली हैं—समवर्ती सूची का उपबन्ध, अधिक से अधिक विषयों को संघ को सौंपने की प्रवृत्ति, अस्थायी स्वभाव के अनेक अनुच्छेदों की व्यवस्था आदि। उन्होंने बताया कि भारत को एक शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता थी तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उदाहरण के लिए अनेच्छेद २४६ और २५२ के द्वारा सामान्य काल मे भी कुछ अवस्थाओं में संसद को राज्यसूची के विषयों पर भी विधि—बनाने का अधिकार दिगा गया है, इसी प्रकार संसद को सं.वेधान के एक बड़े भाग को अकेले राज्यो की सहमति के विना संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र को आपात शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इनके प्रभाव की व्याख्या करते हुए डा० अम्वेडकर ने कहा कि, "सामान्य काल मे इसकी (भारतीय संविधान की) रचना एक संघीय पद्धति के रूप में कार्य करने के लिए की गई है, परन्तु जब एक बार राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर देते हैं तब सारा दृश्य वदल जाता है और राज्य एकीय हो जाता है।" निष्कर्ष के रूप मे उन्होंने बताया कि "संविधान ने स्वभाव से ही अनम्य समझे जाने वाले संघवाद में अधिकतम लचीलापन प्राप्त किया है" तथा "इसका प्रधान लक्षण यह है कि यह एक लचीला संघ है।"

एक छोटे से लेख मे डा० अम्वेडकर के संविधान के सभी अनुच्छेदों से सम्बन्वित विचारों की व्याख्या करना सम्भव नही है। यहाँ हमनें उनके केवल भारतीय शासन पद्धति के संसदीय और संघीय स्वभाव से सम्वन्धित विचारों को ही लिया हैं। परन्तु इस थोड़े-से ही विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० अम्वेडकर ने हमारे

संविधान की रचना मे कितना महत्वपूर्ण भाग लिया है तथा उन्होंने किस प्रकार उसके भावी विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है।

अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान की माता थे वरन् ऐसी माता थे जिसे अपने शिशु पर गर्व था। उन्होंने इसके आलोचकों को मुंहतोड़ उत्तर दिये। भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है, इस आलोचना का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि, "जब प्रथम लिखित संविधान की रचना की गई तब से सौ वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं। इससे पहले देशों को अपने संविधानों को लिखित रूप देने मे अनेक शताब्दियां लगी थी। एक संविधान का क्या क्षेत्र है, यह बात बहुत पहले निर्धारित की जा चुकी है। इसी प्रकार, संविधान की मूलभूत बातें क्या है, उन्हें सारे विश्व में पहचाना जा चुका है। इन तथ्यों की दृष्टि मे, सभी सविधानों के मुख्य उपबन्ध एकसे दिखाई देते हैं। आज इतनी देरी से बनाये गये संविधान में अगर कोई नई बात हो सकती तो वह वे विभिन्नताएं ही हो सकती हैं जो संविधान के दोषों को दूर करने के लिए तथा उसे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए अपनाई जायें। मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है कि संविधान मे भारत शासन अधिनियम, १९३५ के उपबन्धों के एक बड़े भाग को ले लिया गया है। उधार लेने में शर्म की कोई बात नही है।" इस आलोचना का उत्तर देते हुए कि प्रारूप संविधान में ग्राम-शासन की व्यवस्था नही है, डा० अम्बेडकर ने यह विचार प्रकट किया कि ग्राम स्थानीयतावाद की प्रवाहिका, तथा अज्ञान, संकुचितता और साम्प्रदायिकता के अड्डे बन गये हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि संविधान ने ग्राम को नही वरन् व्यक्ति को अपनी इकाई के रूप में स्वीकार किया है। आपात सम्बन्धी उपबन्धों की आलोचना का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि, "भारत की भूमि मूलतः अप्रजातान्त्रिक है, जिसके ऊपर ही ऊपर प्रजातन्त्र को सजाकर खड़ा कर दिया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमानी तो इसमे है कि प्रशासन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए विधान-मण्डलों पर भरोसा नही किया जाये। संविधान मे इन्हें समाविष्ट करने का यही औचित्य है। "यह व्यवस्था पूर्णरूपेण आवश्यक है। यह संविधान का जीवन होगा। प्रजातन्त्र का वध करने के बदले यह उसको संकट तथा अन्त से बचायेगा।" संविधान के संशोधन की पद्धति की चर्चा करते हुए उन्होने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ संविधान के आलोचको को ललकारते हुए कहा, "मैं यह सिद्ध करने की चुनौती देता हूँ कि जिन परिस्थितियों में यह देश अपने को पाता है उनमें किसी भी संविधान सभा ने संविधान के संशोधन के इतनी सरल प्रक्रिया की व्यवस्था की है। यदि वे लोग, जो संविधान से असन्तुष्ट हैं, व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद में अपने पक्ष में दो

तिहाई बहुमत प्राप्त नही कर सकते, तो यह नहीं माना जा सकता कि सामान्य जनता भी उनके असन्तोष से सहमत है।" ४ नवम्बर, १९४८ को डा० अम्बेडकर ने सविधान सभा के समक्ष प्रारूप सविधान को प्रस्तुत किया तथा एक गर्वित माता के समान निम्नलिखित शब्दो मे सविधान सभा से प्रारूप सविधान को स्वीकार करने की अनुशंसा की—

"मैं महसूस करता हूँ कि संविधान व्यवहारिक है; यह लचीला है तथा देश को शान्तिकाल और युद्धकाल दोनों में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए काफी मजबूत है। वस्तुतः, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि वस्तुएं पतन की ओर उन्मुख होती हैं तो उसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान निकृष्ट था वरन् हमे यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य दुष्ट था।"

आज जबकि सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका मे प्रजातान्त्रिक शासन एक के बाद एक असफल होते जा रहे है, भारत का संविधान प्रजातन्त्र का एक तेजपूर्ण प्रकाश स्तम्भ बना हुआ डा० अम्बेडकर की विद्वता और महानता के जीवन्त स्मारक के रूप में स्थित है।

———

लोकतन्त्र पर डा० अम्बेडकर के विचार

चन्द्रा भारिल्ल

अम्बेडकर की राजनीतिक विचारधारा में लोकतंत्र का प्रमुख स्थान है। वे लोकतन्त्र में गहरी आस्था रखते थे। वे लोकतन्त्र को केवल "एक प्रकार की सरकार" (Form of Government) नहीं मानते थे। वे उसे एक जीवन-पद्धति भी मानते थे, और चाहते थे कि यह पद्धति भारत मे लोगो के जीवन मे आ जाये। इसीलिए लोकतन्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोण सिर्फ किसी दार्शनिक की तरह न होकर एक यथार्थवादी की तरह भी था। इस सन्दर्भ में वे जगह-जगह "भारत में लोकतन्त्र" पर भी विचार प्रकट करते चलते थे। यहाँ लोकतन्त्र पर उनके विचारों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

लोकतन्त्र की अम्बेड्कर की परिभाषा

अपनी परिभाषा देने के पहले, अम्बेडकर ने कुछ अन्य परिभाषाओं की विवेचना की। अम्बेडकर के अनुसार इसे "वाद-विवाद द्वारा चलने वाली सरकार" वाल्टर बगेहट मानते हैं। लिंकन के अनुसार यह "जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए है"। अम्बेडकर के अनुसार उनकी स्वयं की परिभाषा अधिक ठोस है। उनके अनुसार लोकतन्त्र एक ऐसी सरकार है और सरकार चलाने की एक ऐसी पद्धति है जहाँ जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बिना खून-खराबे के क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकें। यही अम्बेडकर के

अनुसार उसकी कसौटी है, और यही सबसे विशद भी है[1]।

अब हम लोकतन्त्र के, तीन आधारभूत स्तम्भों, स्वाधीनता (Liberty), समानता (Equality) तथा भाईचारे (Fraternity) पर अम्बेडकर के विचारों का अध्ययन करते हैं।

स्वाधीनता पर

जहाँ तक स्वाधीनता का सवाल है, अम्बेडकर करते हैं कि यह तो सभी मानते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन स्वस्थ व सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्पत्ति, औजारों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और ये उसे देनी ही होती है। इस हालत में मनुष्य को अपनी शक्तियों का योग्यतापूर्ण व सही उपयोग क्यों नहीं करने देना चाहिये, अम्बेडकर पूछते हैं? उसे अपना पेशा आप चुनने की स्वतन्त्रता क्यों नहीं देनी चाहिये[2]?

यह सवाल वह भारत में जातिवाद द्वारा लादी गई, पेशे को न चुन सकने की विवशता के विषय में उठाते हैं। वह कहते हैं, ऐसी समाज-व्यवस्था में स्वतन्त्रता नहीं, गुलामी है, गुलामी वाली परिस्थितियाँ हैं, भले ही कानूनी तौर पर गुलामी यहाँ न हो।

समानता पर

समानता के सिद्धान्त पर अक्सर एतराज उठाया जाता है कि दुनिया में सब आदमी बुद्धि, प्रभुत्व व शारीरिक शक्ति मे समान नहीं हैं। अम्बेडकर इसे सही मानते हैं, परन्तु वे अगला सवाल यह उठाते है कि क्या इसीलिए हमें सब मनुष्यों को असमान मान लेना चाहिए? ऐसा मानना सही नही होगा। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिज्ञों को कोई एक नियम तैयार कर लेना पड़ता है। यहाँ नियम यह होना चाहिए कि सभी से समान वर्ताव किया जाए, इसलिए नहीं कि सभी गुणो में समान हैं। परन्तु

---

१. भी० रा० अम्बेडकर, जनतन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के पहले कुछ अत्यावश्यक स्थितियों का होना।" भाषण (पूना की कानून लाईब्रेरी के सदय्यों के सामने, ता० २२ दिसम्बर, १९५२)

२. भी० रा० अम्बेडकर, जाति का मूलोच्छेद (अम्बेडकर प्रकाशन सोसाइटी, कटरा जमानसिंह, अमृतसर) पृ० ३८-३९

इसलिए कि वर्गीकरण व पृथक्करण सम्भव नही है।[3]

भाईचारे पर

एक आदर्श समाज मे, अम्बेडकर के अनुसार समान हितों का ध्यान होना चाहिए, एक दूसरे से सम्पर्क बना रहे ऐसे सम्पर्क बिन्दु होने चाहियें। इसे ही वे भाईचारा कहते हैं। जहाँ उपर-लिखित तीनों पाए जायें वही एक आदर्श जनतान्त्रिक समाज है। इस प्रकार के भ्रातृभाव का, भाईचारे का भारत में जातिवाद के कारण काफी अभाव है, एसा अम्बेडकर मानते हैं।

II

स्वतन्त्रता के साथ भारत में प्रजातांत्रिक सरकार बनाई गई। किन्तु अम्बेडकर का कहना था कि यहाँ उन परिस्थितियों का सख्त अभाव है, जहाँ ऐसी व्यवस्था सफल हो सके "लोकतन्त्र भारत में सतही है" उन्होंने कहा था। लोकतन्त्र को सफल करने के लिए कुछ पूर्व स्थितियों का होना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका विचार था। उनके अनुसार वे कौन सी स्थितियाँ हैं ? अब हम इस पर विचार करेंगे।

असमानता

अम्बेडकर के अनुसार समाज में अत्याधिक असमानतायें (Inequalities) नहीं होनी चाहिए। शोषित व शोषक वर्ग न होने चाहियें। अगर ऐसे वर्ग हों जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हों। और उसी समाज मे ऐसे लोग भी हों जिन्हें अधिकार प्राप्त न हों, और सारा बोझ भी ढोना पड़े, तो उस समाज में खूनी क्रांति के बीज मौजूद पाए जायेंगे[4]। इनकी दवा लोकतन्त्र के पास भी नहीं मिलेगी, अम्बेडकर कड़ी चेतावनी देते हैं।

विरोधी पार्टी व बहुदलवादी व्यवस्था (Multi-party system)

लोकतांत्रिक व्यवस्था में वंशानुगत शक्ति और अधिकारों का कोई स्थान नही। सरकार का निषेध करने का अधिकार (Power of veto) व आलोचना का अधिकार लोकतन्त्र व्यवस्था में कोई पाँच वर्ष में एक बार आम-चुनावों के वक्त मिले, केवल यह काफी नहीं है। तुरन्त निषेध करने का अधिकार जरूरी है। अगर यह मिलता है, तो इसका मतलब है कि सरकार हरदम कसौटी पर कसी रहती है। उसे उन लोगो को, जो कि उनके दल के सदस्य न हों, कदम-कदम पर अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना

---

३. वही पृ० ४०

४. भी० रा० अम्बेडकर, जनतन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के पहले कुछ आवश्यक स्थितियों का होना। पृ० ६

पड़ता है[५]। तभी लोकतन्त्र सही राह पर चलता है। इसलिए विरोधी दल या दलों का होना एक अत्याधिक आवश्यक शर्त लोकतन्त्र को सफल बनाने की अम्बेडकर मानते हैं।

कानून व प्रशासन के द्वारा समान व्यवहार

यदि यह नहीं पाया गया, व इनके द्वारा लोगों के प्रति भेदभाव बरता गया तो यह न्यायपूर्ण (Aquity) नहीं होगा। इन्ही कारणों से अम्बेडकर कहते है कि अमेरिका में बाद में "लूट व्यवस्था" (Spoils System) को समाप्त कर देना पड़ा था। लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब जनता के साथ देश के कानून व प्रशासन के द्वारा समान व्यवहार किया जाता हो[६]।

संवैधानिक नीति (Constitutional Morality) का पालन जरूरी है

अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान केवल ढाँचा ही होता है। इस ढाँचे को माँस तथा रक्त संवैधानिक रीतियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में वे इंग्लैड की सरकार का उदाहरण देते हैं। वहाँ की सरकार के सामने ऐसे कितने ही अवसर आए जब वह चाहती तो किसी मुद्दे को लेकर विरोधियों को, सरकार में व विरोधी दल में, नुकसान पहुंचा सकती, परेशान कर सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे वहाँ के लोकतन्त्र को व संविधान को नुकसान पहुँचता था। अम्बेडकर के अनुसार जिस प्रकार किसी खेल के अपने नियम होते है। लोकतन्त्र की भी अपनी संवैधानिक रीतियाँ बन जाती हैं—जिन्हें उपरलिखित नियमों के समान ही पालन करना चाहिए। तभी लोकतन्त्र सफल बन सकता है[७]।

अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का अत्याचार न हो

लोकतन्त्र के नाम पर अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा अत्याचार न होने चाहियें। यह जरूरी है कि अल्पसंख्यक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। उन्हें यह महसूस होता रहे कि यद्यपि सत्तारूढ़ दल सरकार चला रहा है, परन्तु उन्हें कोई नुकसान नही पहुँच रहा है[८]।

---

५. वही, पृ० १०
६. वही, पृ० ११
७. वही, पृ० १४
८. वही, पृ० १७

अम्बेडकर के अनुसार राजनीति शास्त्रियों ने लोकतन्त्र के इस पहलू पर कभी विचार नहीं किया। वे कहते है कि लोकतन्त्र को स्वतन्त्र सरकार कहा जाता है। अम्बेडकर कहते हैं कि इतने विस्तृत सामाजिक क्षेत्र में जनता बिना किसी कानूनी नियंत्रण के काम करती है, या अगर कानून बनाना ही पड़े तो कानून निर्माता यह आशा करते हैं कि जनता मे कानून को सफल बनाने लायक नैतिकता (Morality) होगी। अम्बेडकर के अनुसार केवल लास्की एक ऐसे राजनीति-शास्त्री थे जिन्होंने निश्चित रूप से यह प्रतिपादित किया कि लोकतन्त्र में नैतिकता पूर्ण समाज (moral order) मानकर ही चला जाता है।

समाज में एक नैतिक व्यवस्था चलती हो
The functioning of a moral order in society

अम्बेडकर कहते है कि लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ कि जनता की सद्विचार की भावना ऐसी हो कि वह सही और गलत के प्रश्न पर बिना यह देखे कि पीड़ित कौन है, उत्तेजित हो सके। इसका, उनके अनुसार भारत में सख्त अभाव है। "भारत के गाँव में दक्षिण अफ्रीका मौजूद है। तब भी मैं यहाँ शायद ही किसी ऐसे को पा सका होऊँ जो स्वयं परिगणित जातियों में से न हो, लेकिन फिर भी उनके लिए लड़ता हो"।[६] ऐसा क्यों अम्बेडकर पूछते हैं ? उनके अनुसार इसलिए कि जन-सद्विचार का नितान्त अभाव है।

जनता की सद्विचार की योग्यता
PublicC onscience

अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक समाज लोकतांत्रिक नही होता व वहाँ ऊपर लिखित स्थितियाँ नही पाई जातीं, लोकतन्त्र को सफलता नही मिल सकती। लोकतन्त्र केवल एक प्रकार की सरकार ही नही होता। वह एक जीवन-पद्धति भी होता है, ऐसी अम्बेडकर की मान्यता रही। भारत मे लोकतन्त्र के विषय में उनका यही कहना था कि यहाँ इन स्थितियों का अभाव है और यह यहाँ के लोकतन्त्र के लिए अत्यन्त निराशाजनक है। उन्होने भारतीयों को चेतावनी दी कि वे इसी बात में मग्न व प्रसन्न न रहें कि उन्हें स्वतन्त्रता मिल गई है व संसदीय जनतन्त्र मिल गया है। अभी कार्य समाप्त नही बल्कि शुरू हुआ है। ऐसा भारतीयों को मानना चाहिए। संसदीय प्रजातन्त्र ऐसा पौधा नहीं है जो हर जगह

---

६. वही, पृ० १९

पनप सके। उनके अनुसार इंगलैंड मे यह पनप चुका है, अमेरिका में भी, और फ्रांस में थोड़ा-थोड़ा पनपा है। ये उदाहरण प्रेरणास्पद हो सकते हैं, वे कहते हैं[१०]। दूसरी ओर, वे प्रथम महायुद्ध के पश्चात् के जनतन्त्रों का उल्लेख करते हैं, जो असफल सिद्ध होकर ढह गये उदाहरण के लिए सीरिया, मिस्र और हंगरी। "भारतीय जमीन पर संसदीय लोकतन्त्र केवल ऊपरी सजावट है, जो कि अन्दरूनी तौर पर नितान्त अप्रजातांत्रिक है। अम्बेडकर इस सन्दर्भ में कहते हैं कि हमें अपने प्रजातन्त्र के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिये तथा इसके मार्ग में जो बाधायें हैं उन्हें दूर करने के लिए कुछ निश्चयात्मक व सकारात्मक कदम उठाने चाहिये।

जातिवाद प्रजातंत्र की राह में सबसे बड़ी बाधा

अम्बेडकर कहते हैं कि ज्यादातर यह समझा जाता है कि जहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है वहाँ प्रजातन्त्र होगा ही। अम्बेडकर स्वयं ऐसा जरूरी नहीं समझते। उनके अनुसार प्रजातन्त्र की जड़ें किसी विशेष प्रकार की सरकार में नहीं बल्कि समाज में होती है, समाज के लोगों के आपसी सम्बन्धों तथा इन सम्बन्धों के स्तरों में होती हैं। समाज में स्वाभाविक रूप से एकता होनी चाहिए, वह "एक" (One) हो, ऐसा वे कहते हैं। इस एकता में उनके अनुसार और बहुत से गुण निहित होते हैं, जैसे उद्देश्य की एकता, भलाई की इच्छा, जनता के कार्यों के प्रति निष्ठा तथा एक-दूसरे के प्रति सदिच्छा, सहानुभूति व सहयोग। अम्बेडकर जब हिन्दू समाज को इस कसौटी पर कसते है तो पाते हैं कि वह खरा नही उतरता। यह समाज जातिवाद के आधार पर श्रेणियों में विभाजित है। जो श्रेणी जितनी ऊँची होगी, उसे उतना ही ज्यादा आदर मिलेगा और जो नीचे होगी वह उतनी ही ज्यादा नफरत का पात्र होती है। और तो और, अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ तो चुनावों के लिए उम्मीदवार को खड़ा भी जाति के आधार पर किया जाता है, व मत भी इसी आधार पर डाले जाते है। दान भी जाति देखकर किया जाता है, व नौकरियाँ भी इसी आधार पर मिलती हैं। जातिवाद के कारण ही यहाँ अन्तर-जातीय सहभोज व अन्तरजातीय विवाह सम्भव नही हो जाते हैं। समाज में दो हिस्से हो जाते हैं, एक जो विशेषाधिकारों से युक्त है तथा दूसरा जो इनके आधीन है। इससे उत्पन्न हुयी सामाजिक असमानता सामाजिक मेल-मिलाप व एकत्व की भावनाओं पर कुठाराघात करती हैं और इस प्रकार प्रजातन्त्र की चूलें हिल जाती

१०. वही, पृ० २१

हैं। केवल यही नहीं, भारत में हर जाति एक विशेष प्रकार की जीविका (occupation) से बँधी हुई है। इसे बदलने की उसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। यह अन्याय है, अम्बेडकर कहते है। प्रजातांत्रिक समाज में हर एक को अपनी सभी योग्यताओं को विकसित करने का मौका मिलना चाहिए, व उनका समाज में उपभोग होना चाहिए। अम्बेडकर का निश्चित मत था कि इस प्रकार का श्रेणीबद्ध विभाजन व्यक्ति के विकास को रोकता है, और यह होता है तो प्रजातंत्र का विकास भी रुकता है।[11] भारत मे उनके अनुसार ऐसी ही स्थिति पाई जाती है, जिसे सावधानी पूर्वक सुधारना प्रजातंत्र के भविष्य के लिए वे अत्यन्त आवश्यक मानते हैं।

अब तक जो लिखा जा चुका है, उससे जाहिर हो चुका होगा कि अम्बेडकर ने "भारत में प्रजातन्त्र" विषय का गहरा अध्ययन, मनन व विश्लेषण किया था। वे भारतीय जनतन्त्र की बुराइयों को जड़ से पकड़ चुके थे। वे महसूस करते थे कि स्वतन्त्रता के साथ हमने प्रजातांत्रिक सरकार बनायी तो है, परन्तु यहाँ का समाज प्रजातांत्रिक नहीं है। जब तक यह नही होगा, यहां का प्रजातन्त्र सच्चा प्रजातन्त्र नही बन सकता। इसलिए, जातिवाद का उन्मूलन यहाँ एक महौषधि सिद्ध होगा, और तभी हमारा प्रजातन्त्र का ब्रिटेन से उधार लिया हुआ पौधा पनपेगा व फलेगा-फूलेगा।

III

उपरलिखित चेतावना अम्बेडकर ने १९५२ में दी थी। लेकिन इसके भी पहले उन्होने पश्चिम यूरोप मे संसदीय प्रजातन्त्र के असफल होने के कारणों का विवेचन किया था[12]। अम्बेडकर कहते हैं कि संसदीय प्रजातन्त्र को संसार में मान्यता मिले व शुरू हुए पूरी एक शताब्दी भी नही बीत पाई थी कि उसके विरुद्ध विद्रोह होना शुरू हो गया, जैसा कि जर्मनी, रूस व स्पेन में हुआ। जहाँ नहीं हुआ वहाँ भी इसके विरुद्ध असंतोष पाया जाता है। इस असंतोष के क्या कारण हो सकते हैं, इनका विवेचन अम्बेडकर करते हैं।

---

११. भी० रा० अम्बेडकर, भारत में संसदीय जनतंत्र का भविष्य, Voice of America को दी गई वार्ता, २०-५-१९५६

१२. भी० रा० अम्बेडकर, श्रम व संसदीय प्रजातन्त्र, भाषण १७ सितम्बर १९४३, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, अपनी पुस्तक, गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया में उद्धृत करते हैं, पृ० २०५

अम्बेडकर के अनुसार पश्चिमी यूरोप में संसदीय प्रजातन्त्र की असफलता के कारण :—

पहला कारण तो यही है कि इसकी मशीन ही ऐसी है जो धीमी है व शीघ्र निर्णय व शीघ्र कार्यान्विन करने में रुकावट हो सकती है। यहाँ कार्यपालिका के कार्य मे रुकावट पड़ जाती है जब संसद उन कानूनों को वनाने से इन्कार कर दे जिसकी प्रथम को आवश्यकता होती है। अगर ऐसा न हो, तो यह हो सकता है कि न्यायपालिका ही कानूनों को गैर कानूनी करार दे। अम्बेडकर कहते है कि प्रजातन्त्र मे तानाशाही को खुली छूट नहीं मिल सकती और इसीलिये जर्मनी और स्पेन ऐसे देशों में इसे अयोग्य करार दिया गया, व तानाशाही का स्वागत किया गया। साथ ही अम्बेडकर यह भी कहते हैं कि केवल यही एक अवगुण इसमें माना जाता तो कोई हर्ज नहीं था। वल्कि यह तो इसका गुण भी मान लिया जाता क्योंकि इससे तानाशाही पर वास्तविक नियंत्रण रखा जा सकता। दुर्भाग्यवश उन देशों में भी, जहाँ तानाशाही का विरोध होता है, ससदीय प्रजातन्त्र के विरुद्ध असन्तोष है। यह एक दुःखदायी वात है। अम्वेडकर कहते हैं, विशेपकर तब जवकि संसदीय प्रजातन्त्र अचल नही रहा व इसने तीन विशेष दिशाओ मे प्रगति की है। समान मताधिकार के द्वारा राजनीतिक अधिकारो से इसकी शुरुआत हुई। इसने अब प्रगति करके राजनीतिक अधिकारों में आर्थिक व सामाजिक समानता को शामिल किया है। तब फिर क्या बात होगी ?

अम्वेडकर के अनुसार इसका कारण यह है कि संसदीय प्रजातंत्र वहाँ की आम जनता को उनके स्वतन्त्रता, संपत्ति व सुख प्राप्त करने (Pursuit of happiness) के अधिकारों के प्रति आश्वस्त करने में असफल रहा। अगर यह सच है तो अम्वेडकर कहते हैं कि असफलता के कारण गलत विचारधारा तथा गलत संगठन दोनो में निहित है।

अम्वेडकर के कथनानुसार संसदीय प्रजातन्त्र की विचारधारा में "अनुबन्ध की स्वतन्त्रता" (Freedom of Contract) को स्वतन्त्रता के नाम पर अत्याधिक पवित्र बना दिया गया है। यहाँ यह भी देखना जरूरी नहीं समझा जाता है कि जिन पक्षो के वीच अनुवन्ध होता है वे अपनी मोल-तोल करने की क्षमता में यदि असमान हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है ? इससे भी इन्हें कोई फ़र्क नही पड़ता कि अनुवन्ध को स्वतन्त्रता के नाम पर ताकतवर कमजोर को मजवूर कर लेता है, धोखा दे सकता है। नतीजा यह है कि स्वतन्त्रता की हिमायत करते-करते संसदीय प्रजातन्त्र ने शोषितो के, गरीबों के, गिरे हुओं के तथा वंचितों के दुःखों में वृद्धि ही की है। संसदीय प्रजातन्त्र की असफलता का यह भी एक प्रमुख कारण है।

दूसरा प्रमुख कारण अम्बेडकर के अनुसार यह है कि इस बात को नही महसूस किया गया कि सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र के बिना राजनीतिक प्रजातंत्र सफल नहीं बन सकता। इसी कारण से अम्बेडकर के अनुसार प्रजातंत्र स्पेन, जर्मनी और रूस मे खत्म हो गया। परन्तु इंग्लैण्ड व अमेरिका में नही। संसदीय प्रजातंत्र में स्वतन्त्रता (liberty) को बहुत ऊँचा स्थान मिला, परन्तु समानता को नही। नतीजा यह हुआ कि समानता व स्वतंत्रता में सन्तुलन नही हुआ और स्वतत्रता ने समानता को निगल लिया।

ये तो हुए गलत विचारधारा से उत्पन्न हुए कारण। लेकिन इनसे भी ज्यादा जिम्मेवार वे गलत संगठन को मानते हैं। उनके अनुसार :—

"सभी राजनीतिक समाजों में राज्य करने वाले तथा जिन पर राज्य किया जा रहा हो, ऐसे दो वर्ग बन जाते हैं। यह एक बुराई है ही। अगर यह बुराई यही खत्म हो गई होती, तब भी खैर होती। परन्तु यह विभाजन इतना पक्का और पुराना हो जाता है कि राज्य करने वाले हमेशा इसी वर्ग से लिये जाते हैं। यह तब होता है जब जनता स्वयं शासन करना छोड़ देती है और सरकार बना कर ही सन्तुष्ट हो जाती है। इसी वजह से संसदीय प्रजातन्त्र असफल होता है।"[११]

इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्बेडकर ने प्रजातंत्र के असफल होने पर गहन मनन किया था। वे चाहते थे कि उन्ही कारणों को यहाँ न दोहराया जाये जिनकी वजह से पश्चिम यूरोप में ससदीय प्रजातंत्र असफल रहा। यही नही, भारत मे किन किन स्थितियों का प्रजातंत्र की सफलता के लिए अभाव है। इसका विवेचन भी किया तथा क्या किया जाना चाहिये, इस पर अपने सुझाव भी दिये। उनकी प्रजातंत्र की परिभाषा बड़ी विशद व विस्तृत थी। उनके लिए यह एक जीवन पद्धति, जीवन को जीने का ढंग था।

आज के भारतीय प्रजातन्त्र के सन्दर्भ में अम्बेडकर के द्वारा उठाये गये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस पीढ़ी को इनका सही समाधान ढूंढ़ना ही पड़ेगा। यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है।

---

१३. देखिये वही, पृ० २०७

क्रान्तदर्शी डा० अम्बेडकर

शचीरानी गुर्टू

बड़ा ही उद्दाम, ओजस्वी, निराला व्यक्तित्व उभरता है डा० अम्बेडकर का मेरी नजरों के सामने जिनके प्रति एक राजनीतिक नेता के रूप में उस समय मेरा ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ जबकि हिन्दू कोड बिल की चर्चा तथा उस संदर्भ में कितने ही वादविवाद उठ खड़े हुए थे। शुरू-शुरू में मुझे भी बेहद नागवार गुजरा और अनेक बातें मेरे मन मे नही बँसी, किन्तु जब अनेक पहलुओं पर बारीकी से सोचा और मनन किया तो मेरे हृदय-पटल पर सहसा कौंध गया कि कौन सा मसीहा जन्मा है इस बीसवी सदी में जिसने अदम्य साहस और दृढ-सकल्प के साथ बहुप्रचलित झूँठी परम्पराओं, आदर्श मान-मूल्यों, आस्थाओं और तत्सम्बन्धी कितने ही प्रश्नों पर प्रखर प्रहार किया है। दरअसल, उनके दिल में जो दर्द था, वह कृत्रिम या आरोपित नही, वरन् उनकी ज़िन्दगी की अमूल्य धरोहर था। उनकी दृष्टि इतनी गहरी और जागरूक थी जो विकल्पो के द्वैत में न फँसकर भारतीय समाज व्यवस्था मे व्याप्त भयानक विषमताओ में पैठ सकी।

उनकी भावनाओ का उत्स क्या था? मनुष्यत्व की वह ऊँचाई जो निश्चय ही उनकी बुद्धि एवं कल्पना में बसी एक अनुपम उपलब्धि थी। किसी प्रकार का छिपाव-दुराव या छिछलापन उनकी प्रकृति के विरुद्ध था जिस बात को वे अनुचित समझते थे उसे बरदाश्त न कर पाते थे और उस पर अपने विचारों को प्रगट करने से न चूकते थे। यही कारण है कि उन्होंने बड़े-बड़े विरोधों का सामना किया, सामाजिक कुरीतियो का पर्दाफास किया और कितनी ही ज्वलत समस्याओं से लोहा लिया। नये भारतीय सविधान के निर्माण मे उनके क्रातिकारी संशोधन थे—बहुपत्नीत्व से एकपत्नीत्व, शास्त्रीय अविच्छेद्य विवाहों में तलाक की व्यवस्था, नारी के सम्पत्ति सम्बन्धी सीमित अधिकार का पूर्णाधिकार मे परिवर्तन, विवाह की आयु में वृद्धि

गोद-प्रथा एवं उत्तराधिकार के नियमों में तदनुकूल व्यवस्था तथा जाति-पाँति के भेदभाव की समाप्ति। खासकर स्त्री-जाति पर सदियों से चले आते दबाव और उत्पीड़न को मद्देनज़र रखते हुए कितनी ही तब्दीलियाँ लाई गईं। शास्त्रीय हिन्दू विवाह, जो हर किसी दुर्वह से दुर्वह परिस्थिति में भी वैध माने जाते थे, उनमें कतिपय कारणों के आधार पर विच्छेद की व्यवस्था की गई—जैसे परित्याग, धर्म परिवर्तन, रखेली रखना या रखेली बन जाना, असाध्य उन्माद, भयंकर कुष्ठ रोग, संक्रामक गुप्त रोग और क्रूरतापूर्ण व्यवहार।

यों नारी के अधिकारों की परिधि को वृहत् से वृहत्तर बनाकर शास्त्र के, लोकाचार के, समाज के विधि-निषेधों से परे वे उसे पूर्ण शक्तिमती व स्वतन्त्र बनाना चाहते थे। करुणा अपरिमित मानसिक यन्त्रणा में भी प्रतिवाद न करने वाली भारतीय नारी के व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का अब समय आ गया था, अतः नीति या धर्म समाज या संस्कार, प्रथा व रूढ़ियों के इस धुएँ की फुफकारती नागिन के फन को कुचलना ही होगा। स्याह लकीरों की इस क़ैद को तोड़ना ही होगा। ऐसा वे बखूबी समझ गए थे। विधि-अनुशासन की एक-एक दीवार तोड़ने में तूफ़ानी हवा की प्रचण्ड गति से समाज के ढाँचे को बदलने में उन्होंने कुछ उठा न रखा। निरर्थक मान्यतायें, कौटुम्बिक प्रवन्चनाओं, बुर्जुआ ढकोसलों, अतर्क्य स्थितियों के प्रति उनमे आक्रोशी निर्णय, स्थित-प्रज्ञता और एक ऐसा भाव गुम्फित था जो विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहा था।

बस, यही क्रान्ति चेतना डा० अम्बेडकर की सबसे बड़ी देन है। अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहने के लिए उन्होंने क्या-क्या नही किया। कितनी अनखोजी दिशाओं की मंजिलों पार कीं। कोई क्षिजित अछूता नहीं छोड़ा। भ्रान्तियों के निराकरण पर ज़ोर देकर सामूहिक नियति से बद्ध उन्होंने ऐसे जीवन-लक्ष्य की खोज की जो हर दृष्टि से परीक्षित और स्वयं को विश्लेषित करने वाला था। अपने आदर्शों को सार्थक करने में उन्हें अनेकानेक कठिनाइयाँ व प्रतिरोध सहन करने पड़े। कितने ही उग्रपंथियों और दाकियानूसों से लोहा लेना पड़ा जिनमें अपने ही सुपरिचित तरीकों मे रमकर पहल करने की क्षमता नही रहती और वे दूसरों के प्रति भी शंकालु बन जाते हैं। वे हर नये परिवर्तन से डरने लगते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी अंतश्चेतना की आवाज़ को घोटकर स्वसत्ता और स्वतन्त्रता खो बैठते हैं। अतः यह निर्विवाद है कि इस युगद्रष्टा ने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति का सूत्रपात

किया जिसने जनतान्त्रिक भावनाओं को सुदृढ़ एवं ठोस बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

कर्म का आह्वान—एक चुनौती

अस्पृश्य जाति में जन्म लेने के कारण डा० अम्बेडकर को बचपन से ही यह एहसास हो गया था कि घुन की तरह समाज की जड़ को खोखला करने वाले इन विघटनकारी तत्त्वों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष करना है। अतएव रचनात्मक पक्षों पर दृक्पात करते हुए उन्होंने इस बात पर सदा जोर दिया कि उच्च शिक्षा, आजीविका के बेहतर तौर-तरीके और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने से वे स्वयमेव सम्मान अर्जित करेंगे और बराबरी के पैमाने पर आजायेंगे। साफ-सुथरे और उच्च शिक्षा प्राप्त अछूत सवर्णों के साथ बिना किसी भेदभाव के घुलमिल सकेंगे और कालान्तर में पृथकत्व की यह भावना मिटती चली जाएगी। उन्होंने एक अवसर पर कहा था—"हम मंदिर प्रवेश के लिए भीख नहीं माँगते क्योंकि उसके दरवाजे खोलना, न खोलना आप का काम है, उसके लिए आन्दोलन करना मेरा काम नही हैं। यदि आप समझते हैं कि किसी इन्सान की पावन एवं धार्मिक भावना की अवहेलना करना भद्दी बात है तो आप एक सज्जन की हैसियत से मन्दिर के पट खोल दीजिए। किन्तु आप में सज्जनता की अपेक्षा हिन्दुत्व का कट्टरपन है तो दरवाजे बन्द रखिए और जहन्नुम में जाइए, मुझे इसकी जरा भी पर्वाह नही।"

एक बुद्धिजीवी, शोधकर्त्ता और कानूनी पंडित होने के नाते डा० अम्बेडकर के विचारों में उग्रता और स्थापनाओं के खण्डन की क्षमता थी। यथास्थिति, परम्परा और गतानुगतिक का विरोध करने और चुनौती देने की भी उनमें अदम्य शक्ति थी, यहाँ तक कि अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए गाँधी जी व पं० नेहरू जैसे नेताओ तक से उनका मतभेद हो गया। उनका स्वयं का विशिष्ट एवं अपराजेय व्यक्तित्व होने के कारण वे कभी भी तानाशाही के सामने नही झुके। कुर्सियाँ एवं पदों का प्रलोभन उन पर कभी हावी न हो सका।

विद्रोही, प्रखर, अग्रगामी, जिन्होने नारी की समस्याओं और पिछड़े वर्ग की मुसीबतो और कष्टो को मुखर किया, जो स्वभावत: जनवादी थे और मनुष्य-जीवन के विधान एव चरित्राकन मे इतनी विपुल चिन्तन राशि देने मे समर्थ हो सके। बम्बई मे आयोजित एक विशाल सभा मे उन्होने घोषणा की थी, 'यदि अछूतों का एक बहुत

बड़ा वर्ग उपेक्षित व अनादृत रहेगा तो 'स्वराज' मिलने में कठिनाई होगी। सवर्णों की जो कुछ करना है वह दया या उदारता के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने ही हित और कल्याण के लिए। दबाव, अन्याय और झूंठी परम्पराओं से जूझना ही हमारे आन्दोलन का ध्येय है, पतितों, उत्पीड़ितों और अंधकार में भटकतों को दिशा-निर्देश करना ही मेरी चाह है और सचमुच ही हमारा यह अनवरत संघर्ष अंधकार से कभी प्रकाश में परिणत हो जाएगा।'

———

बाबा साहब डा० अम्बेडकर की घोषणा : शोषितों अब सावधान

अंगनेलाल

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर २० वीं शताब्दी के बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वह प्राणी होता है, जो शोषित और पीड़ित मानवों के दुःख को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बाबा साहेब का सम्पूर्ण जीवन ऐसे ही परोपकारी कार्यों से परिपूर्ण है। उनके जीवन का एक-एक क्षण देशहित और समाजहित मे बीता। स्वदेश के प्रति शिकायत उन्होंने कभी भी बर्दाश्त नही की। वह सच्चे देशभक्त थे। उनका यह दृढ़ मत था कि देश के लोग जब तक एक-दूसरे के साथ प्रेमभाव रखेंगे, एक-दूसरे को समान समझेंगे, एक-दूसरे को ऊँच-नीच, छूत-अछूत नही समझेंगे, जब तक लोग मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानेंगे, तब तक दूसरे देश कुछ भी नही बिगाड़ सकते। इसी एक सिद्धान्त के आधार पर बाबा साहेब भारत में सामाजिक समानता की आवश्यकता को अनिवार्य और प्राथमिक मानते थे। इस सामाजिक समानता में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और जाति-पाँति महान घातक है। बाबा साहेब का तो दृढ़ मत था कि "जाति-विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य-प्राप्ति का कोई महत्त्व नही।" जाति-पाँति के लिये जहाँ एक ओर उन्होने तथाकथित उच्च जातीय लोगों की कटु आलोचना की वहाँ उन्होने हिन्दू धर्म के शूद्रों को भी कड़ी चेतावनी दी।

वर्ण-व्यवस्था और जाति-पाँति हिन्दू धर्म का आधार स्तम्भ बन गई है। इसे धर्ममय मान लिया गया है। यही देश के पराभव और आन्तरिक कलह का मुख्य

कारण है। हिन्दू धर्म ने भारतीय समाज को खोखला और जर्जर कर दिया है। हिन्दू धर्म ने भारतीय समाज को वर्ण और जाति के नाम पर अनेक टुकड़ों में बाँट दिया है। यही नहीं ऐसा भाव पैदा कर दिया कि यहाँ मनुष्य-मनुष्य से घृणा करता है, उसे छूने की वस्तु भी नहीं समझता।

हिन्दू धर्म की यह महानता है कि उच्च वर्णीय लोग शूद्रों की निन्दा, अपमान और बेइज्जती करते रहे, परन्तु शोषित उन्हें अपना पूज्य मानते रहे। यदि वे आना-कानी करें तो वह हिन्दू धर्म के विरुद्ध है। हिन्दू धर्म में भारत के अधिकांश लोगो को पशुवत् जीवन बिताने के लिए बाध्य किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रीय और वैश्यों की सेवा करना ही उनका धर्म बताया गया है। हिन्दू धर्म के नाम पर यहाँ के भारी संख्या मे लोगो को अछूत (न छूने योग्य) अपराधशील और भगोड़े बना दिया गया, जिन्हें संकटकाल में भी तलवार पकड़ने का अधिकार नही था।

यही नही क्षत्रियो में गुर्जर, प्रतिहार, चन्देल, परमार, चौहान, गहड़वाल, चालुक्य, सोलंकी कितनी ही जातियाँ थी, जो एक दूसरे के रक्त की प्यासी रहती थीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुसलमानों को भी स्वदेश पर आक्रमण करने का निमन्त्रण देने में नहीं शर्माये। यह थी धर्म के नाम पर सामाजिक एकता। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर अतीत के इन वर्गवत दुष्परिणामों से पूर्ण रूप से परिचित थे। "रानडे गाँधी और जिन्ना" नामक ग्रंथ में उन्होंने प्रारम्भ में ही यह प्रश्न किया है कि क्या भारतीय इतिहास पुनरावृत्ति करेगा ? इन्हीं परिणामों से देश को बचाने तथा सच्चे अर्थ में सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने जाति-पाँति का घोर विरोध किया। यद्यपि इस सामाजिक समानता के लिए अपरिहार्य विरोध में उन्हें नाना प्रकार की यातनायें सहनी पड़ी। महाद तालाब से पानी लेने की घटना और कालाराम मन्दिर प्रवेश की घटनाओं के भीषण परिणामों से कौन परिचित नही होगा। इन्ही कारणों के फलस्वरूप बाबा साहेब ने यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि "मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश की बात नही थी, परन्तु मैं हिन्दू धर्म में मरूँगा नही, यह मेरे वश की बात है।"

बाबा साहेब ने घोषणा की कि ईश्वर में विश्वास करना देश के लिए अहित-कर है। इससे शोषक को शोषण करने में सहायता मिलती है और दूसरी ओर शोषित को और अधिक शोषित होना सिखाता हैं। ईश्वर को धर्म,के साथ संबद्ध करके मानव के साथ घोर अन्याय किया गया है। ईश्वर एक कल्पना है। उसका अस्तित्व आज

तक सिद्ध नही हो सका। इसी कल्पना की कल्पना में पुरोहितों ने मानव को फँसा रक्खा है। ईश्वर के नाम पर मनुष्य को इतना निर्बल बना दिया गया है कि जिस कार्य को वह स्वयं अपने हाथ-पाँव द्वारा करता है, उसे भी ईश्वर द्वारा किया हुआ बताता है। मनुष्य का सीधा संबन्ध मनुष्य से है। ईश्वर के बहाने से भारत मे शोषितों को शोषित बने रहने के लिए बाध्य किया गया। यदि कोई आदमी गरीब परिवार मे पैदा हुआ है तो वह ईश्वर की कृपा बताई जाती है। भारत के करोड़ों अछूतों को आज तक ईश्वर ने अछूत बनाये रखा और शोषण की चक्की में पिसने देने की कृपा की। स्पष्ट हैं कि ईश्वर से गरीबों का कोई भला नही है और न देश की समृद्धि के लिए ही ईश्वर की आवश्यकता है। हाँ, ईश्वर से पण्डे, पुजारियों, पुरोहितो, मौलवियो और पादरियो को लाभ है, अवश्य है और इसीलिए उनके प्रत्येक कार्य मे ईश्वर सबसे आगे चलता है।

धर्म के नाम पर मानव के साथ दूसरा अन्याय यह कहकर किया गया है कि एक ही ईश्वर ने सभी प्राणियों तथा दुनिया को बनाया है। वह सर्व शक्तिमान, सर्व व्यापक और सर्वदृष्टा है। विज्ञान से यह कथन सत्य सिद्ध नही होता। रज और वीर्य के सम्मिलन के बिना मनुष्य का जन्म नही हो सकता। बाबा साहेब ने इस ढकोसले की विस्तृत विवेचना अपने ग्रन्थ "बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म" में "धर्म और मजहब" अध्याय में की है।

शोषितों के दिमाग की दूसरी डकैती यह कह कर डाली गई है कि आत्मा ईश्वर का एक अंग है। यह अजर, अमर और नित्य है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य मे उस काल्पनिक ईश्वर का एक अंग समाहित कर दिया गया है, जिसके बल पर पुजारियों और पुरोहितों को आराम का जीवन बिताने को मिलता है। इस मिथ्याडम्बर को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि शोषक गरीब आदमी का सब कुछ शोषण कर ले परन्तु गरीब आदमी उसे शोषण न समझ कर धर्म समझता रहे। कार्तिकी मेले में या तीर्थों पर पुजारियों के पास ढेरों रुपये-पैसे दक्षिणा के नाम पर आते हैं। उन पैसो का उपयोग शराब पीने, मास खाने और व्यभिचार करने मे होता है, परन्तु क्या इसके पूरे दोषी पण्डे और पुजारी हैं? नही। इसके दोषी धन देने वाले वे लोग भी हैं जो अपने पैरों चलकर इन सब पाप कर्मों को करने के लिए धन दे जाते हैं। प्राप्त धन के उपयोग का दृष्टिकोण पुजारी का होता है, परन्तु दान दाता ऐसी भूल क्यों करता है। आज जो सबसे धूर्त, झूँठ और चालाक है, चंदन टीका के वेश में वही सबसे पुजारी, ईश्वर के निकट और पवित्र आत्मा वाला माना जाता है। यह दोष तो

मानने वालों का ही है। इसीलिए महामानव बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के सदाचरण के लिए प्रथम पद "सम्यक् दृष्टि" का बताया है सम्यक् दृष्टि के अभाव में उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय, कलुषित और अकलुषित का निर्णय नहीं हो सकता। जिस धर्म में शोषणवृत्ति उसका एक अंग बन गई है, शोषितों को उसे तिलांजलि दे देना ही हितकर है।

इतिहास की यह मान्यता है कि आर्यों के आने के पहले भारत में रहने वाले लोग अत्यन्त सभ्य थे। उनके पक्के मकान थे और वे नगरों में रहते थे। आर्य कई बार उनसे युद्ध में हारे। छल-कपट करके आर्य विजयी हुए। विजय के बाद उनका पहला काम था, पराजित समाज को अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना और उनके बीच ऐसी खायी बना देना जिससे वे एक साथ न मिल पायें। आर्य इसमे सफल हुए और जो यहाँ पहले राजा थे उन्हें अनार्य और शूद्र कहकर अपमानित जीवन बिताने के लिए बाध्य किया। आज ८० प्रतिशत भारत के अछूत (अनुसूचित, विमुक्त तथा अनुसूचित आदिम जाति) और पिछड़े वर्ग के लोग आर्यो के पहले भारत के लोग है। जब वे साथ-साथ खाते-पीते उठते-बैठते थे, उस समय जाति-पांति की दीवारें न थी, छूत-अछूत का रोग न था और ऊँच-नीच की खायी न थी। आर्यो ने ये सभी देनें भारत को दी। जाति--पाँति की दीवार को धर्म की आड़ में इतना मजबूत कर दिया गया है कि पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति किसी भी अछूत जाति के व्यक्ति को छूना पसन्द नहीं करता। उसकी छाया से घृणा करता है। उसके साथ उठने-बैठने में अपना अपमान समझता है। जहाँ एक परिवार के भाई आपस में एक-दूसरे को इस तरह भूल गये हों, आपस में द्वेष भाव रखने लगे हों उनकी उन्नति कैसे होगी। ठाकुर, ब्राह्मण और बनिये का हित इसमें है कि वह शोषित लोगों को अपना गुलाम समझकर शोषण की चक्की में पीसता रहे परन्तु अछूत और पिछड़े लोगों का इसमें क्या हित है कि वे उन्हें अपना मालिक मानकर और अधिक शोषण का अवसर दें।

मनुष्य की उन्नति उसी के अपने प्रयत्नों से होगी परन्तु जब उसे यह ज्ञान रहे कि मेरी उन्नति का रास्ता क्या है और क्या-क्या बातें मेरी उन्नति में बाधक या साधक हैं। जब वह अपने कार्यों का कर्त्ता अपने को ही समझे। साथ ही अपना स्वामी भी अपने को ही माने। उसमे यह स्वाभिमान रहे कि मैं अपना स्वामी स्वयं हूँ मेरा स्वामी कोई दूसरा नहीं है (अताहि अतनो नाथो कोहि नाथो परोसिया)। वह मिथ्या धर्म का मार्ग त्याग कर सद्धर्म के मार्ग पर चले। सद्धर्म के आधार हैं प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। विमल बुद्धि के होने से मनुष्य के पास

मिथ्या विश्वास नही रह पाते। भ्रम और मोह नहीं रहता। करुणा का तात्पर्य दया और मैत्री है। करुणा के अभाव मे समाज जीवित नही रह सकता। प्रज्ञा धार्मिक के के लिए सड़क तैयार करती है और करुणा धार्मिक को उस धर्म पथ पर संयमित रूप से चलाती है। इस प्रकार प्रज्ञा और दया का समिश्रण ही धर्म है। प्रज्ञा और करुणा पर आधारित 'मध्यम मार्ग' ही मानव की उन्नति का एक मात्र मार्ग है।

शोषितो ! निर्वाण की सड़क तुम्हारे सामने है, उस पर चलना न चलना तुम्हारा काम है।

सब्बे सत्ता सुखी होन्तु

सामाजिक क्रांति का सेनानी

आनन्द कौसल्यायन

उन्नीसवी तथा बीसवी शती में इस देश के जितने भी राष्ट्र निर्माता हुए, उन में दो ही स्वर्गीय राष्ट्रपुरुषों की इन दिनों विशेष चर्चा है—एक महात्मा गांधी की और दूसरे डा० भीमराव अम्बेडकर की। महात्मा गांधी को यदि कोई भुला देना चाहे तो सरकार उसे भूलने नही देती, और डा० अम्बेडकर को यदि कोई भुला देना चाहे तो इस देश की दलित, त्रसित, पिछड़ी हुई जनता उसे भूलने नही देती।

मैंने गरीबों के मुहल्लों में नंग-धड़ंग बच्चों को खुशी से तालियाँ बजा-बजाकर "जय-भीम" कहकर अपने से बड़ों को, और समान आयु के लोगों को परस्पर एक-दूसरे को अभिवादन करते सुना है, वैसे ही जैसे सनातनी लोग परस्पर 'जयराम जी' कहते हैं। डा० अम्बेडकर गरीब जनता के जन मानस में जैसे बस गये हैं। ऐसा क्यों ?

डा० अम्बेडकर समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में पैदा हुए। उन्होंने बड़ी ही कठिनाइयों से विद्यार्जन किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर समाज के पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्हें अपने इस कार्य मे पूरी सफलता मिली। उन्होंने समाज के उस वर्ग की भी सेवा करने की कोशिश की, जिसने उसे ठुकराया। उन्होने भारत का विधान बनाने जैसा महत्वपूर्ण तथा महान कार्य कर दिखाया। उन्होने बहुसंख्यक भारतीय जनता के लिए बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करने का रास्ता खोल दिया।

१४ अप्रैल, १८९१ उनका जन्म दिन है। डा० भीमराव अम्बेडकर के पिता श्री० का नाम रामजी और मातृश्री का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता-पिता की चौदहवी सन्तान थे। कभी-कभी वे विनोद में स्वयं कह दिया करते थे कि मैं अपने माता-पिता का 'चौदहवां रत्न' हूँ।

छः वर्ष की आयु भी कुछ आयु होती है। उतनी छोटी आयु में भी 'भीम' का जैसा नाम था, वैसे ही 'काम'। वह अपनी उमर के लड़कों के साथ ही नहीं, अपने से बड़ी आयु के लड़कों के साथ भी आये दिन उलझ पड़ता। शरीर से तन्दरुस्त और स्वभाव से शरारती। अपनी आयु के बच्चों को तो वह कभी-कभी पीट भी डालता। अपने से बड़ों को पत्थर मार कर भाग जाता।

स्कूल में भरती कराया गया, तो जैसे पढ़ाई-लिखाई मे उसका मन लगता ही न था। स्कूल में जो कुछ पढ़ आया, सो पढ़ आया। घर आते ही वह पुस्तको को एक ओर पटक, अपनी मण्डली में पहुँच धमा चौकड़ी मचाने के लिये, घर से वाहर हो जाता। झगड़ा और मार-पीट तो रोज का काम था। मानों यही असली पढाई हो।

वह जिद्दी स्वभाव का था। जिस वात की हठ ठान लेता, उसे करके छोड़ता। एक बार जोर की बारिश हो रही थी। उसने अपने बडे भाई आनन्द राव से कहा—"तुम मेरी किताबें और टोपी, छतरी में स्कूल ले जाओ। मैं पानी में भीगता हुआ स्कूल आऊँगा।"

भाई ने बहुत समझाया। उसने एक न सुनी। स्कूल पहुँचा, तो उसके कपडे तर-वतर थे। उस दिन उसे शाम तक केवल लंगोटी पहने रहना पड़ा।

स्कूल की पढ़ाई मे उसका क्या खाक मन लग सकता था। वहाँ तो उसे प्रायः रोज अपने "अछूत" होने का दण्ड भुगतते रहना पड़ता था। स्कूल के सभी बच्चे वेंचों पर बैठते और डेस्को पर कापियां रखकर लिखते-पढ़ते। आनन्दराव तथा भीम—दोनों भाइयों को जमीन पर 'टाट' पर वैठना पड़ता। वह 'टाट' भी उन्हे अपने घर से लाना पड़ता था। प्यास लगती तो वे पानी के नल की टोंटी तक अपने हाथ से न घुमा सकते थे। कोई दूसरा लड़का घुमाये, तभी वह सार्वजनिक नल का भी पानी पी सकते थे। एक बार तो सार्वजनिक प्याउ पर पानी पीने जाने पर 'भीम' की अच्छी मरम्मत हुई थी।

एक बार किसी ब्राह्मण अध्यापक ने 'भीम' को कह दिया—"अरे तू तो 'महार' है। पढ-लिखकर क्या करेगा!" भीम ने मुंह-तोड़ उत्तर दिया—"मैं पढ-लिखकर क्या करूँगा, सर, यह पूछना आपका काम नहीं। यदि आपने दुबारा इस प्रकार मेरी 'जाति' का उल्लेख कर मेरा अपमान किया, तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा।"

सन् १९०७ में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हे ७५० मे से कुल २८२ नम्बर मिले थे, जिसका मतलब था कि वह तीसरे दर्जे में ही उत्तीर्ण हुए थे।

उस समय किसी "अछूत" विद्यार्थी के लिये यह भी कम बड़ी बात नही थी कि उसने "मैट्रिक" पास कर लिया था।

सन् १९२१ में भीमराव बी० ए० की परीक्षा में भी तीसरी श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए। इसका कारण यही रहा कि वह कालेज की पढ़ाई करते समय बाहरी पुस्तकें ही अधिक पढ़ते रहते थे।

उदार-चित्त शिक्षा-प्रेमी बड़ौदा-नरेश सयाजी राव से मिली सहायता के फलस्वरूप भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अमरीका, लदन और जर्मनी की पढ़ाई पूरी की। बड़ौदा नरेश उनकी जितनी सहायता करना चाहते थे, उन के हाली-मवाली उतनी ही मात्रा में डा० अम्बेडकर के विरोधी थे। अनेक बाधाओं, विपत्तियों को ही नही, एक से एक बढ़कर अपमानों को भी सहन करते हुए १९२३ तक डा० भीमराव अम्बेडकर एम० ए०, पी-एच० डी०, बैरिस्टर एट लॉ—सभी कुछ बन गये थे।

१४ अक्तूबर, १९५६ को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने जब अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उस समय कहा था—

"जब मैं पढ़कर वापस आया, तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिये कहा गया। लेकिन रस्सी के इस फन्दे को मैंने अपने गले में इसीलिये नही पड़ने दिया, कि मैं सरकारी नौकर हो जाऊँगा, तो अपने दीन-हीन भाई-बन्धुओं की सेवा न कर सकूँगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नही पड़ा।"

१९२३ और १९३१ के बीच डा० भीमराव अम्बेडकर ने दो ऐतिहासिक "सत्याग्रह" की लड़ाइयां लड़ी—एक थी महाड़ के तालाव पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिये लड़ी गई लड़ाई और दूसरी थी कालाराम मन्दिर में 'भगवान्' का दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करने के लिये लड़ी गई लड़ाई। जिन गांधी जी ने न जाने कितनी "सत्याग्रह" की लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने भी कभी डाक्टर भीमराव द्वारा लड़ी गई "सत्याग्रह" की लड़ाइयो का समर्थन नही किया। उसका एक ही कारण समझ में आता था कि गाधी जी के "सत्याग्रह" विदेशी सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध थे, और डा० अम्बेडकर के "सत्याग्रह" अपने ही देश के जात्याभिमानी सवर्णी हिन्दुओं के विरुद्ध थे।

१२ नवम्बर, १९३० को लंदन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री रेम्जे मैकडानल्ड की अध्यक्षता मे जो गोलमेज़ कान्फ्रेंस हुई, उसमें भाषण देते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा था—

"मेरे अछूत भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। गुलामों के मालिक कम से कम अपने गुलामों को छूते तो थे। हमें तो छूना भी पाप समझा जाता है।... डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी राज्य ने भी हमारी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नही किया।"

डा० अम्बेडकर के भाषणों के बारे में एक अंग्रेज़ का कहना था कि उनके भाषण क्या होते हैं, वे तो होते हैं सीधे पेशानी पर बैठने वाली गोली का निशाना।

कांग्रेस और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी। १३ फरवरी, १९३१ को जब डा० अम्बेडकर लंदन से रवाना होकर दो सप्ताह बाद २७ फरवरी, १९३१ को बम्बई पहुँचे, तो कई कांग्रेसियों ने डा० अम्बेडकर को काले झण्डे दिखाये, किन्तु जिस "अछूत" जनता के डा० अम्बेडकर अब तक बेताज के बादशाह बन चुके थे, उस "अछूत" जनता ने बम्बई में ही डा० अम्बेडकर का बड़ा भारी स्वागत किया।

गांधी जी केवल "अछूतोद्धार" करना चाहते थे, जिसका मतलब था कुछ अछूतों को शैक्षणिक आदि सुविधायें दी जायें। डा० अम्बेडकर अछूतपन-निवारण पर जोर देते थे, और "अछूतपन" मिटाने के लिये "सीधी कार्रवाई" तक करने के पक्षपाती थे।

"अछूतपन" का डा० अम्बेडकर से बड़ा 'शत्रु' और अछूतों का डा० अम्बेडकर से बढ़कर प्रतिनिधि आज तक पैदा नही हुआ।

१३ अक्तूबर, १९३५ को येवला में जो कान्फ्रेंस हुई, उसमें डा० भीमराव अम्बेडकर ने यह भीम-प्रतिज्ञा की—

"दुर्भाग्य से मैं हिन्दू समाज में "अछूत" पैदा हुआ। यह मेरे बस की बात नहीं थी। परन्तु हिन्दू-समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मरते समय 'हिन्दू' रहकर नही मरूँगा।"

काश! अभागी हिन्दू जाति डाक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई चेतावनी से सजग हो जाती।

३०-३१ मई, १९३६ को बम्बई में महार जाति परिषद का आयोजन किया गया था। उस परिषद में डा० अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था, वह विश्वविख्यात वक्तृताओं में से एक गिना जाने का अधिकारी है। उसमे उन्होंने कहा था—

"अस्पृश्यता का प्रश्न वर्ग-कलहका प्रश्न है। अपने आपको स्पृश्य तथा दूसरो को अस्पृश्य मानने वाले दो वर्गों के बीच के संघर्ष का प्रश्न है।"

"हिन्दू धर्म की रचना वर्ग-कल्पना पर आधारित है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करे, इसकी शिक्षा हिन्दू-धर्म में नही है, किन्तु एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति कैसा व्यवहार करे, इसके बन्धन हिन्दू-धर्म में है।"

"जो धर्म एक को 'विज्ञ' बनाये रखने के लिये दूसरे को 'अज्ञ' या अनपढ़ बनाये रखना चाहता है, वह धर्म नहीं है, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाये रखने का षड्यन्त्र है।"

"एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना अधिक पतित समझे कि उसको छूने से इनकार करे, ऐसी प्रथा हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी नहीं।"

"हिन्दू-धर्म मेरी बुद्धि को जंचता नही, मन को भाता नही। मनुष्य धर्म के लिये नही है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिये है। जो धर्म हमारी मनुष्यता की कुछ भी कीमत नहीं समझता, उस धर्म में हम क्यों रहे।"

"सामाजिक स्वातंत्र्य का एकमात्र उपाय 'धर्मान्तर' ही है। स्वराज्य की जितनी आवश्यकता 'हिन्दुस्तान' को है। सामाजिक स्वतन्त्रता की उतनी ही आवश्यकता दलित समाज को है। स्वराज्य और धर्मान्तर आन्दोलन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है—स्वतन्त्रता और समानता।"

हिन्दुस्तान को तो 'स्वराज्य' मिल गया। हिन्दुस्तान के दलित वर्ग को सामाजिक-स्वराज्य कब मिलेगा ?

———

भारतीय समाज और डा० अम्बेडकर

मन्मथनाथ गुप्त

भारत का कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जब-जब यहाँ कोई क्रान्तिकारी विचारों वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ है तो या तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, या यदि वह ऐसा व्यक्ति हुआ कि उसके व्यक्तित्व को किसी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सका, यदि उसका व्यक्तित्व ऐसा रहा कि वह जादू की तरह सिर पर चढ़-कर बोला, तो उसके साथ यह चालाकी की गई कि उसके व्यक्तित्व को सम्मान तो दिया गया, उसे पूजा गया, उसे अवतार बना दिया गया, पर उसके विचारों को भुला दिया गया। भारत के इसी दुर्भाग्य के कारण, भारत उस प्रकार से प्रगति नहीं कर पाया, जैसा कि उसे करना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि भारत पिछड़ गया, वह सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा और आज हम संसार के सबसे पिछड़े हुए देशों में हैं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो यहाँ हमेशा से बहुत बड़े-बड़े पैदा हुए हैं, पर उनके द्वारा प्रचारित विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि हम इसकी तह में जायें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारा सामाजिक संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। यो हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के बड़े गुण गाये जाते हैं, पर यदि हम विश्ले-षण करके देखें, तो हिन्दू संस्कृति में ऐसे बहुत से तत्व हैं, जिनके कारण वह एक शोषक संस्कृति के रूप मे सामने आती है। कवि ने किसी उच्छ्वास के मुहूर्त में कहा था :—

यूनान मिश्र रोमां सब मिट गये जहाँ से।
बाकी अभी है लेकिन नामो निशां हमारा॥

हमारा नामो निशां तो अभी बाकी है इसमें कोई शक नही है पर यह कोई गौरव की बात नहीं है कि २००० वर्ष पहले हमारे यहाँ जिस प्रकार से हल चलाया जाता था, आज भी उसी प्रकार से चलाया जाता है। यहाँ बड़े-बड़े ऊँचे विचार रखने वाले लोग आये, पर व्यवहार में उन ऊँचे विचारों का कभी कोई अर्थ नही रहा। समदर्शिता की तारीफ के पुल बांधे जाते रहे कि ऐसा व्यक्ति, गाय, हाथी और मनुष्य में एक-सी दृष्टि रखता है, पर वास्तविक रूप से क्या होता रहा ? यह हिन्दू सभ्यता और संस्कृति की ही करामात है कि हमारे यहाँ एक ऐसी शोषक पद्धति हजारो वर्षों से वनी है, जिसमें करोड़ों लोग अछूत समझे जाते हैं। इन्ही अछूतों के साथ उन आदि-वासियों को भी गिनना चाहिए जिन्हे आर्यों ने अच्छी जमीन से निकाल कर जंगलों और पहाड़ों पर वसने को विवश किया और इस तरह उन्हें संसार में सबसे पिछड़े लोग बना रखा। जिस समाज पद्धति मे करोड़ों लोगों को हजारों वर्षों से मनुष्य से नीचा समझा गया, उस समाज पद्धति के विषय में डींग मारना कोई अर्थ नही रखता।

यों यहाँ बहुत से व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने छुआछूत दूर करने की ओर लोगों की दृष्टि उठाई पर विशेष लाभ नहीं हुआ। आधुनिक युग में राममोहन राय से लेकर डा० अम्बेडकर तक, जो स्वयं कथित अछूत थे, कितने ही महापुरुष हुए है जिनका इस तरफ ध्यान गया, पर हमारी हिन्दू संस्कृति और सभ्यता ऐसी अजीब है कि उसमें कोई विशेष अन्तर नही पड़ा।

स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज चलाया और उन्होने जाति-पाति को दूर करने का नारा दिया, उनके समय में शायद जाति-पांति की दीवार की एक आध ईंट टूटी पर वाह री हिन्दू सस्कृति कि अब आर्य समाज में भी साधारण तौर पर जाति-पाति के अन्दर ही शादी, ब्याह होते हैं। आर्य समाज भी सनातन धर्म का एक भाई बन गया। गांधी जी को राजनैतिक कारणों से अछूतों के सवसे बड़े मित्र पेश करने की कोशिश की गई है। इसमें सन्देह नही कि उन्होने उस दीवार की एक आध ईंट हटाने मे हाथ वंटाया, पर उनके प्रचार कार्य की पोल यह थी कि १९४५ तक यानि लगभग मरते समय तक, वह यही मूर्खतापूर्ण चेष्टा करते रहे कि जाति-पाति तो रह जाये, पर छुआछूत दूर हो जाये। लगभग ४० वर्ष तक काम करने के बाद उन्होने यह महसूस किया कि जाति-पाति को कायम रखते हुए छुआछत दूर नही हो सकती। उन्होने वर्ण और आश्रम कायम रखते हुए छुआछत दूर करने की जो चेष्टा की

थी, वह विलकुल व्यर्थ हो गई इसी पर इन्होने अप्रैल १६४५ में 'वर्ण व्यवस्था', नामक अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा :—

"यह जानने के लिए कि मैं आज क्या मानता हूँ, मेरे सारे पिछले लेखों को देखने की जरूरत नही, क्योकि मेरी आजकी मान्यता ही सही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म मे आज जातिभेद जिस शक्ल में मौजूद है, यह एक ऐसी बेहूदा चीज है जिसका वक्त गुजर गया है। सच्चे धर्म की वढ़ती में इससे रुकावट ही होगी और हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तान को जीना है और दिन-दिन तरक्की करनी है, तो जाति-पांति मिटना ही चाहिए।"

खैरियत है कि गांधी जी मरने के कुछ साल पहले सही समाधान की ओर वढते हुए मालूम हुए पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उनके चेलों ने इस मामले मे क्या किया है। इस समय गांधी शताब्दी की ढोल वड़े जोर से पीटी जा रही है और उसके लिए लाखो रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हम जानते है कि यह सब क्यो हो रहा है। यह सब इसलिए नही हो रहा है कि गांधी के जो एकाध क्रान्तिकारी विचार है, उनको अपनाया जाए, उनका जनता में प्रचार हो, वल्कि इसलिए किया जा रहा है कि गाधी की छाप के राजनैतिक गुटों को जनता को उल्लू बनाकर चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त हो।

डा० वी० आर० अम्वेडकर विद्वानों में विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन इतिहास, धर्म-शास्त्र, समाज-शास्त्र, सारे विषयों का अध्ययन किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हिन्दू धर्म सुधर नही सकता, तभी उन्होंने निराशा में वौद्ध धर्म का नारा दिया। उनकी यह निराशा कोई आश्चर्य की वात नही है या ऐसा समझने का कोई कारण नही है कि उन्होंने कोई जल्दवाजी की। उन्होने वहुत अच्छी तरह समझ लिया कि यह ऐसी दीवार है जो कभी टूटेगी नहीं। दयानन्द ने इस पर वार किया, वह असफल रहे, गांधी ने वार किया वह असफल रहे, आज होना तो यह चाहिए था कि गाधीवादी कहाने वाले लोग अपना सारा साधन, धन, तन, मन सव लगाकर छुआछूत को मिटाने के लिए जांति-पांति को मिटाने पर तुल जाते, पर हो क्या रहा है यह सवको मालूम है। कही से यह खवर आ रही है कि अछूतों को मारते-मारते मार डाला गया तो कही से यह खवर आ रहा है कि उनके घर जला दिये गये।

डा० वी० आर० अम्वेडकर भारत के संविधान के प्रधान निर्माता थे, यह आज कोई छिपी हुई वात नही है, यद्यपि इसका ढिंढोरा नही पीटा जाता। कांग्रेस के अन्दर वहुत थोड़े लोग ऐसे थे जो संविधान वनाने के कष्ट साध्य कर्म करने की योग्यता रखते

थे, और जो योग्यता रखते थे वे राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने तथा दूसरे मामलों में लगे हुए थे। डा० अम्बेंडकर ने अत्यन्त श्रमपूर्वक सविधान तैयार किया और उसमें छुआछूत निषिद्ध करार दी गई। उस संविधान को बने हुए दो दशक से ऊपर हो चुके, पर जैसा जो कुछ हो रहा है वह हमें पता है। इसलिए ड० अम्बेडकर का निराश होना किसी प्रकार जल्दबाजी नही कहीं जा सकती। मुझे गिला यह है कि कथित अछूत ऊँची जातियों को जब तब सजा क्यों नही देते।

हिन्दू समाज और हिन्दुओं के दर्शन मे बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही जाती हैं, जैसे प्राणी मात्र की समानता, "वसुधैव कुटुम्बकम्"। यह कहा जाता है कि सब देश हमारे देश हैं और मनुष्य मात्र भाई-भाई हैं। पर किसी सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक नही है कि हम उसकी कही हुई बातों को सही मानें। एक व्यक्ति का चरित्र कैसा है यह जानने के लिए हम यह नही देखते कि वह क्या कहता है बल्कि यह जाँचते हैं कि वह व्यक्ति असल में क्या करता है। कथनी और करनी में मीलों का फासला शायद हिन्दू संस्कृति की एक विशेषता है। आखिर वही संस्कृति है जिसमें कानूनी रूप से यह माना गया कि शूद्रों के लिए अलग नियम होना चाहिए और ब्राह्मणों के लिए अलग। सच तो यह है कि हर जाति के लिए अलग सजा का विधान हमारी हिन्दू संस्कृति की विशेषता थी। शास्त्रों में कैसा क्या है, इसके थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं :—

"यदि एक क्षत्रिय या वैश्य, ब्राह्मणी में गमन करे तो वह यव पर रहे, तो वह शुद्ध होगा।"

(याज्ञवल्क्य संहिता १६७)

"यदि निम्नतर जाति की स्त्री में गमन किया जाये तो उसमें कोई दोष नही लगता, अन्यथा सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि उच्चतर वर्ण की स्त्री में गमन किया जाये तो उसके लिए मृत्यु ही दण्ड है।"

(वही २९१)

"अर्थात् वर्णों की श्रेष्ठता के अनुसार सजा मिलेगी" (आगिरस संहिता—५.६) अन्य संहिताओ में यह लिखा है कि ब्राह्मण किसी भी हालत में मृत्यु दण्ड का अधिकारी नही है।

यह वह ढांचा है जिसमें से हमारी कथित हिन्दू संस्कृति निकली है और जिसका हमें इतना गौरव है। डा० अम्बेडकर इस ढांचे से पूर्ण तरह से परिचित थे यह उनकी पुस्तकों से ज्ञात होता है। उन्होंने 'शूद्र कौन थे' नामक अपनी अंग्रेजी

पुस्तक को महात्मा ज्योतिबा फुले को समर्पित किया। इस समर्पण में उन्होने श्री फुले के सम्बन्ध में लिखा :—

"जो आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र हैं और जिन्होंने हिन्दुओं की निम्न-तर जातियों को इस सम्बन्ध मे जागरूक किया कि वे उच्चतर जातियों के किस प्रकार गुलाम हैं और जिन्होंने यह प्रचार किया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतन्त्र विदेशी शासन से मुक्ति की तुलना मे कितना अधिक महत्वपूर्ण है।"

इस समर्पण से पता लगता है कि डा० अम्बेडकर के मन में कितना कड़वापन था और वह कड़वापन उचित रूप से ही था। डा० अम्बेडकर की एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है 'अछूत, वे कौन थे और वे क्यों अछूत हुए' इस पुस्तक की भूमिका में उन्होने हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में अपना अभिमत पूरे तरीके से व्यक्त किया है।

उसमे वे लिखते हैं कि इस देश में लगभग दो करोड़ ऐसे लोग है जो जरायम-पेशा कबीले के समझे जाते है, डेढ करोड़ ऐसे लोग हैं जो आदिवासी हैं और ५ करोड़ अछूत है। स्मरण रहे कि ये आकडे १९४८ तक प्राप्त आकड़ों के आधार पर है। डा० अम्बेडकर इस पर कहते हैं :—

"इन वर्गों का अस्तित्व अत्यन्त लज्जा की बात है यदि इन सामाजिक उपजा की रोशनी मे हिन्दू सभ्यता को नापा जाये, तो इसे शायद ही सभ्यता कहा जा सके। यह एक राक्षसीय यन्त्र है जिसके द्वारा मनुष्यता को दबाया गया है और मानव को गुलाम बनाया गया है इसका एक ही नाम हो सकता है और वह है निर्लज्जता। एक ऐसी सभ्यता के संबन्ध मे क्या कहा जा सकता है जिसने लाखों लोगों को यह मानने को विवश किया है कि जीविका उपार्जन का एक मान्य तरीका अपराध करना है, दूसरा ऐसे वर्ग को उत्पन्न किया है जो सभ्यता के बीच में आदिम बर्बरता के रुके हुए पानी मे सड़ता रहता है और तीसरा ऐसा वर्ग उत्पन्न किया है जिन्हे मनुष्यो के स्पर्श के अयोग्य समझा गया है और जिनको छूते ही मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। यदि किसी भी देश मे ऐसे वर्गों का अस्तित्व होता, तो लोग इस पर विचारों का मंथन करते, और यह सोचते कि आखिर ये विचार कहाँ से आये, पर हिन्दू का मन ऐसा चोदा है कि ये दोनो विचार उसके मन को आलोड़ित नही करते। इसका कारण बहुत सरल है। यह कारण यह है कि हिन्दू अपने अन्दर इन वर्गों के अस्तित्व को लज्जा का विषय नही समझते और इसके प्रायश्चित करने की जिम्मेदारी महसूस नही करते या यह नही चाहते कि ऐसा क्यो हुआ इस पर सोचे। इसके विपरीत प्रत्येक हिन्दू यह सोचता है कि उसकी सभ्यता न केवल अत्यन्त प्राचीन है, बल्कि वह कई

मानों में अद्वितीय है। कोई भी हिन्दू इन दावों की पुनरावृत्ति करते थकता नहीं है। हिन्दू सभ्यता प्राचीन है यह बात समझ में आती है और मानी जा सकती है। पर हिन्दू सभ्यता किस माने में अद्वितीय है, यह समझ में नहीं आती। हिन्दू भले ही इसे पसन्द न करें, पर गैर हिन्दू केवल इस दावे को एक ही कारण से सही मान सकते हैं कि हिन्दू सभ्यता के अन्दर ऐसे वर्ग आते हैं जो और किसी सभ्यता में नही आते। यह अद्वितीयता बिल्कुल स्पष्ट है, पर हिन्दू यह नही समझ पाते कि यह अद्वितीयता लज्जा की बात है न कि गर्व की बात।"

डा० अम्बेडकर ने इसी पुस्तक मे इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि ब्राह्मणों ने यानि हिन्दू शास्त्रकारों ने कोई वाल्टेयर पैदा नही किया। पर सच्ची बात तो यह है कि यहाँ वाल्टेयर पैदा होते, तो उनके साथ भी वही बर्ताव होता जो अन्य सुधारको के साथ हमारे इस प्राचीन गौरवशाली देश मे हुआ है। प्राचीन काल से चार्वाक ऐसे बहुत से स्वतन्त्र चिन्तक हुए हैं, पर उनके विचारो को इतना दबाया गया कि उनकी रचनाएँ प्राप्त नही हैं और केवल उनके विरोधियों की पुस्तकों में ही उनके विचार जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं।

कई बार यह कहा जाता है कि अमेरिका के नीग्रो समस्या के साथ हमारे यहाँ की अछूत समस्या की तुलना की जा सकती है, एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि हमारे यहाँ अछूत स्वयं को अछूत मानने लगे थे जो दिमागी गुलामी का सबसे गिरा हुआ रूप है। मैं यह समझता हूँ कि डा० अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को अनुपयुक्त पाया, यह बहुत उचित था। उन्होने इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। छुआछूत और जाति-पाँति के रहते कोई सभ्यता ऊँची सभ्यता नही कहला सकती भले ही उसके ढिंढोरा पीटने वाले बहुत चालाक हों किसी भी हालत मे मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के इस रूप का अन्त हो जाना चाहिए। कोई कारण नही है कि आज जाति-पाँति को किसी भी तरह रहने दिया जाये। केवल रोटी की ही बात इस संबन्ध मे उठाना, बेटी की बात न उठाना, यह सूचित करता है कि जो इस प्रकार की बातों का प्रचार करता है उसके मन में अभी पुरानी गाँठें मौजूद हैं। विवेकानन्द के छोटे भाई प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भूपेन्द्रनाथ दत्त ने यह लिखा है कि खोपड़ी की नाप तथा अन्य दृष्टियो से कथित निम्न तथा उच्च जातियों में कोई फर्क नही है इसलिए जाति-भेद का कोई प्रश्न नही उठता।

डा० अम्बेडकर की स्मृति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि हम शोध और विद्रोह के मार्ग पर अटल होकर चलें और जिस किसी उपाय से कथित

ऊँची जातिवालों को यह समझा दें कि अब तुम्हारी बेईमानियों का युग समाप्त हो चुका है, अब उठ बैठो नही तो बर्बाद कर दिये जाओगे। इसमें हिंसा-अहिंसा का कोई प्रश्न नही उठता। किसी भी उपाय से शोषण का अन्त करना ही है। यह तो समझ में आता है कि कांग्रेसी जाति-पाँति के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रचार नहीं करते, पर यह समझ में नहीं आता कि समाजवादी कहलाने वाले लोग भी इस विषय पर चुप क्यों हैं ?

डा० अम्बेडकर के प्रति कुछ उद्गार

राधाकृष्ण चौधरी

आधुनिक भारतीय इतिहास मे डा० बी. आर. अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय परम्परा की नये ढंग से व्याख्या करने का श्रेय इस युग में डा० अम्बेडकर को ही है। और बहुत अर्थ में यह मानना सत्य के अधिक समीप है कि वे आधुनिक भारत के मनु थे। भारतीय इतिहास के सिंहावलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत जब कभी भी पराजित हुआ है तब किसी बाह्य शक्ति के कारण नही अपितु अपनी आन्तरिक स्थिति के चलते ही। भारत पर हुए सभी आक्रमणों के इतिहास का यदि वैज्ञानिक और निष्पक्ष ढंग से अध्ययन किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि भारत की जाति व्यवस्था के चलते ही भारत पतनोन्मुख हुआ। आज भी जो इतिहास के इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते वे भारतीय प्रगति की कामना से बहुत दूर समझे जायेंगे।

भारत मे जाति व्यवस्था का शुरुआत चाहे जब और जैसे हुआ हो, यह तो मानना ही होगा कि इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। अछूतों की संख्या बढ़ी और यही कारण है कि ईसाई लोगों का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जिसे हम हिन्दू समाज कहते हैं उसी समाज का एक अंश समाज से प्राय: बाहर ही समझा जाता था और उन्हें हम अपने यहाँ जल तक छूने नही देते थे। कानूनन इस स्थिति में परिवर्तन हुआ भी है परन्तु अभी भी भारत मे ऐसे गाँव और स्थान हैं जहाँ छुआछूत प्रचलित है और कानून की अवहेलना होती आती है। बिहार, बंगाल, और आन्ध्र-प्रदेशों मे हरिजनों पर हुए अत्याचार तो सर्वविदित हैं ही, और यह भी उस समय जबकि बिहार में उस समय एक हरिजन मुख्य मंत्री थे।

डा० अम्बेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे और विभिन्न भारतीय साहित्य का अध्ययन कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि यदि भारत को जिन्दा रहना है तो

समस्त भारतीय नागरिको को भारतीयता के एकसूत्र में बंधना होगा—ऐसी भारतीयता जिसमे जाति-पाँति, छोटा-बड़ा और अवर्ण-सवर्ण का भेद नही रहेगा और जो कोई भारतीय अपने को भारतीय कहने का दावा करेगा वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका देश होगा भारत और धर्म होगा सही भारतीयता। अपने अध्ययन और अध्यवसाय के कारण डा० अम्वेडकर अपने लेखो और ग्रंथो के द्वारा शूद्रो और अछूतो की वास्तविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत करने मे समर्थ हुए और जब संविधान बनाने का भार उन पर सौंपा गया तब उन्होने अपने अध्ययन और अध्यवसाय का उसमे खुलकर प्रयोग किया।

अम्वेडकर जैसे महान व्यक्ति का सम्मान जैसा होना चाहिए वैसा हम लोग अभी तक कर नही सके हैं। कारण हम अपने नेताओं, ऋषियों और विद्वानो को स्मरण करना जानते ही नही है। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी हम लोग पूर्वाग्रह से विषय वस्तु पर विचार करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि हम निष्पक्ष हो नही पाते हैं। परिस्थिति भी समय-समय पर हमारे विपरीत हो जाती है और चाह कर भी हम व्यक्ति विशेष की देन को भूल जाते है। यों तो डा० अम्वेडकर के अतिरिक्त और भी कई कानून-विशेषज्ञ संविधान के निर्माण मे लगे थे परन्तु संविधान पर डाक्टर साहेब की छाप कितनी है इसका प्रमाण उनके निधन पर दिये गये जवाहरलाल नेहरू के भाषण से स्पष्ट है। डा० अम्वेडकर एक ऐसे वर्ग (वर्ण) से आते थे जिसकी स्थिति भारतीय समाज में अब भी दयनीय है अतः भारत के पंडित जनों के लिए यह एक असह्य घटना थी। अम्वेडकर ने भारतीय संविधान में सामाजिक असमानता को दूर करने का यथेष्ट प्रयत्न किया और भारतीय संविधान की दृष्टि में भारत के सभी नागरिक एक घोषित किये गये। अक्षरशः इसका पालन हो रहा है अथवा नही, यह बात दूसरी है परन्तु कानूनी तौर पर तो भारतीय राष्ट्र के सभी नागरिक बराबर हैं। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि कानूनी ढंग पर समस्त भारत के लोग बराबर घोषित हुए और इसका श्रेय डा० अम्वेडकर को है। भारतीय समाज की सामाजिक असमानता को दूर करने का सचेष्ट प्रयास यदि महात्मा गाँधी ने किया तो उसका कानूनी रूप देने का प्रयास डा० अम्वेडकर ने। डाक्टर साहेब का सही मूल्याँकन और उनकी देन का अध्ययन अभी तक हम लोग कर नहीं पाये है।

भारतीत समाज का कोढ है वर्णव्यवस्था और इसमे सुधार लाने के लिये प्रयत्नशील व्यक्तियों में महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, डा० अम्वेडकर और डा०

लोहिया रहे हैं। उन लोगों के और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से इस क्षेत्र में बहुत सुधार भी हुआ है परन्तु समस्त भारत की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि देहातों में स्थिति अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। कानून के सहारे इनको दूर किया जा सकता है परन्तु सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। कानून को व्यवहार में लाने वाले लोग अब भी ज्यादातर उस वर्ग से आते हैं जिनका सामाजिक संस्कार पुराना है। इसीलिए आवश्यकता है कि प्रत्येक दल के लोग इस सम्बन्ध मे सामाजिक चेतना लाने का प्रयास करें और समाज के उस वहुत बड़े अंश को जो अब भी पिछड़ा हुआ और उपेक्षित है उसे देश के लिए उप-उपयोगी बनावें। मात्र कानूनी तौर पर अधिकार दिला देने से हमारा कर्त्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है।

डा० अम्बेडकर एक महान विद्वान, विधिवेत्ता, लेखक और समाज सुधारक थे। जीवन में उन्हें जो कटु अनुभव हुआ था उसको वे भूल नही सकते थे। फिर भी उनके विचार में सहनशीलता थी और वे स्वय एक उदारवादी विचारक थे वे विचारों में किसी के पिछलगुआ नहीं थे और स्वयं सभी प्रश्नो पर सोचकर अपना विचार रखते थे। सविधान सभा के भाषणों से उनके स्वतन्त्र विचारो का पता लग सकता है और भारतीय संविधान के निर्माण में उनका क्या योगदान है उस बात का भी। अपने इस व्यस्त जीवन से समय निकाल कर वे विभिन्न प्रश्नों पर लिखा भी करते थे और आधुनिक भारतीय विद्वानों में उनका स्थान अग्रगण्य था। ऐसे महान् व्यक्ति का अभीतक एक अभिनन्दन ग्रंथ नही निकला, यह बडे ही दुख की बात है।

भारत जैसे महान देश में ऐसे कितने रत्न भरे पड़े हैं जिनका मूल्याकन हम लोग अभी तक नही कर सके हैं। इस दिशा मे जो प्रयास किया जाय वह स्तुत्य और सराहनीय होगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि रामदास जी इस दिशा मे प्रयत्नशील हैं और मैं उन्हे अपनी शुभकामना देता हूँ। मेरा अपना विचार है कि डा० अम्वेडकर के जीवन पर एक वृहद ग्रंथ (अंग्रेजी और हिन्दी मे) तैयार हो जिसमे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओ पर विचार किया जा सके और साथ ही उनके कृतित्व की विवेचना भी हो सके। आशा है रामदास जी इस दिशा में प्रयत्नशील होगे और अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन करेंगे।

दलितों के बाबा अम्बेडकर

जगदीशचन्द्र जैन

अन्तिम श्रद्धांजलि

७ दिसम्बर, १९५६, प्रातःकाल ! हिन्दू कालोनी, दादर से होकर कालेज जाते समय स्त्री-पुरुषों की अन्तहीन भीड़ ! भीड़ का अटूट तांता लगा हुआ था। शोकाकुल स्त्री-पुरुष अनुशासनपूर्वक कतार बनाये चले जा रहे थे।

पता लगा कि 'दलित' जनता अपने उद्धारकर्ता के अन्तिम दर्शन के लिए उसके निवास-स्थान 'राजगृह' की ओर जा रही है। पिछली रात को उनका शव हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से बम्बई लाया गया था।

दर्शनाभिलाषी जनता दस घण्टे तक 'क्यू' लगाये खड़ी रही ! दुपहर को डेढ़ बजे अर्थी सजाई गई। सिर की ओर बुद्ध भगवान की मूर्ति, मोमबत्तियों का मंद प्रकाश, और धूप-बत्तियों की महक। शव को एक मोटर-ट्रक पर स्थापित किया गया।

स्कूल, कालेज, मिल, कारखाने और सिनेमा घर बिना किसी पूर्व घोषणा के अपने-आप बन्द हो गये। दुपहर के डेढ़ बजे शव-यात्रा आरम्भ हुई। जनता की अपार भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। दर्शकगण आसपास की इमारतो और वृक्षों पर बैठे हुए श्रद्धाजलिया अर्पित कर रहे थे। पुलिस की सहायता के बिना ही यातायात बन्द हो गया था। अर्थी पर फूल और फूलमालाएँ अर्पित की जा रही थी। विन्सेंट रोड, पोइबावड़ी, एलफिस्टन ब्रिज, सयानी रोड और गोखले रोड होते हुए पाँच घण्टे बाद लोग दादर-श्मशान मे पहुँचे।

लगभग दो मील लम्बा जुलूस था। 'बाबा साहब की जै', 'बुद्ध भगवान् की जै' की ध्वनि से आसमान गूँज उठा था।

शूद्र जाति की कहानी

हिन्दुस्तान में शूद्र जाति प्राचीन-काल से ही दासता का निंद्य एवं उपेक्षित जीवन व्यतीत करती आ रही है। आप-स्तम्भ और गौतम धर्मसूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों में शुद्र को वेद-पाठन के अधिकार से ही वंचित नही कर दिया गया, बल्कि कहा गया है कि यदि कभी अनजाने मे वेद-ध्वनि उनके कानों में पड़ जाये तो उनमें गर्म-गर्म सीसा और लाख भर देना चाहिये। यदि वह वेद-मंत्रों के उच्चारण करने का साहस करे तो उसकी जिह्वा तथा यदि उन मंत्रो को कण्ठस्थ कर ले तो उसके शरीर का उच्छेद कर देना चाहिए।

बौद्ध और जैन काल में शूद्रो और चाडालो को बिना घर-बार के आकाश की छाया तले जिन्दगी गुजारनी पड़ती थी। उच्च जातियों के शवों को ढोकर उन्हें ले जाना पड़ता और वध्य-स्थान को ले जाते हुए पुरुषों के सामने ढोल बजाते हुए चलना पड़ता। कुत्ते या मरी हुई गाय का मास खाकर वे अपना पेट भरते। किसी प्रकार के कला-कौशल द्वारा जीवन-निर्वाह करने का अधिकार उन्हें नही था। जंगल के पशु-पक्षी अथवा तालाव की मछलियाँ आदि पकड़कर, सूप बनाकर, रस्सी आदि बांट कर, अथवा तांत बेचकर वे अपनी आजीविका चलाते थे।

पेशवाओ के राज्य मे अस्पृश्यों के लिए नये-नये कानून बन गये थे। दिन के समय वे अपने घर के बाहर नही निकल सकते थे! सार्वजनिक रास्तों पर नही चल सकते थे! उनकी कलाई या गर्दन पर काला धागा बँधा रहता जिससे कि कोई सवर्ण हिन्दू गलती से छू जाने पर अपवित्र न हो जाये! अपनी कमर में झाड़ू बाँध कर उन्हें चलना पड़ता ताकि उनके पग-चिह्नों पर सवर्ण हिन्दुओं के पग रखे जाने से वे दूषित न हो जायें! मार्ग मे थूकने तक की इजाजात उन्हें नहीं थी, इसलिए अपने गले मे मिट्टी की तौनी लटकाकर उन्हें चलना पड़ता था!

जीवन की लांछनाएँ

भीमराव अम्बेडकर के जमाने मे तथाकथित अस्पृश्य जाति के लोग गाँव के बाहर किसी गदी अधेरी कोठरी में पड़े रहते थे। सिर पर पगड़ी, हाथ मे डडा, कन्धे पर कबल, और लंगोटी—बस यही उनकी पहचान थी। औरतें घुटनों तक की साड़ी पहनती थी।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने १८५२ ई० मे सर्वप्रथम पूना मे अस्पृश्यों के लिए एक स्कूल खोला, लेकिन इसके लिए उन्हें असह्य कष्ट सहन करने पड़े। आगे चलकर

बडौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में १८८३ ई० में अछूतों के स्कूल की स्थापना की। लेकिन किसी सवर्ण हिन्दू के शिक्षक बनने से इन्कार करने पर मुसलमान शिक्षकों से काम चलाना पड़ा।

भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन् १८९१ में मऊ (इन्दौर) मे हुआ था। अपने चौदह भाई-बहनों में भीमराव सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। रामजी सकपाल कबीर-पंथी थे और अपने बच्चो को रामायण और महाभारत पढकर सुनाया करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के वे व्यक्तिगत मित्र और महान् प्रशंसक थे। १४ वर्ष तक वे गवर्नमेंट के मिलिटरी स्कूल में हैड मास्टर रहे और अब सूबेदार-मेजर कहलाने लगे थे।

भीमराव अम्बेडकर को, महार जाति मे जन्म लेने के कारण, अपने जीवन-काल में कितनी ही लाछनाएँ सहन करनी पडी। संस्कृत पढने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया जिससे उन्हें फारसी पढने के लिए विवश होना पड़ा। नाई ने उनके बाल बनाने से इन्कार कर दिया तो बड़ी बहन को नाई का काम करना पड़ा। स्कूल का मास्टर उनकी नोट-बुक का स्पर्श नही करता था; न वह उनसे सवाल ही पूछता था। यदि उन्हें पानी की प्यास लगती तो मास्टरजी नौकर को साथ कर देते; नौकर पानी का नल खोल देता और अम्बेडकर नल को बिना छुए अपनी प्यास शान्त करते। एक बार, मास्टर जी ने अम्बेडकर को कक्षा मे बोर्ड पर कुछ लिखने का आदेश दिया। यह आदेश सुनते हो कक्षा के अन्य विद्यार्थी बोर्ड के नजदीक भागे। बोर्ड के पीछे की ओर रखे हुए अपने खाने की डिब्बों की रक्षा के लिए। कही इस अछूत की छाया से वे अपवित्र न हो जायें।

कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से एम०ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद जब अम्बेडकर बड़ौदा पहुँचे तो बड़ौदा महाराज का आदेश होने पर भी राज्य का कोई भी कर्मचारी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर नही गया। जब बडौदा के किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान न मिला तो मजबूरन एक पारसी धर्मशाला मे ठहरना पड़ा।

बड़ौदा राज्य मे उनकी नियुक्ति हो जाने पर भी दफ्तर के क्लर्क और चपरासी उन्हें अस्पृश्य ही समझते रहे। दफ्तर की फाइलें अपने अफसर के हाथ में न थमा कर वे उन्हें दूर से ही मेज पर डाल देते।

सिडनहम कालेज जैसी सरकारी संस्था में प्रोफेसर हो जाने पर भी जन्म-जात 'अस्पृश्यता' के कलंक से वे मुक्त न हो सके। कालेज के प्रोफेसर-कामन-रूम मे रखे हुए पीने के पानी का वे उपयोग नही कर सकते थे।

जीवन की इन्हीं सब कडवी लांछनाओं और घृणाओं की घूँट पीकर अम्बेडकर प्रौढ अवस्था को प्राप्त हुए थे।

आर्थिक संकट

द्रव्य का अभाव उन्हे बचपन मे हमेशा खलता रहा। शिक्षण प्राप्त करने के लिए साधनों का सदा अभाव रहा। बहुत चाहने पर भी रेल किराये के पैसे न जुटा सकने के कारण वे बम्बई न आ सके। और जब किसी तरह बम्बई आने की साध पूरी हुई तो परेल की पिछड़ी हुई मजदूरों की गन्दी वस्ती मे बसेरा करना पड़ा।

बम्बई के एलफिस्टन स्कूल में वे भर्ती हो गये। लेकिन इस छोटे-से कमरे में पढाई-लिखाई कैसे हो? एक ओर दीवार के पास चक्की लगी है, दूसरी ओर बकरी बँधी है; एक कोने में खाना पकाने का चूल्हा, लकड़ियों का ढेर, तथा बर्तन-भांडे और खाने-पीने का सामान रखा हुआ है।

अम्बेडकर के पिताजी ने एक तरकीब सोचकर निकाली। अपने बेटे को वे जल्दी ही सुला देते और स्वयं जागकर रात गुजारते। फिर रात के दो बजे वे उसे पढने के लिए उठा देते और स्वयं उसी बिस्तर पर सो जाते।

विदेशों में शिक्षण

यह बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की असीम कृपा का फल समझना चाहिए कि अम्बेडकर को अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सका। अमरीका के जाति-पाति और ऊँच-नीच की भावनाविहीन स्वतन्त्र वातावरण में रहकर अम्बेडकर को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसकी कल्पनामात्र ही की जा सकती है। अमरीका के महान् सुधारक तथा नीग्रो जाति के शिक्षक बुकर टी० वाशिंग्टन के जीवन का प्रभाव उन पर पड़े बिना न रहा।

भीमराव अम्बेडकर अब बहुत बड़े बन गये थे। कानून के बैरिस्टर! कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिलोसोफी के डाक्टर! लंदन यूनिवर्सिटी के साइन्स के डाक्टर! अब वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीति के किसी भी विद्वान् से टक्कर ले सकते थे।

हिन्दुस्तान में वही कट्टरपंथी

लेकिन हिन्दुस्तान लौटने पर तो वही पुराना राग! महाड़ के चौदर तालाब मे से अस्पृश्यों के लिए पानी भरने की मनाई थी, यद्यपि मुसलमान और ईसाइयों के

लिए ऐसी कोई रोक-टोक नही थी। आन्दोलन किये गये। अपने अनुयायियों के साथ अम्बेडकर ने इस तालाब का पानी पीकर इसे 'भ्रष्ट' कर दिया। उधर सवर्ण हिन्दुओं ने तालाब के १०८ घड़े पानी में पंचामृत (गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और जल) मिश्रित कर ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारणपूर्वक तालाब के जल को फिर से पवित्र कर लिया।

हिन्दू धर्म के अनुयायी होकर भी इस जाति को मंदिर में प्रवेश कर हिन्दू देवी-देवताओं के दर्शन करने की मनाही थी। इसके लिये भी संघर्ष करना पड़ा। परिणामत: ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने राज्य के १६०० मन्दिरों, तथा आगे चलकर मंदिर-प्रवेश बिल पास होने पर पढरपुर के विठोबा मदिर, आलदी के ज्ञानेश्वर मदिर तथा नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजों को अस्पृश्यों के लिए खोल दिया गया।

महात्मा गाँधी से मतभेद

तिलक का नारा था—'स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है', भीमराव अम्बेडकर ने नारा दिया—'अस्पृश्यता नष्ट करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है'। अम्बेडकर का विश्वास था कि जब तक भारत की दलित और शोषित जनता को मानवता के मूलभूत अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक देश के स्वतन्त्र होने से कोई लाभ नही।

महात्मा गाधी अस्पृश्यों को हिन्दुओं से पृथक् मानकर उन्हें पृथक् निर्वाचन का अधिकार देने के विरुद्ध थे। इसके लिए उन्होने उपवास कर प्राणों की बाजी लगा दी थी। अम्बेडकर की मान्यता थी कि जब तक पृथक् निर्वाचन के अधिकार द्वारा राजनैतिक हक प्राप्त नही होंगे तब तक अस्पृश्यो को 'हरिजन' नाम देने मात्र से कोई समस्या हल नही हो सकती।

इस विषय को लेकर डाक्टर अम्बेडकर और गांधीजी में अक्सर मुठभेड़ हो जाता। अम्बेडकर का कहना था कि केवल प्रस्ताव पास करने मात्र से कुछ नही हो सकता, स्पृश्यास्पृश्य समस्या की गहराई मे जाने की जरूरत है। अम्बेडकर का आक्षेप था कि गांधीजी वर्णाश्रम धर्म को हिन्दु-धर्म का अनिवार्य अग मानकर उसका समर्थन करते हैं, तथा काग्रेस के सदस्य बनाते समय अस्पृश्य निवारणार्थ कोई शर्त उनके सामने नही रखते। अम्बेडकर यह सोचकर हैरान थे कि क्या अस्पृश्य जाति परकीय मुसलमानों से भी गयी-गुजरी है कि उन्हें तो पृथक् निर्वाचन के अधिकार

दिए जा सकते हैं और 'हरिजनों' को नही, जो सैंकड़ों-हजारों वर्षों से स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा दलित और शोषित होकर अमानुषिक जीवन व्यतीत करते रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अपने गंभीर अध्ययन और चिन्तन के आधार पर डाक्टर अम्बेडकर ने 'ऐनिहिलेशन आफ कास्ट', 'व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी जी हैव डन टु अनटचेबल्स', 'थाट्स आन पाकिस्तान', 'हू वेयर द शूद्राज़', द बुद्ध एण्ड हिज़ धम्मं' आदि विद्वत्तापूर्ण प्रचुर साहित्य का निर्माण कर जो साहित्य की अर्चना की है, वह किसी भी देशवासी के लिए गर्व की वस्तु हो सकती है। ध्यान रखने की बात है कि ये सब पुस्तकें साहित्यिक ख्याति के लिए न लिखी जाकर किसी व्यापक उद्देश्य को सामने रखकर ही लिखी गयी।

हिन्दू धर्म एक अनबूझ पहेली

डाक्टर अम्बेडकर ने दलितो और बहिष्कृतों के हित के लिए १९२४ में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी जिससे कि वे अपने बंधुओं की आर्थिक दशा में सुधार कर सकें।

अम्बेडकर को हिन्दू धर्म एक पहेली जैसा लगता था। भगवद्गीता में उनका विश्वास नही था क्योंकि उसमें भगवान् कृष्ण द्वारा गुण-कर्म विभाग पर आधारित चातुर्वण्य की सृष्टि का उपदेश है। अम्बेडकर के अनुसार, गीता में परस्पर विरोधी मतों के समन्वय करने का सारहीन प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। मनुस्मृति को तो अम्बेडकर ने असमानता, क्रूरता एवं अन्याय का प्रतीक कहा है जिसे कि किसी भी हालत मे प्रमाण नही माना जा सकता।

कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज की सहायता से प्रकाशित 'मूक नायक' नामक पाक्षिक पत्रिका में लिखते हुए उन्होंने हिन्दू समाज को एक ऐसी मीनार की उपमा दी है जिसमें मंजिल तो अनेक है, लेकिन ऊपर जाने के लिए न कोई सीढ़ी है और न प्रवेश-द्वार; ऐसी हालत मे जो जिस मंजिल मे पैदा हुआ है, उसे वही मरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 'द रिडल आफ हिन्दुइज्म' नामक पुस्तक में उन्होंने स्वर्गीय राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के गगा किनारे बैठकर ब्राह्मण पुरोहितों के पैर धोने की घटना का उल्लेख किया है। क्या इससे बढ़कर और कोई पहेली बूझी जा सकती है ?

धर्म-परिवर्तन की घोषणा

डाक्टर अम्बेडकर गवर्नमेंट ला कालेज में प्रोफेसर बन गये थे। अपनी

योग्यता के कारण अब वे इस कालेज के प्रिंसिपल नियुक्त कर दिये गये। लेकिन अभी भी दलितोद्धार की साध उनके मन में बनी हुई थी। उन्हें दिन-रात यही चिन्ता सवार रहती कि अपने भाई-बन्धुओ की आर्थिक दशा किस प्रकार सुधारी जाय जिससे कि उनकी हीन ग्रंथि भावना नष्ट हो सके और वे एक इन्सान की जिन्दगी जी सकें। परिणामस्वरूप अछूत विद्यार्थियों के लिए होस्टल की योजना बनी, एजूकेशन सोसायटी की स्थापना की गयी, और त्र्यंबक में चोखामेला के नाम पर हरिजन-मदिर-निर्माण का कार्यक्रम बना।

लेकिन लगता है कि अम्बेडकर हिन्दू धर्म के ठेकेदारो के विरुद्ध जीवन-भर संघर्ष करते-करते कुछ रुष्ट हो गये थे। अब वे इस बात का अनुभव करने लगे थे कि इस दकियानूसी हिन्दू समाज, और कांग्रेस के हिन्दू नेताओं से किसी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। उनका विश्वास हो चला था कि जब तक उच्च जातिवालों को दी जाने वाली सुविधाओ और तथाकथित निम्न जातिवालों के मत्थे मढे जाने वाले दुख-दारिद्रय को नियन्त्रित नहीं किया जाता तब तक शताब्दियों से पद-दलित होती आई अस्पृश्य जाति का उद्धार होना असभव है।

बस, डाक्टर अम्बेडकर ने अपने छह करोड़ अनुयायियों के साथ धर्म-परिवर्तन करने की घोषणा कर दी। यह घोषणा पढ़कर देश-भर में तहलका मच गया। किसी ने अम्बेडकर को धर्मद्रोही कहा, किसी ने देशद्रोही और किसी ने हिन्दू-भारत का विध्वंसक कहकर उन्हे लाछित करना चाहा।

उधर बौद्ध, मुसलमान, ईसाई एवं सिख धर्मानुयायियों ने अम्बेडकर के साथ पत्र-व्यवहार करना और उनसे सांठ-गाठ करना शुरू कर दिया। प्रत्येक धर्मानुयायी ने विश्वास दिलाया कि उन्हे उसके धर्म मे मानवोचित अधिकार दिये जाने की पूरी व्यवस्था रहेगी।

बौद्धधर्म में दीक्षित

देश की गतिविधियां वेग से आगे बढ़ रही थी। अप्रैल २९, १९४७ को संविधान सभा मे सरदार पटेल द्वारा घोषणा की गयी—"हर तरह की अस्पृश्यता समाप्त कर दी गयी है तथा इस सम्बन्ध मे यदि किसी भी प्रकार की असमर्थता दिखाई गई तो वह जुर्म समझा जाएगा।"

डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्रिमंडल में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सितम्बर में बम्बई के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने मन्दिर-प्रवेश बिल पास किया।

फरवरी, १९४८ मे डा० अम्बेडकर द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक तैयार किया हुआ भारतीय संविधान का खाका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो आगे चलकर भारतीय सविधान के रूप में पास हुआ।

डाक्टर अम्बेडकर की पत्नी श्रीमती रमाबाई का देहावसान हो चुका था। उन्होने सारस्वत ब्राह्मण कुलोत्पन्न डाक्टर सविता कबीर से विवाह किया।

१४ अक्तूबर, १९५६ का दिवस भारत के इतिहास मे चिर-स्मरणीय रहेगा जबकि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी सौभाग्यवती पत्नी सविता अम्बेडकर ने नागपुर मे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अम्बेडकर रेशम की श्वेत धोती और श्वेत वर्ण का कोट पहने थे। सविता देवी शुभ्र साड़ी के परिधान मे बहुत मनोज्ञ लग रही थी। जय-जयकार की ध्वनि कानों मे गूंज रही थी। अम्बेडकर एक हाथ मे दण्ड थामे और दूसरा हाथ अपने सेवक रत्तु के कन्धे पर टिकाये दिखाई दिये। मेज पर बुद्ध भगवान् की कांस्य प्रतिमा विराजमान थी जिसके पार्श्वभाग मे दो व्याघ्र दिखाई दे रहे थे।

अम्बेडकर और उनकी पत्नी ने बुद्ध भगवान् की मूर्ति की वन्दना की। कुशीनारा से आमन्त्रित ८३ वर्ष के वयोवृद्ध महास्थविर चन्द्रमणि और काषाय वस्त्र धारण किये हुए उनके चार बौद्ध भिक्षुओं ने पाली पाठ आरम्भ किया—

बुद्धं सरणं गच्छामि
धम्मं सरणं गच्छामि
संघं सरणं गच्छामि

पति-पत्नी दोनों ने अहिंसा (पाणाति+पातवेरमण), सत्य (मुसावायवेरमण), अचौर्य (अदिन्नादान+वेरमण), ब्रह्मचर्य (काममिथ्याचारवेरमण) और मद्य-त्याग (मज्जवेरमण) के व्रत ग्रहण किये। दोनों ने हाथ जोड़कर बुद्ध भगवान् की प्रतिमा को वन्दन किया और श्वेत कमल चरणों में अर्पित किये। अम्बेडकर और उनकी पत्नी ने हीनयान और महायान से ऊपर उठकर नवयान में प्रवेश किया। 'बाबा साहब अम्बेडकर की जै', 'भगवान् बुद्ध की जै' के गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठा।

बौद्धधर्म का मौलिक चिन्तन

बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का गहन चिन्तन और मनन किया था।

भगवान् बुद्ध को उन्होंने भगवान् कृष्ण की भांति मोक्षदाता स्वीकार न करके केवल मार्गदाता माना है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को आदेश दिया था—"बेड़े की भांति पार पहुँचने के लिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ, उसे पकड़े रहने के लिए नहीं।" बुद्ध आत्मा को अहंवाद की उत्पत्ति में कारण मानते थे, अतएव उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। किसी नित्य, ध्रुव और अजर-अमर ईश्वर को भी वे नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करने से हम परावलम्बी बन जाते हैं। ईश्वर के स्थान पर उन्होंने नैतिक जीवन को ही मुख्य माना है। चातुर्वण्य और जाति-पांति की उन्होने कठोर शब्दों में निन्दा की है। अपने भिक्षुओं को, बहुजन-हित और बहुजन-सुख को मुख्य मानकर मनुष्य-मात्र के लिए धर्म-प्रचार करने का आदेश उन्होने दिया है। स्वतन्त्रता, समानता और मित्रता पर बौद्ध धर्म में विशेष रूप से जोर दिया गया है।

बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में डाक्टर अम्बेडकर ने कुछ अन्य विचार भी प्रस्तुत किये हैं जो विद्वज्जनों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचारणीय हैं।

(१) भगवान् बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य का प्ररूपण करते हुए, जो 'यह संसार दु.खमय है' (सर्वम् दु:खम्) की घोषणा की है, अम्बेडकर के अनुसार, यहाँ दु:ख का तात्पर्य धन-सम्पति समझना चाहिए जिसका नाश करना आवश्यक है। 'सब कुछ क्षणिक है' (सर्वम् क्षणिकम्), अतएव धन-संपति की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना अनावश्यक है। उनका कथन है कि इसी कारण बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी प्रकार की निजी सम्पति रखने का निषेध किया गया है।

(२) स्त्रियों के संबंध में बुद्ध का सद्भाव नहीं था तथा अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर ही उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी संघ में प्रवेश होने की अनुमति प्रदान की थी। डाक्टर अम्बेडकर ने इस आक्षेप का उत्तर अपनी पुस्तक 'द राइज़ डण्ड फॉल ऑफ द हिन्दू वीमन : हू इज़ रिस्पोंसिबिल (मराठी में' हिंदु स्त्रियाँची उन्नति आणि अवनति : याला जवाबदार कोण?) में देने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि प्रज्ञा, करुणा और मैत्री नामक रत्नत्रय को जीवन का मुख्य अंग मानने वाले भगवान बुद्ध ने स्त्री-पुरुष के नैसर्गिक अन्तर एवं पारस्परिक आकर्षण की ओर लक्ष्य करते हुए, सघ के भिक्षु-भिक्षुणियों को परस्पर सावधानीपूर्वक वर्तन करने का उपदेश देकर व्यावहारिक दृष्टि का ही परिचय दिया है। अन्ततः उन्होंने अपने सघ में भिक्षुणियो को प्रवेश कर स्पष्ट रूप से अपनी बहुजन-हित की वृत्ति को ही दर्शाया है।

(३) बौद्ध धर्म संबंधी तीसरी उपास्थापना विशेष रूप से विचारणीय है। मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म की तुलना करते हुए बौद्ध धर्म को अम्बेडकर ने मार्क्सवाद का उत्तर माना है। उनके अनुसार, एक हमें रक्तहीन क्रांति की ओर प्रेरित करता है जबकि दूसरा रक्तमय क्रांति की ओर ले जाता है। इस सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डालने के लिए डाक्टर साहब 'बुद्ध एण्ड कार्ल मार्क्स' नामक पुस्तक लिख रहे थे जो संभवतः उनके जीवन-काल में पूर्ण न हो सकी।

उपसंहार

डाक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने ६५ वर्ष के जीवन-काल में शुरू से आखिर तक संघर्षों से जूझते रहे। बाल्य काल मे जीवन के अभावों में पाले-पोसे जाकर वे बड़े हुए। लेकिन उनके श्रम और अध्यवसाय ने उन्हें कभी निराश नही होने दिया। उनका दृढ़ विश्वास रहा कि किसी आदर्श के पीछे लगे रहने से मनुष्य मे आगे बढ़ने की शक्ति का सचार होता है और इससे एक शानदार नैतिक वीरता जन्म ग्रहण करती है।

भीमराव अम्बेडकर अपनी कमजोरियों के बावजूद महान् थे—इसमें तनिक भी सन्देह की गुंजाइश नही। उनके अन्दर काम करने की जबर्दस्त लगन थी जो उन्हें चैन से नहीं बैठने देती थी। वे सोचा करते थे कि मनुष्य, मनुष्य में इतना अन्तर क्यों? क्यों एक ही देश में एक व्यक्ति को तो सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, और दूसरे का स्पर्श करने, और उसका मुंह देखने में भी पाप समझा जाता है? लानत है ऐसे धर्म पर!

अम्बेडकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक आन्दोलन चलाये, अनेक मीटिंगों और काफरेंसों में वे शामिल हुए, अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गयी, लेकिन आखिर मे जब इन बातों को कोई विशेष सार्थकता नजर नही आई तो उन्हे धर्म-परिवर्तन कर अस्पृश्य जाति में उत्पन्न होने का प्रायश्चित करना ही उचित समझा।

लगता है हमारा समाज अब भी टस से मस होने का नाम नही ले रहा है। पिछले दिनों आंध्र आदि प्रदेशों में जो हरिजनों के प्रति दिल दहला देनेवाले अमानुषिक अत्याचार हुए हैं, वे इस कथन के साक्षी हैं। पता नहीं, यह सब देखकर, यदि बाबा साहब आज जीवित होते तो इस देश की दलित जनता समक्ष कौनसी योजना प्रस्तुत करते?

इन पंक्तियों के लिखते समय अभी पूर्वी जर्मनी के मेरे मित्र डाक्टर हाइन्ज़ मोदे द्वारा सम्पादित, जनवादी जर्मन गणतंत्र के बुद्धिस्ट सेंटर हाले द्वारा प्रकाशित

'बुद्धिस्ट ईंग्ररली' (१९६७) का ग्रक डाक से मिला है। इसके ग्रावरण पृष्ठ पर बम्बई में 'डाक्टर बी० ग्रार० उर्फ बाबा साहब ग्रम्बेंडकर' की खड़ी हुई वृहत्काय मूर्ति का ग्राकर्षक रंगीन चित्र छपा है। क्या इसे देखकर फिलहाल हम संतोष की सांस ले सकते हैं ?

संदर्भ ग्रन्थ

१—धनंजय कीर : डाक्टर ग्रम्बेडकर; लाइफ एण्ड मिशन

२—चांगदेव भगवानराव खैरमोडे : डा० भीमराव रामजी ग्रम्बेडकर, खण्ड १-२ (मराठी)

३—ग्रम्बेडकर-साहित्य

४—जगदीशचन्द्र जैन : सम्प्रदायवाद (ग्रप्राप्य)

मनीषी डा० अम्बेडकर

कृष्णदत्त वाजपेयी

डा० भीमराव अम्बेडकर का स्थान आधुनिक युग के प्रमुख चिन्तकों तथा समाज-सेवियों में है। उनके जन्म का श्रेय मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र को प्राप्त है। परन्तु उनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश था। अपने ६५ वर्ष के जीवन मे भारत के इस महान् विचारक ने धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज तथा विधि के क्षेत्रों मे अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। नवीन भारत के निर्माण मे डा० अम्बेडकर का योगदान अमर रहेगा।

बीसवी शती के आरम्भ में भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन हो रहे थे। अम्बेडकर ने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा विधि का गहरा अध्ययन किया। वे देश-विदेश में अनेक ख्याति प्राप्त शिक्षा-शास्त्रियों, राजनीतिज्ञो तथा अर्थशास्त्रियों के सम्पर्क में आए। अपनी प्रतिभा, विद्या तथा अनुभव का उपयोग अम्बेडकर ने राष्ट्र के निर्माण में करने का संकल्प किया। पचीस वर्ष की आयु मे ही भारतीय समाज तथा अर्थ-व्यवस्था पर उन्होंने विद्वतापूर्ण प्रबन्ध लिखे। इन तथा अन्य प्रबन्धों का प्रकाशन होने पर अम्बेडकर की ख्याति भारत और विदेशो मे फैली। १९१८ ई० में वे बम्बई के सिडेनहम कालेज में अर्थ-शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापन-कार्य के साथ उनका शोध-कार्य बराबर जारी रहा। अपनी मृत्यु तक डा० अम्बेडकर अध्ययन-अनुसंधान के कार्यों में लगे रहे। उनके लिखे हुए ग्रथ तथा लेख उनकी असाधारण प्रतिभा, विस्तृत अध्ययन तथा व्यापक दृष्टिकोण के परिचायक हैं। समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र तथा राजनीति के विभिन्न अंगो पर उन्होंने जो लिखा उसकी प्रशसा देश-विदेश के प्रतिष्ठित विद्वानो ने की।

डा० अम्बेडकर विधि के प्रकाड पंडित थे। विधिवेत्ता के रूप में उन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की। उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट में बैरिस्ट्री की। बम्बई के शासकीय लॉ कालेज मे कुछ समय तक अध्यापन-कार्य भी किया। साइमन-कमीशन तथा अन्य महत्वपूर्ण परिषदो मे डा० अम्बेडकर को निमन्त्रित किया जाता था। उपेक्षित या दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व डा० अम्बेडकर ने आजीवन किया।

१९४६ में भारतीय विधान-परिषद के सामने डा० अम्बेडकर ने अल्पसंख्यको को सुरक्षित स्थान दिलवाने के लिये स्मरण-पत्र पेश किया, जो एक महत्वपूर्ण ज्ञापन है। स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उसके अध्यक्ष-पद को डा० अम्बेडकर ने सुशोभित किया। कठोर परिश्रम करके उन्होने भारतीय विधान का मसविदा तैयार किया, जिसकी सराहना सभी ओर से हुई। भारत के बाहर अनेक देशो के विश्वविद्यालयो तथा अन्य उच्चस्तरीय संस्थाओ ने डा० अम्बेडकर को सम्मानित किया।

मृत्यु के कुछ समय पूर्व डा० अम्बेडकर का धर्म-परिवर्तन का संकल्प पूर्ण हुआ और उन्होंने बौद्ध-धर्म मे दीक्षा ग्रहण कर ली।

राष्ट्र तथा समाज की बहुमुखी सेवा करने वाले डा० अम्बेडकर जीवन भर अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति में व्यस्त रहे। वे संकीर्ण विचारों के व्यक्ति नही थे। राष्ट्र के विकास मे जो कठिनाइयाँ वर्तमान शती के प्रारम्भ में विद्यमान थीं उन्हें अम्बेडकर ने भलीभाँति परखा। उस समय हमारे समाज में स्त्रियों तथा दलित वर्ग की स्थिति दयनीय थी। डा० अम्बेडकर की उनके प्रति सच्ची सहानुभूति थी। वे यह नही देख सकते थे कि भारतीय समाज का एक बड़ा अंग अपने समुचित अधिकारों से वचित रखा जाए। इस प्रश्न को उन्होने सभी क्षेत्रों मे उठाया और उसके समाधान मे एकनिष्ठ साधक की भाँति वे लगे रहे। उन्हें उन असमानताओं से निरन्तर जूझना पड़ा जिन्हें कतिपय वर्गों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मोटी दीवाल की तरह सामने खड़ा कर दिया था। डा० अम्बेडकर यह भलीभाँति जानते थे कि प्राकृतिक साधनो से भरपूर यह देश मानव शक्ति से भी सम्बलित बना रहे और इस शक्ति का समुचित उपयोग होता रहे। एक बड़ी जनसंख्या के प्रति उपेक्षा की भावना को वे बर्दाश्त न कर सकते थे। प्राचीन भारत की गौरवमयी संस्कृति के वे प्रशंसक थे। इस सस्कृति के उन सिद्धान्तों की ओर वे बराबर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे जिनके कारण भारत शताब्दियों तक संसार में ऊँचा उठा रहा। साथ ही उन कमियो की ओर भी वे ध्यान दिलाते रहे जिनके कारण हमारा ह्रास हुआ। समय की गति के साथ राष्ट्र और समाज में परिवर्तन लाने की जो आवश्य-

कता स्वतंत्र भारत में थी उसे डा० अम्बेडकर अनिवार्य मानते थे। परिस्थितियों के अनुरूप देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण हो, इस बात का वे बराबर समर्थन करते रहे। प्रान्तीयता, जातिवाद, संप्रदायवाद के वे कट्टर विरोधी थे।

जिस भावी भारत का स्वप्न डा० अम्बेडकर ने देखा था वह उस देश का था जो असमानताओं के बन्धन से मुक्त हो और जिसमें राष्ट्र-निर्माण हेतु सभी को समुचित सुविधाएँ प्राप्त हों अपने जीवन भर वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भारत संसार में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे।

महामानव बाबा साहब डा० अम्बेडकर

रामदास 'सुमन'

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर २०वीं० शताब्दी की महान विभूति थे। जिसे वे उचित समझते थे उस पर दृढ़ रहते थे। और जिसे वह अनुचित समझते थे उसकी डटकर निन्दा करते थे। यही कारण था कि वे अपने समकालीनों की गलतफहमी का शिकार हुए और बहुत कम लोग उनके जीवन-काल में उनकी वास्तविक महानता को समझ पाये। किन्तु उन्होने कभी इसकी चिन्ता भी नही की। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके अभिप्रेरकों मे इमानदारी है। इसीलिए वे रुढिगत मान्यतायों को तोड़ने से पैदा होने वाले परिणामों का सामना करने को तैयार रहते थे। जिस प्रकार प्रकांड राजनीतिज्ञ एडमड बर्क ने जब फ्रांस की क्रान्ति के विरुद्ध अपनी पुस्तक लिखी थी, तो वे अपने देश के कट्टरपन्थियों को यह बताना न भूले थे कि जो प्राचीन परिपाटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें सर्वथा सुधार करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उसी प्रकार डा० अम्बेडकर भी अपने देश के कट्टरपन्थियो को सुधार लाने के लिये चेतावनी देते रहते थे। हमारे देश मे सदैव से व्यक्ति-पूजा का बोलबाला रहा है। किन्तु बाबा साहब व्यक्ति पूजा के कड़े विरोधी थे। उस समय भारत की अधिकतर जनता श्री मोहन दास करमचन्द गांधी का पूजन करती थी और उसे महात्मा मानती थी। किन्तु डा० अम्बेडकर ने गान्धी जी की श्रद्धेयता मे सन्देह प्रकट किया था। एक अवसर पर डाक्टर अम्बेडकर ने गाँधी जी के सम्बन्ध मे कहा था, "वह एक महात्मा कदापि नही था। मैंने उसे महात्मा कहने से इनकार किया है। अपने जीवन मे मैंने उसे कदापि महात्मा नहीं कहा। वह उस उपाधि का पात्र नही है। आचरण के दृष्टि कोण से भी नही।" श्री गाँधी जी ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की थी, स्वय उसके विरुद्ध आचरण किया था। कथनी और करनी के इस अन्तर को देखकर डा० अम्बेडकर गाँधी जी को एक अव्यवहारिक और बालबुद्धि का व्यक्ति मानते थे। उन्होने गाँधी जी के अछूतोद्धार के कार्य की अछूतों को कांग्रेस का विरोध न

करने देकर उन्हें कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिये रचा गया ढोंग कहकर भर्त्सना की थी। गाँधी जी की सामाजिक तथा आर्थिक विचारधारा को भी वे प्रजातंत्र विरोधी कहते थे।

गांधी जी का विरोध करने के कारण कुछ लोगों ने डा० अम्बेडकर को "देश-द्रोही" भी कह डाला। किन्तु यह सच्चाई से कोसों दूर है। डा० अम्बेडकर का कहना था कि जहाँ राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहाँ नेताओं, दलों तथा सम्प्रदायों की शान का कोई मूल्य नही होना चाहिये। वहाँ तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिये। लन्दन में हुए गोल-मेज सम्मेलन में उन्होंने अपने कथन को अक्षरशः निभाया भी था। इस सम्मेलन में उन्होंने अंग्रेजो से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए कहा था, "हमें ऐसी सरकार चाहिये, जिसमें शक्ति ऐसे लोगों के हाथ मे हो जो एकमात्र देशहित को ही सर्वोपरि स्थान देते हों। हमें ऐसी सरकार चाहिए, जिसमे शक्ति ऐसे लोगो के हाथ मे हो, जो जब यह मान लें कि यही करना न्याय है और यही करना समय की मांग है, तो फिर समाज के सामाजिक और आर्थिक ढ़ाचे में परिवर्तन करने से न घबरायें भले ही उन्हे यह अनुमान लग जाये कि ऐसा करने से लोग सरकारी आज्ञाओ का उल्लंघन कर, उसका विरोध करने तक पर उतारु हो सकते हैं। अंग्रेज सरकार से इस कर्तव्य-पूर्ति की कभी आशा नही की जा सकती। इस दिशा में ऐसी सरकार ही कुछ भी करने में समर्थ हो सकती है, जिसे जनता की सरकार कहा जा सके, जनता के द्वारा संचालित सरकार कहा जा सके, जनता का हित करने वाली सरकार कहा जा सके।" ऐसी थी उन सच्चे देश भक्त राजनीतिज्ञ की साहसपूर्ण राजनीति और ऐसा उत्कट था "भवतु सब्ब मंगल" का भाव रखने वाले उन महान विश्वधर्मी का देश की स्वतन्त्रता के प्रति हार्दिक प्रेम।

हाँ, वे भारत के बहुसंख्यक वर्ग से यह गारन्टी अवश्य चाहते थे कि राजनीतिक मशीन पर उत्पीड़ित समाज का भी समान अधिकार हो क्योकि भारत के 'राष्ट्र-वादियों' तथा 'देश-भक्तों' पर उनका विश्वास बिलकुल नही था। इन लोगों का उपहास उड़ाते हुए एक अवसर पर डा० अम्बेडकर ने कहा था, 'भारत के 'राष्ट्रीयता' वादी" तथा "देश-भक्त" भी अनोखे प्राणी है। भारत में वही "राष्ट्रीयतावादी" और देश-भक्त कहलाता है, जो खुली आँखो देखता है कि उसके भाइयों के साथ पशुओं का सा व्यवहार होता है, लेकिन तब भी जिसकी आत्मा विद्रोह नही करती। वह जानता है कि उसके देश की स्त्रियाँ तथा पुरुष नागरिकता के अधिकारों से वंचित हैं। लेकिन तब भी उसे ऐसी चुभन नही होती कि इसे मिटाने के लिए वह कुछ करें। वह देखता है कि उसके देश वासियों का एक पूरा वर्ग कही किसी भी प्रकार

सरकारी नौकरी नही कर सकता। लेकिन इस से उसकी न्याय प्रियता की भावना को किसी भी प्रकार की चोट नही पहुँचती। आदमी और समाज को हानि पहुँचाने वाली सैंकड़ों कुरीतियो को वह देखता है, लेकिन उन्हे उसे मिटाने की कोई चिन्ता नही है। हमारा 'देशभक्त' अपने लिए और अपने वर्ग के लिये अधिक से अधिक "शक्ति" चाहता है और कुछ भी नही। आगे डा० अम्बेडकर कहते है, 'मुझे खुशी है कि मैं उन "देश भक्तों" मे से एक नहीं हूँ। मैं उस वर्ग का हूँ जो जनतंत्रवाद का पक्षपाती है जो एकाधिकार को उसकी सभी शक्लों मे समाप्त हुआ देखना चाहता है। इसके लिए वह आजीवन सतत संघर्ष भी करते रहे।

वायसराय की कार्यकारी परिषद् में रहते हुए डा० अम्बेडकर ने देशवासियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये थे किन्तु वे अपने समुदाय के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के कड़े विरोधी तथा अतुलनीय आलोचक थे। स्वभावत: इतना प्रतिभा सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी काँग्रेस उनके निर्वाचन की समर्थक नही थी। तथापि वे बंगाल असेम्बली मे अपने समर्थकों के बल पर संविधान निर्मातृ सभा के लिये चुन लिये गये। वे उन थोड़े से सदस्यो में थे जिन्होने सभा के खुले अधिवेशन में नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। जिस अम्बेडकर की अवगणना करने में एक बार काँग्रेसी कृतार्थता समझते थे उन्ही काग्रेसियों ने उसी अम्बेडकर को संविधान की मसौदा समिति में सम्मलित करके और उसका सभापति बनाया। यह क्या सूचित करता है? इससे एक बात ही सूचित होती है कि डा० ग्रम्बेडकर की विशेषता अपेक्षा न की जा सके, ऐसी महती थी। डा० अम्बेडकर ने भी बड़े मनोयोग पूर्वक देश के संबिधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डा० अम्बेडकर के योगदान का श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने इन शब्दों में वर्णन किया है, "सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो सात सदस्य नियुक्त किये थे, उनमें से एक ने सभा से त्याग-पत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रक्खा गया था। एक का स्वर्गवास हो गया, किन्तु उसकी जगह पर कोई व्यक्ति नहीं रक्खा गया। एक अमरीका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त-स्थान थे। एक या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और सम्भवत: अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित न हो सके। अत: अन्त में यह हुआ कि इस विधान का मसौदा बनाने का काम डा० अम्बेडकर पर आ पड़ा और निसन्देह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढग से उन्होने इस कार्य को पूरा किया।"

हमारे देश के सम्पूर्ण इतिहास मे पहली बार भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण विधि के अनुसार दंडनीय

अपराध घोषित किया गया है। सन्तोष की बात है कि जिस संविधान में यह अधिकार दिया है उसकी रचना का कार्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया जिसने अछूत होने के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक ठोकरें खाईं जो कक्षा के बाहर बैठ अपना पाठ पढ़ा करता था, जिसे रात के घोर अन्धकार में होटलों से निकाल दिया गया था। इस संविधान में उन स्त्रियों को भी परित्राण दिया जो दक्षिण एवं पश्चिम भारत के कतिपय भागों में धर्म के नाम पर देवदासी बना कर देवी-देवताओं के मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं को समर्पित कर दी जाती थी। ये भाग्यहीन स्त्रियां भक्ति एवं त्याग का जीवन व्यतीत न कर पाती थी। किन्तु इन संस्थाओं से सम्बन्धित लोगों की वासना एवं कामुकता का शिकार हो कर व्यभिचारी जीवन व्यतीत करती थी। संविधान का निर्माण करते समय डा० अम्बेडकर को कुछ कड़वे अनुभव भी हुए थे। सरदार पटेल अस्पृश्यों के लिए स्थान सुरक्षित करने के विरोधी थे। डा० अम्बेडकर के लिए यह असह्य था किन्तु ऐसी विकट परिस्थिति में भी उनमें यह कहने का साहस था, "भाड़ में जायें तुम्हारे परित्राण। हम उनको नहीं चाहते।" किन्तु यह उनकी उदारता तथा देश भक्ति का ही प्रमाण है कि उन्होंने यह नही कहा, "हम तुमसे शासित होना नहीं चाहते।"

डा० अम्बेडकर प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक थे किन्तु भारत का प्रचलित समाज प्रजातन्त्र विरोधी था। भारत की ८३-५० प्रतिशत जनता हिन्दू है। जाति-प्रथा, हिन्दू-धर्म का आधार है। इस धर्म का साहित्य और ऐतिहासिक तथ्य इसके साक्षी हैं। मनुष्य की कुत्सित धूर्तता द्वारा जनित और पोषित यह अमानवीय प्रथा प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जाति-प्रथा हिन्दू समाज का एक ऐसा घुन है जो अन्दर ही अन्दर सारे भारतीय समाज को खा रहा है। भारतीय समाज जाति-प्रथा से इतना अधिक प्रभावित है कि मुसलमान और ईसाई भी इससे अछूते न रह सके यद्यपि उनका धर्म अपने सभी अनुयाइयों में परस्पर पूर्ण समता के भाव पर जोर देता है। जाति-प्रथा समानता के लाभकारी सिद्धान्त को अस्वीकार करती है। अतः जाति-प्रथा अत्याचार और असहिष्णुता का व्यापक साधन बन गई है। कितनी असंगत बात है कि एक ओर तो हिन्दू सम्पूर्ण विश्व की और चराचर की एकता का नारा लगाते हैं और दूसरी ओर ऐसी समाज व्यवस्था बनाये हुए हैं जिसने जनता को विभिन्न घेरों में बाँट रखा है और सदियों से उन्हे आपस में मिलने का अवसर नही दिया है। इस प्रथा के दोष दिखाते हुए एक बार डा० अम्बेडकर ने कहा था, "मानव-मानव में असमानता एवं विषमता यह हिन्दू धर्म के विचारों का ढांचा है। 'ब्राह्मण भ्रष्ट हो या महामूर्ख वह श्रेष्ठ है यह इस धर्म की शिक्षा है।' ब्राह्मण से क्षत्रिय नीच, क्षत्रिय

से वैश्य नीच और वैश्यों से शूद्र नीच है। आखरी के तीन वर्णों को वेदाध्ययन का अधिकार नही है। इसलिए सब वर्गों के लिए विचार करने का सुरक्षित अधिकार ब्राह्मणों का होना स्वाभाविक है।" जाति-प्रथा को देश की गुलामी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा था, "एक अकेला क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा यह कितनी आत्मघात की व्यवस्था है। एक के हाथों तलवार देकर उस पर विश्वास रखने के लिये दूसरे लोगों को कहा गया। फलस्वरूप जब-जब क्षत्रियों का पराभव हुआ सम्पूर्ण देश शत्रुओ ने पादाक्रांत कर लिया।" सबसे बुरी बात तो यह है कि देश अस्पृश्यता का केन्द्र बन गया है और इसके मस्तक पर भ्रातृ-द्रोह के कलंक का टीका लग गया है। हिन्दुओ ने अछूतों को इतना हीन बना कर रखा है कि उन्हें देखना भी पाप समझा जाता है; उनकी छाया से भी परहेज किया जाता है। हिन्दुओं के इस व्यवहार ने अछूतो मे उनके स्वाभिमान के विकास के लिये घातक मानसिक प्रवृति को जन्म दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध संविधान में व्यवस्था होते हुए भी एक अछूत लड़के को खम्भे से बांध कर जलाया जा सकता है, फिर भी देश भर में क्रोध की ज्वाला नही धधकती, विश्वविद्यालयो और नगरो के प्रगतिशील तत्वों की ओर से इसके विरुद्ध शक्तिशाली आवाज नही उठायी जाती। सामाजिक समानता अक्षरों मात्र में ही लिखी हुई है। अभी व्यवहार मे नही बदली। डा० अम्बेडकर भली भाँति जानते थे कि कानून बनाने मात्र से इस अमानवीय समस्या का अन्त नहीं होगा। इन मिथ्या धारणाओ से आदमी को मुक्त करने के लिए वे उसे शिक्षित बनाना अत्यावश्यक समझते थे। निसदेह संसार में शिक्षा ही सबसे अधिक परिवर्तन लाने वाली वस्तु है। किसी को वर्ण-माला सिखाने का मतलब है कि एक क्रान्ति को आह्वान देना। एक स्कूल भवन का बनाना एक किले का निर्माण करना है। हर पुस्तकालय एक शस्त्रागार है जो प्रगति के अस्त्र-शस्त्रों और गोला-बारूद से भरा हुआ है। किन्तु डा० अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क को तथ्यों तथा सिद्धान्तों से इतना अधिक भरना नही होना चाहिये जिससे उसके व्यक्तित्व तथा मानसिक प्रयास को ही प्रोत्साहन मिले अपितु शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को सच्चाई तक पहुँचने का महत्व तथा कठिनाइयों का बोध कराना होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा एक विद्यार्थी को यह सिखाना चाहिये कि उसने जिनके रचनात्मक निष्कर्षों का निर्भीकता पूर्ण विरोध किया है वे उनकी स्थिति को सहानुभूति पूर्वक तथा उचित रूप मे स्पष्ट करें। ऐसी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये ही उन्होंने 'पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी' नामक एक शैक्षिक सस्था की स्थापना की थी जिसके द्वारा इस समय अनेक स्कूल, कालेज तथा पुस्तकालयो का संचालन हो रहा है। ये सभी शैक्षिक संस्थाएँ डा० अम्बेडकर के आदर्शों का पालन कर रही है। किन्तु शिक्षामात्र से भी सब कुछ सम्भव नही है। क्योंकि शिक्षा आदमी के हाथ की दुधारी

तलवार है। शीलवान के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है। लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी कर सकती है। इसलिये वे शिक्षा से भी शील (सदाचार) को अधिक महत्व देते थे।

आदमी को शीलवान बनाने के लिये डा० अम्बेडकर धर्म को अत्यावश्यक समझते थे। क्योंकि धर्म व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। वे कहते हैं, "यदि धर्म 'अनुशासन' नही करता तो वह 'धर्म' ही नही है। किन्तु वे उस समय के सभी प्रचलित धर्मों को असामाजिक ही नही समाज विरोधी भी मानते थे। उन्होंने हिन्दू धर्म में सुधार के अनेक प्रयत्न भी किये थे। इसीलिए उन्होने हिन्दू कोडबिल का प्रणयन किया था और हिन्दुओ को कहा था कि यदि आप हिन्दू प्रणाली हिन्दू सस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं. तो उसमे जो खराबियाँ हो गयी हैं उनके सुधारने में तनिक भी हिचकिचाहट न कीजिये। किन्तु हिन्दू सुधार के पक्ष में नही थे। इस बिल के विरोधी बहुसंख्यक हिन्दू नेता बिना किसी संकोच के बिल के प्रणेता डा० अम्बेडकर को धर्म शास्त्रों में भयानक हस्तक्षेप करने वाला अपराधी ठहराने लगे। बाबा साहब जानते थे कि हिन्दू समाज के ढांचे का नाम है चातुवर्ण। यह वेदों में जड़ा हुआ है और वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि अपौरुषेय हैं। इसलिए वेद तर्कातीत है और वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नही सकता। इसलिये एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नही उठायी जा सकती। डा० अम्बेडकर की दृढ़ मान्यता थी कि यह 'भगवान की बनाई हुई' सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमे सुधार नही हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। उन्होंने अनेक वर्षो तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन किया था। वे समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, तत्त्व ज्ञान तथा अर्थ-शास्त्र आदि विषयों के भी प्रकांड पडित थे। अन्त में अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण बौद्धधर्म ही उनकी बुद्धि को जंचा और मन को भाया। बौद्ध धर्म का केन्द्रबिन्दु आदमी है और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करे बुद्ध के अनुसार यही धर्म है इसी कारण तथागत ने केवल काल्पनिक आधारो पर अपना धर्म स्थापित नही किया। उन्होंने ईश्वर, आत्मा और इस प्रकार की अन्य अलौकिक शक्तियों को अस्वीकार किया था। जिन बातों को हम अनुभव नही कर सकते तथा जिनका अस्तित्व सिद्ध नही कर सकते ऐसी किसी भी शक्ति में उन्होंने विश्वास नही किया। बुद्धि पर विश्वास करने के लिये लोगो को कहा। बौद्ध धर्म का यह रुप डा० अम्बेडकर को बहुत पसन्द आया था। यह भी उनकी मान्यता थी कि किसी विचारवान को, किसी विज्ञान

परक बुद्धि को, किसी आधुनिक आदमी को 'बुद्ध के धर्म' की अपेक्षा कोई दूसरा धर्म आकर्षित कर ही नहीं सकता। अतः उन्होंने भारत में बौद्धधर्म के पुनरावर्तन का बीड़ा उठाया, और लाखों की सख्या में भारत-पुत्रों को त्रिरत्न की शरण में खड़ा कर दिया। वस्तुतः सच्चे महामानव सदैव वे ही रहे हैं जिन्होंने मानवों को जीवन का एक अन्य मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो अपने भाइयों से घृणा करने की अपेक्षा, उनके साथ प्रेम से रहने की भावना पर आधारित हो। डा० अम्बेडकर ऐसे ही श्रेष्ठ महामानव थे।

———

लेखकों के नाम व पते की सूची

1. Late Dr. B. R. Ambedkar, M. A., Ph. D , D. Sc., D. Lit.,
LL. D., Bar-at-Law,

2. Shri U. R. Rao, B. A., LL. B.,
Deputy Chief Editor,
Collected Works of Mahatma Gandhi,
East Block IV,
Lavels 5 and 7,
Ramakrishnapuram,
New Delhi-22

3. Shri Ram Gopal, M. A.,
Renowned Writer and Historian,
"Shanti Sadan"
Motinagar,
Lucknow, U. P.

4. प्रो. श्रीनेत्र पांडेय, एम. ए., एल-एल. बी.,
अध्यक्ष, इतिहास तथा राजनीतिशास्त्र विभाग,
प्रयाग महिला विद्यापीठ कालेज,
प्रयाग : उत्तर प्रदेश।

5. प्रो. सूर्यकान्त शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल., डी. लिट्., डी. फिल.
अध्यक्ष, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत विभाग,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र : हरियाना।

6. प्रो. ए. चन्द्रहासन, एम. ए.,
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
(शिक्षा मन्त्रालय)
वैस्ट ब्लाक ७,
रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-22

7. प्रो. लालमणि जोशी, एम. ए., पी-एच. डी.,
गुरु गोविन्दसिंह तुलनात्मक धर्माध्ययन विभाग,
पंजाबी विश्वविद्यालय,
पटिआला : पंजाब ।

8. प्रो. बुद्ध प्रकाश, एम. ए., एल-एल बी., पी-एच. डी., डी. लिट्.,
निदेशक, भारतीय विद्या संस्थान,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र : हरियाना ।

9. प्रो. अमरेश्वर अवस्थी, बी. ए (आनर्स), एम. ए., एम. पी. ए. (हारवर्ड),
पी-एच. डी.,
अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग,
सागर विश्वविद्यालय,
सागर : मध्य प्रदेश ।

10. डा. पीताम्बरदत्त कौशिक, एम. ए., पी-एच. डी.,
सहायक प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग,
सागर विश्वविद्यालय,
सागर : मध्य प्रदेश ।

11. श्रीमती चन्द्रा भारिल्ल, एम. ए.,
रिसर्च-स्कालर, राजनीतिशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर : राजस्थान ।

12. श्रीमती शचीरानी गुर्टू, एम. ए,
    ४५-सी, हेवलाक स्क्वाअर,
    नई दिल्ली-1

13. डा. अंगनेलाल, एम. ए., पी-एच. डी., साहित्यरत्न
    अध्यक्ष, प्रवुद्ध अम्बेडकर सास्कृतिक संस्थान,
    ५१२/४३१, सिद्धार्थ पार्क,
    निशात गंज,
    लखनऊ : उत्तर प्रदेश ।

14. भदन्त आनन्द कौसल्यायन,
    "भिक्षु निवास"
    दीक्षा भूमि,
    नागपुर : महाराष्ट्र ।

15. श्री मन्मथनाथ गुप्त,
    सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी तथा लेखक,
    १४-डी, निजामुद्दीन ईस्ट,
    नई दिल्ली-१३

16. प्रो. राधाकृष्ण चौधरी, एम. ए., पुराणशास्त्री,
    एफ. आर. ए. एस. (लन्दन),
    अध्यक्ष, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग
    एव उप प्रधानाचार्य,
    गणेशदत्त कालेज,
    वेगुसराय : विहार ।

17. डा. जगदीशचन्द्र जैन, एम. ए., पी-एच. डी,
    २८, शिवाजी पार्क,
    बम्वई-२८ (महाराष्ट्र)

18. प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी, एम. ए.,
अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग,
सागर विश्वविद्यालय,
सागर : मध्य प्रदेश ।

19. श्री रामदास 'सुमन'
४०/२६६०, बीड़नपुरा,
करोलबाग,
नई दिल्ली-५